2016-17

29वीं th

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

पावरिंग द नेशन
POWERING THE NATION

हमारी अभिदृष्टि

पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।

हमारा मिशन

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास एवं प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ मूल्य आधारित सतत संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना।

Our Vision

A world class energy entity with commitment to environment and social values.

Our Mission

- To plan, develop and operate energy resources efficiently.
- To adopt state of the art technologies.
- To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
- To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust.
- To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with human face.

सूची

1. निदेशक मंडल 02
2. संदर्भ सूचना 03
3. प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स. 04
4. अध्यक्ष का अभिभाषण 11
5. निदेशकों की प्रोफाइल 15
6. निदेशकों की रिपोर्ट. 18
7. अनुलग्नक– I कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट 41
8. कारपोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र 58
9. अनुलग्नक– II कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 59
10. अनुलग्नक– III प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 71
11. अनुलग्नक– IV ऊर्जा संरक्षण उपाय – अंगीकृत प्रोद्योगिकी एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं विनिवेश 75
12. अनुलग्नक– V व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 78
13. अनुलग्नक– VI प्रारूप नं. एमजीटी–9– वार्षिक रिटर्न का सार 95
14. अनुलग्नक– VII सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 104
15. विशिष्ट लेखांकन नीतियां. 109
16. तुलन–पत्र 119
17. लाभ एवं हानि का विवरण. 121
18. नगदी प्रवाह विवरण 123
19. टिप्पणियां 127
20. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 169
21. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 172
22. भारत के सीएंडएजी की अभ्युक्तियां 178

निदेशक मंडल

20 सितंबर, 2017 के अनुसार

श्री डी.वी.सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राज पाल
आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री सुरेश चन्द्र
प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ.प्र.सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री एस.के.बिस्वास
निदेशक (कार्मिक)

श्री श्रीधर पात्रा
निदेशक (वित्त)

श्री बची सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री मोहन सिंह रावत
स्वतंत्र निदेशक

श्री महाराज के. पंडित
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचनाएं

पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथी पुरम , टिहरी गढवाल–249001
संपर्क नं. (0135) 2435842, 2439309 एवं 2437646
फेक्सः (0135) 2439442 एवं 2436761
वेबसाइट : www.thdc.co.in
ई–मेल : thdccs@yahoo.co.in
सीआईएन नं. : यू45203यूआर1988जीओआई009822

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रश्मि शर्मा
गंगा भवन, प्रगतिपुरम,
बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201
संपर्क नं. (0135) 2435842, 2439309 एवं 2437646
फेक्सः (0135) 2439442 एवं 2436761
ई–मेल : rashmi.thdc@gmail.com
सीआईएन नं. : यू45203यूआर1988जीओआई009822

कारपोरेट कार्यालय

गंगा भवन, प्रगतिपुरम,
बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

कार्वे कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वे सेलेनियम टॉवर – बी, प्लॉट नं. 31–32, गाछीबाउली
फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकर्मगुडा, हैदराबाद–500032
दूरभाषः +91-40-33211000, ई–मेलः rakesh.jamwal@karvy.com

संविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
364 ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार – 249403

लागत लेखापरीक्षक

1) मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी, 204, कृष्णा हाऊस, दरियागंज, 4805/24, भरत राम रोड, नई दिल्ली – 110002
2) मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, ए–201, ट्वीन टॉवर्स लखनपुर, कानपुर, उ.प्र.–208024

डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लि.
ए–268, प्रथम तल, भीष्म पितामह मार्ग,
डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली– 110024

शेयर सूचीबद्ध

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज

डिपोजिटरी

सैंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 17वां तल, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट,
फोर्ट, मुबंई–400001

बैंकर्स

1. पंजाब नेशनल बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3. विश्व बैंक
4. जम्मु एंड कश्मीर बैंक

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि.)
इंडिया रेटिंग

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स पी.एस.आर.मूर्ति
178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेज–1, नई दिल्ली–110017

प्रमुख वित्तीय निष्पादन हाईलाइट्स

(राशि लाख ₹ में)

			2016–17	2015–16	2014–15*	2013–14*	2012–13*
क.		**राजस्व**					
	1	परिचालन से राजस्व	209474	246649	239716	217376	195614
	2	अन्य आय	14123	1481	1077	862	7039
	3	कुल राजस्व	223597	248130	240793	218238	202653
ख.		**व्यय**					
	4	कर्मचारी लाभ व्यय	25425	22857	22438	18854	19323
	5	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	19513	18003	17855	15370	15188
	6	टैरिफ समायोजन (विनियामक उत्तरदायित्व)	0	0	0	15192	
	7	प्रावधान	445	9	12638	0	24
	8	बट्टे खाते डाला गया अशोध्य ऋण	0	0	7801	0	0
	9	पूर्व अवधि			13992	1076	422
	10	असाधारण मदें	16146	34830			
	11	**कुल व्यय**	**61529**	**75699**	**74724**	**50492**	**34957**
	12	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (3–11)**	**162068**	**172431**	**166069**	**167746**	**167696**
	13	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	52557	49663	48386	48122	47435
	14	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (12–13)**	**109511**	**122768**	**117683**	**119624**	**120261**
	15	वित्त लागत	29106	32887	43878	53027	60510
	16	**कर पूर्व लाभ (14–15)**	**80405**	**89881**	**73805**	**66597**	**59751**
	17	आय कर	17154	24252	18376	13985	11985
	18	आस्थगित कर परिसंपत्ति	–8142	–16269	–13686	–6920	–5372
	19	**सतत परिचालन अवधि के लिए लाभ (16.17.18)**	**71393**	**81898**	**69115**	**59532**	**53138**
	20	अन्य सर्वग्राही आय	–414	–301			
	21	ओसीआई पर आय कर–आस्थगित कर परिसंपत्ति	144	104			
	22	**कर पूर्व लाभ (19+20+21)**	**71123**	**81701**	**69115**	**59532**	**53138**
ग.		**परिसंपत्तियां**					
	23	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (शुद्ध ब्लॉक)	780687	752460	795672	843490	879607
	24	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	303529	239099	167453	111712	78519
	25	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	4694	4702	41181	57702	59744
	26	आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	70941	62655	45794	32108	25188
	27	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	93795	63999	143	162	49
	28	चालू परिसंपत्तियां	227149	232220	257434	190147	238298
	29	कुल परिसंपत्तियां	1480795	1355135	1307677	1235321	1281405
घ.		**देनदारियां**					
	30	इक्विटी शेयर पूंजी	359888	355888	352888	347309	344309
		अन्य इक्विटी					

	31	आरक्षित और अधिशेष	450193	415528	334405	282612	223080
	32	सिंचाई घटक के लिए योगदान	83458	89989	96538	103203	109760
	33	कुल अन्य इक्विटी	533651	505517	430943	385815	332840
	34	लंबी अवधि के उधार	404185	349792	327566	307082	346624
	35	अन्य लंबी अवधि देनदारियां और प्रावधान	61395	54666	55340	45640	43669
	36	लघु अवधि के उधार	38724	3677	43634	63359	128812
	37	अन्य चालू देनदारियां	82952	85595	97306	86116	85151
	38	कुल देनदारियां	1480795	1355135	1307677	1235321	1281405
	39	शुद्ध कीमत (30+31)	810081	771416	687293	629921	567389
	40	नियोजित पूंजी (39+34-24)	910737	882109	847406	825291	835494
	41	वर्ष के लिए लाभांश	22100	16200	14000	0	0
ड.		**अनुपात**					
		प्रति शेयर अर्जन(रू. 1000/–शेयर की कीमत)	198.85	230.52	197.60	172.88	157.86
		चालू अनुपात [28 / (36+37)]	1.87	2.60	1.83	1.27	1.11
		इक्विटी पर ऋण (34 / 39)	0.50	0.45	0.48	0.49	0.61
		नियोजित पूंजी पर वापसी (14 / 40) (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी)	12.02%	13.92%	13.89%	14.49%	14.39%

* पिछले जीएएपी के अनुसार

प्रमुख वित्तीय निष्पादन चार्ट

राशि लाख में

निवल मूल्य बनाम दीर्घावधि उधार

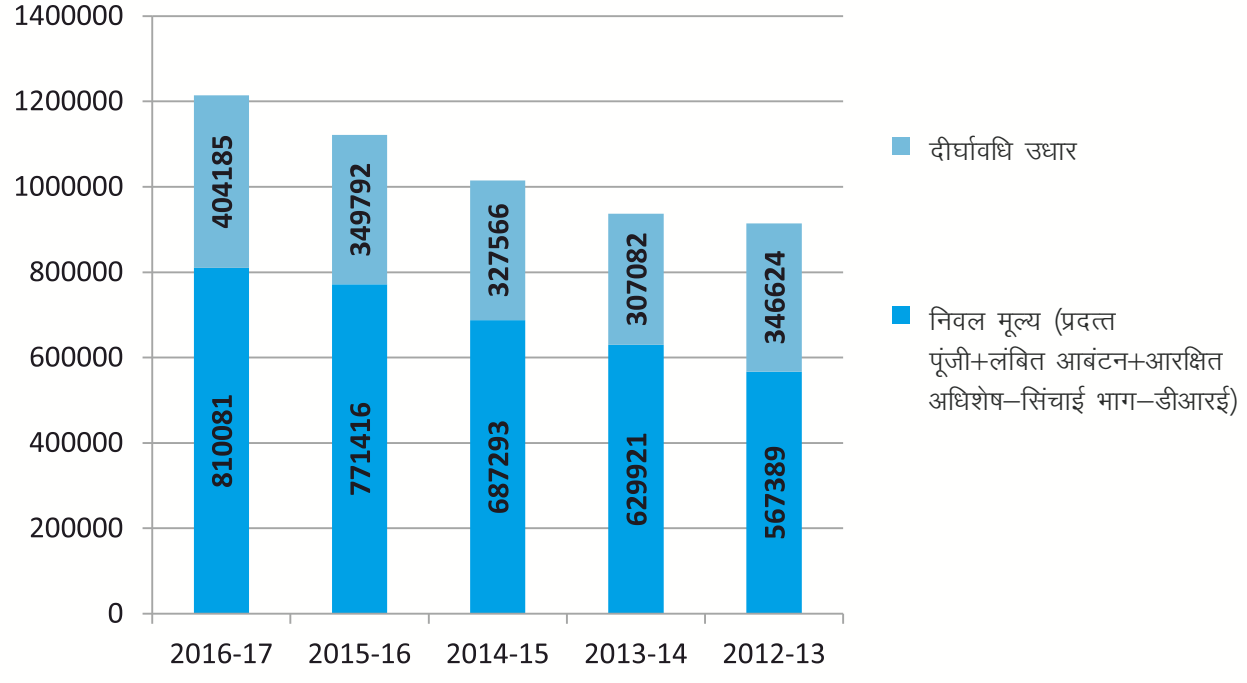

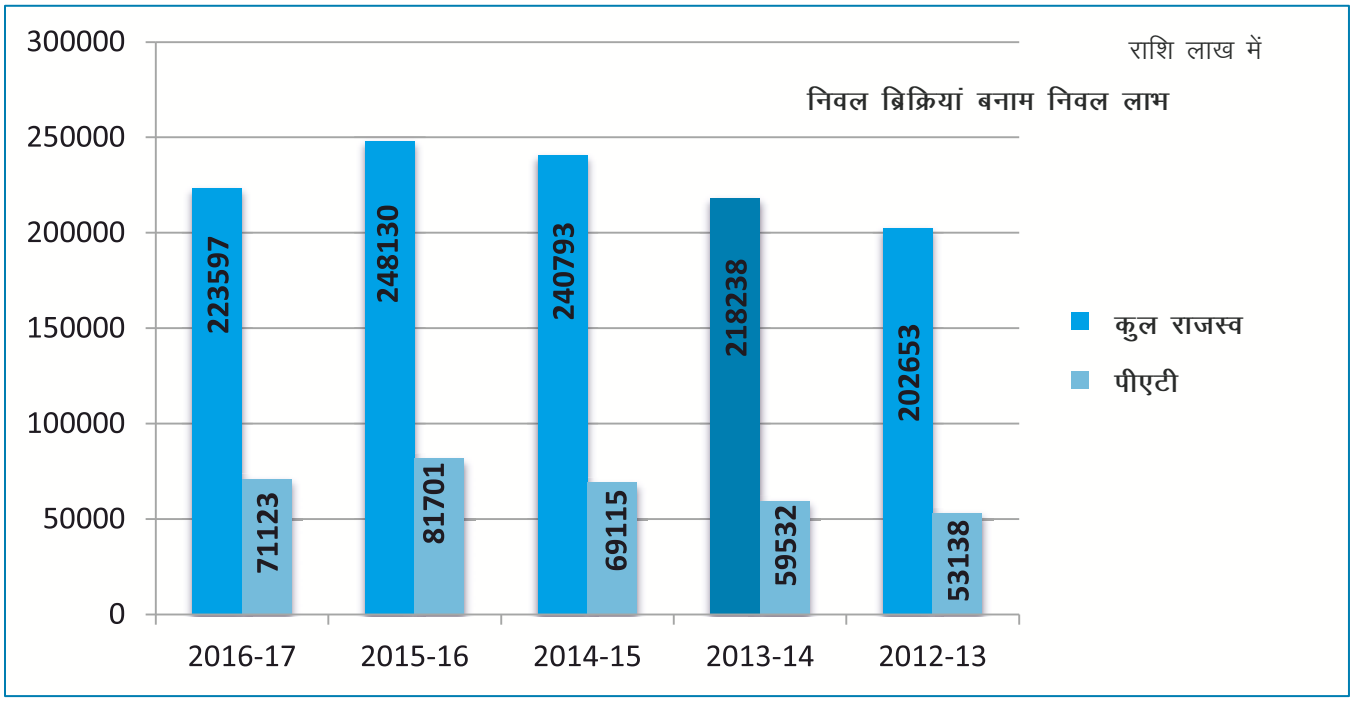
राशि लाख में
निवल ब्रिक्रियां बनाम निवल लाभ
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
223597
71123
248130
81701
240793
69115
218238
59532
202653
53138
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
कुल राजस्व
पीएटी

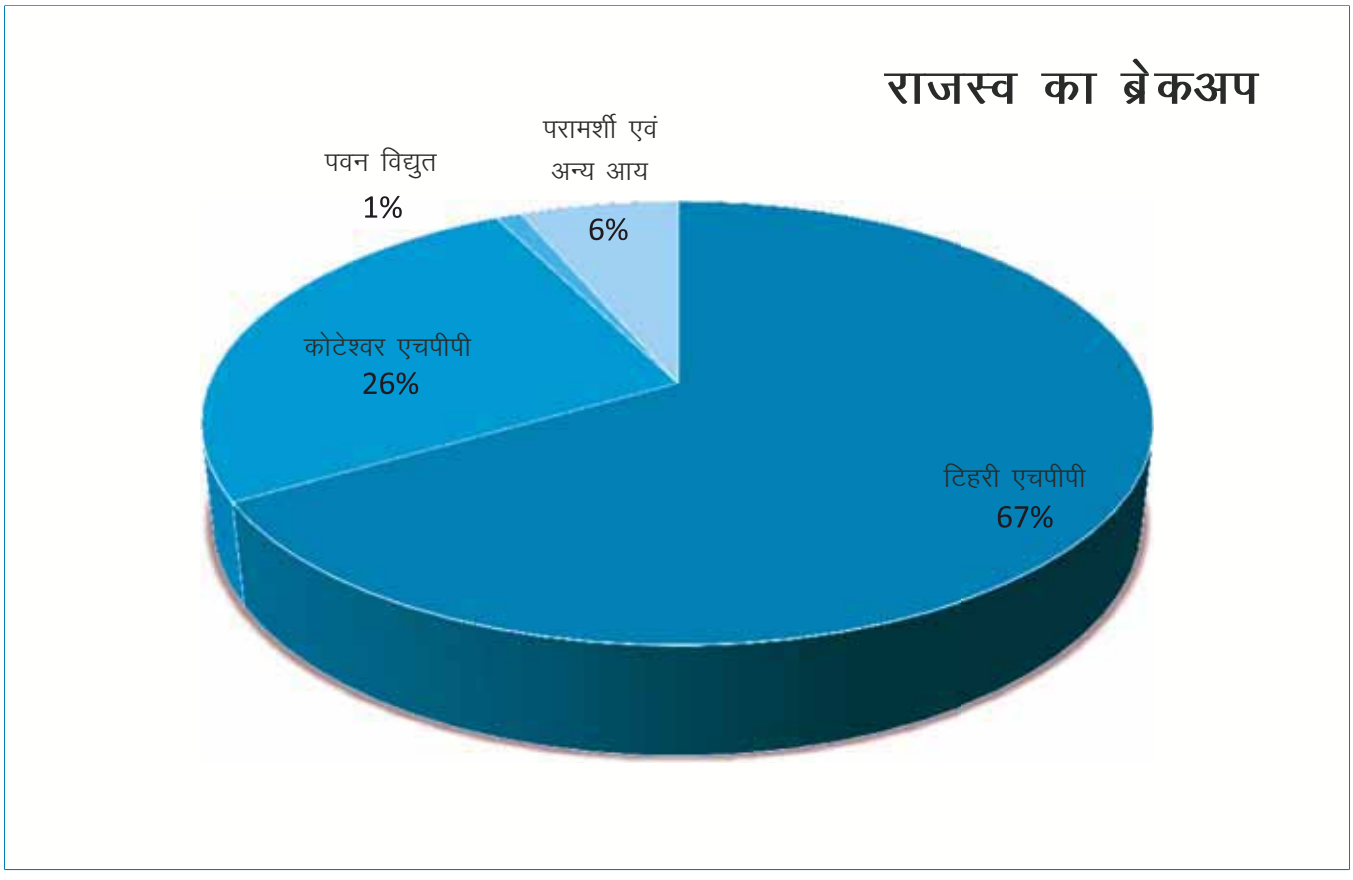
राजस्व का ब्रेकअप
पवन विद्युत
1%
परामर्शी एवं
अन्य आय
6%
कोटेश्वर एचपीपी
26%
टिहरी एचपीपी
67%

राजस्व का विश्लेषण

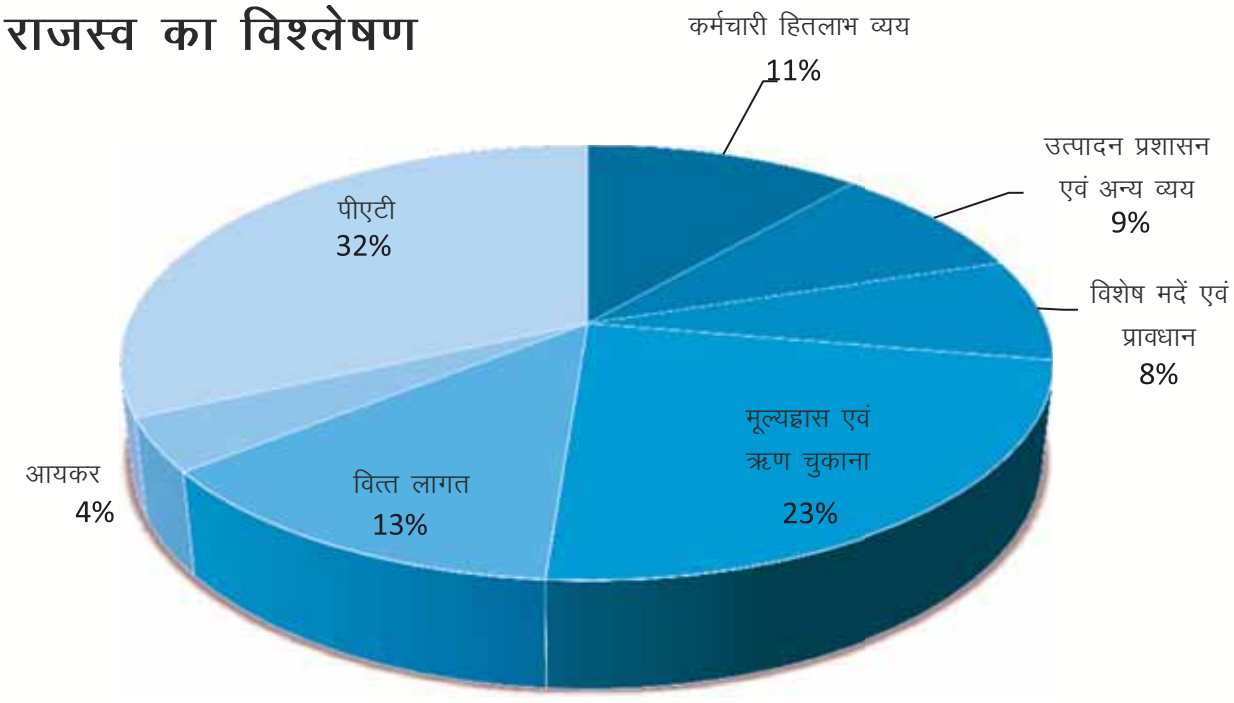
कर्मचारी हितलाभ व्यय
11%
उत्पादन प्रशासन एवं अन्य व्यय
9%
विशेष मदें एवं प्रावधान
8%
मूल्यह्रास एवं ऋण चुकाना
23%
वित्त लागत
13%
आयकर
4%
पीएटी
32%

तत्कालीन माननीय विद्युत, कोयला, खदान एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्व.प्रभार), श्री पीयूष गोयल को
अंतरिम लाभांश सौंपते श्री डी.वी.सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल

तत्कालीन प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. सरकार, श्री संजय अग्रवाल को अंतरिम लाभांश सौंपते श्री डी.वी.सिंह,
अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल

वर्ष 2017–18 के लिए एमओयू दस्तावेजों की अदला–बदली करते श्री पी.के.पुजारी, सचिव (विद्युत), भारत सरकार एवं
श्री डी.वी.सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियों और सज्जनों,

मैं आपकी कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वर्ष 2016–17 की लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे पहले से ही आपके पास हैं और मैं यह मान लेता हूं कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

विद्युत मानव की जरूरत होने के साथ–साथ राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। हमारे देश को विद्युत विकास में गतिशीलता की जरूरत है। दिसंबर, 2015 में पेरिस में हुए सम्मेलन के फलस्वरूप हमारा देश कार्बन उत्सर्जन घटाने तथा विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत भाग गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। वर्ष 2019 तक सभी को 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने की भी वचनबद्धता है। हमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि मिल रही है जिसका वर्ष 2022 तक का लक्ष्य 175 जीडब्ल्यू है।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी यह जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, जून, 2016 में पाटन में 50 मे.वा. का पवन ऊर्जा संयंत्र संस्थापित करने के बाद वर्ष 2016–17 में देवभूमि द्वारका में पवन ऊर्जा का 63 मे.वा. का एक और संयंत्र स्थापित किया जा चुका है, इसी के साथ आपकी कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता 1513 मे. वा. हो गई है।

क्रमिक रूप से 250 मे.वा. के सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापन योजना में से आपकी कंपनी ने वर्ष 2016–17 में 50 मे.वा. संयंत्र की योजना बनाई थी, लेकिन सौर ऊर्जा संयंत्र से टैरिफ की अनिश्चितता के कारण आपकी कंपनी केरल राज्य से विद्युत विक्रय करार हस्ताक्षर करने का अनुरोध कर रही है जिससे हम संविदा अवार्ड कर सके और वर्ष 2016–17 में संयंत्र चालू किया जा सके।

आपकी कंपनी एक उत्तरदायी संस्थान होने के नाते पर्यावरण तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई बनने का विजन रखती है।

गत वर्ष की समीक्षा

मुझे यह उल्लेखित करते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल के प्रचालनीय संयंत्र यथा, 1000 मे.वा. टिहरी एचपीपी तथा 400 मे.वा. कोटेश्वर एचईपी भली–भांति कार्य कर रहे हैं। इन संयत्रों ने 4189 मि.यू. के लक्ष्य के स्थान पर 4370 मि.यू. का उत्पादन किया। यह वृद्धि संयुक्त परिकल्पित ऊर्जा अर्थात 3952 मि.यू. से 10% से भी अधिक है। टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी ने क्रमशः 82% तथा 71% से अधिक प्रचालनीय दक्षता प्राप्त की

जो सामान्य आंकड़ों क्रमशः 77% तथा 68% से काफी अधिक है। वर्ष के दौरान सकल बिक्री वर्ष 2015–16 के 2466.5 करोड़ रू. की तुलना में 2094.8 करोड़ रू. रही। इस वर्ष का निवल लाभ पिछले वर्ष के 819.0 करोड़ रू.की तुलना में 713.9 करोड़ रू. रहा। इस वर्ष के लिए एमओयू रेटिंग ''बहुत अच्छी'' अपेक्षित है।

पहली बार आपकी कंपनी ने निजी बांडों के जरिए निधियां बढ़ाने के लिए वित्तीय बाजार में पदार्पण किया। इसके लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के ई–बिडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिनांक 29.09.2016 को बोलियां संचालित की गईं। आपकी कंपनी ने 7.59% की कूपन दर पर 600/– करोड़ रू एकत्रित किए। इस निर्गम को 3.5 गुना अधिक अभिदान प्राप्त हुआ।

तत्कालीन माननीय विद्युत, कोयला, खदान एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्व. प्रभार), श्री पीयूष गोयल से एनटीपीसी राजभाषा शील्ड प्राप्त करते श्री डी.वी. सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल

परियोजनाएं

444 मे.वा. विष्णुगाढ़ पीपलकोटी एचईपी तथा 1000 मे.वा. टिहरी पीएसपी निर्माणाधीन परियोजनाएं प्रमुख रूप से ठेकेदार मैसर्स एचसीसी लि. की नकदी समस्या के कारण प्रभावित हुई तथापि स्थानीय समस्याओं और भूगर्भीय कारणों से भी प्रगति की दर धीमी रही। आपकी कंपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आपके बोर्ड द्वारा की गई वित्तीय व्यवस्थाओं से इन परियोजनाओं को ट्रैक पर लाया जा रहा है जिससे वीपीएचईपी नवंबर, 2020 तथा टिहरी पीएसपी दिसंबर, 2020 तक चालू हो सकें।

वर्ष 2018–19 के दौरान उ.प्र. के झांसी जिले में 24 मे.वा. वाला ढुकवां एसएचपी भी चालू की जानी संभावित है। आपकी कंपनी ने ढुकवां लघु हाइड्रो परियोजना (24 मे.वा.) हेतु 05 दिसंबर, 2016 को 4.87 रू. प्रति यूनिट की दर से उ. प्र. पॉवर कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) से विद्युत खरीद संबंधी करार किया है। ''केनाल टॉप सोलर परियोजना'' के अंतर्गत चैनलों के ऊपर खुली जगह का इस्तेमाल करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं।

आपकी कंपनी इस समय अपनी पहली ताप विद्युत परियोजना 1320 मे.वा. एसटीपीपी खुर्जा पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है। वर्ष के दौरान इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहली अच्छी खबर यह है कि इसकी कोयले की आवश्यकता हेतु दिनांक 17.01.2017 को अमेलिया कोयला खदान का आबंटन पत्र जारी हो गया। दूसरी अच्छी खबर यह है कि खुर्जा परियोजना हेतु 30.03.2017 को पर्यावरण मंजूरी भी प्राप्त हो गई है।

आपकी कंपनी अब एसटीपीपी खुर्जा परियोजना और अमेलिया कोयला खदान कार्य को तीव्र गति देने के लिए सक्रिय है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सततता

कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठन (सीओएनजीओ) सेवा (सोसाइटी फार इम्पावरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज) आपकी कंपनी के प्रचालनीय व्यापारिक क्षेत्रों में लक्षित समुदायों की सतत जीविका, समग्र विकास तथा भलाई के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सीएसआर तथा सतत विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपकी कंपनी ने सीएसआर संचार रणनीति विकसित की है। जो " डू इट विद अस " अप्रोच के साथ स्टेकहोल्डरों के साथ दो तरफा संचार का अभिकथन करती है। सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के पीएटी के औसत का 2% राशि आबंटित की है।

आबंटन करार दस्तावेजों की अदला–बदली करते श्री डी.वी.सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल एवं श्री विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (भारत सरकार के द्वारा नामित प्राधिकारी)

आपकी कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि व्यापारिक गतिविधियां तथा सीएसआर गतिविधियां पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ निष्पादित की जानी चाहिए।

सततता रिर्पोटिंग अब आवधिक गतिविधि है और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश पर आधारित 7वीं सततता रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। सततता रिपोर्टों को पारदर्शिता और सुधार हेतु प्रतिपुष्टि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

कारपोरेट सुशासन

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुपालनार्थ आपकी कंपनी को प्रारंभ से ही 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई है। आपकी कंपनी कारपोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी सभी हितधारकों के लिए मूल्य सर्जन हेतु व्यावसायिक एवं पारदर्शी तरीकों को जारी रखेगी।

भावी दृष्टिकोण

आप मुझसे सहमत होंगे कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके पर्यावरण प्रभाव को कम करके विद्युत उत्पादन की राष्ट्रीय मांग को पूरा करना और जरूरतमंदों की मदद करना समय की मांग है। समग्र विकास के लिए अर्थव्यवस्था के चौमुखी लाभ हेतु परियोजना समय तथा लागत को स्थिर रखने की आवश्यकता है। आपकी कंपनी वर्तमान में चल रही सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है जिससे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य किया जा सके।

आभार

देवियों और सज्जनों, ऊर्जा और उत्साह, ईमानदारी और समर्पण से परिपूर्ण, लगभग 1937 कर्मचारी आपकी कंपनी की सफलता का चालक बल हैं। सभी कर्मचारियों को ज्ञान, कौशल प्राप्त करने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिलाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी की प्रशंसा करें जिसके ये वास्तविक पात्र हैं।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार को उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सीईए, सीडब्ल्यूसी के प्रति भी उनके बहुमूल्य सहयोग और सहायता के लिए धन्यवाद करता हूं।

मैं इस अवसर पर अन्य सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का भी उनके सहयोग हेतु धन्यवाद करता हूं। मैं

29वीं वार्षिक आम बैठक का दृश्य

सभी हितधारकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम पर विश्वास किया और निरंतर सहयोग किया। मैं आपकी कंपनी की प्रगति के लिए वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों के प्रति भी उनके सहयोग और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं बोर्ड के सभी सम्मानित सहयोगियों का उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए सराहना करता हूं।

मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं, भविष्य में भी आपके सहयोग और उत्साहवर्धन की कामना करता हूं।

शुभकामनाओं सहित

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 20.09.2017

निदेशकों की प्रोफाइल

श्री धीरेन्द्र वीर सिंह ने 01.12.2016 को टीएचडीसी इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार ग्रहण किया । वर्तमान में आप टीएचडीसीआईएल के निदेशक(तकनीकी) का प्रभार भी संभाले हुए हैं । श्री सिंह एनआईटी, राऊरकेला से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक (1983) है और आपको भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह कार्यों, स्पिलवे, संविदा, सामग्री प्रबंधन, पुनर्वास एवं भारी सिविल निर्माण में 03 दशकों से अधिक समय का व्यापक अनुभव है। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह ने लार्जन एवं टूब्रो में कार्य किया है ।

श्री सिंह ने टिहरी विद्युत गृह के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई तथा आप इसकी योजना एवं निर्माण के प्रभारी थे । टिहरी परियोजना की स्पिलवे प्रणाली के निर्माण एवं योजना के साथ ही इससे जुड़े विभिन्न कार्यों जैसे संविदा एवं सामग्री प्रबंधन, भवन एवं सड़क निर्माण आदि में भी आपने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई। परियोजना के द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर बसाने एवं उनके पुनर्वास में भी आप गहरी संवेदनशीलता के साथ जुड़े रहे ।

श्री सिंह को कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4 x 100 मेगावाट) को वापस पटरी पर लाने में सहायता करने का श्रेय भी जाता है जब यह परियोजना अनेक विरामों के कारण पटरी से उतर चुकी थी । आपने इसके कार्यान्वयन में अनेक नवाचारी कार्य किए और चार वर्षों के रिकार्ड समय में टीएचडीसीआईएल की इसे चालू करने में सहायता की । श्री सिंह को वर्ष 2012 में आईआईटी, रूड़की में ''इंस्टीट्यूशन्स ऑफ इंजीनियर्स'' (इंडिया) के राष्ट्रीय सम्मेलन में ''इमिनेंट इंजीनियर'' की उपाधि से विभूषित किया गया । आपको ''इंस्टीट्यूशन्स ऑफ इंजीनियर्स'' (इंडिया) द्वारा ''चार्टर्ड इंजीनियर'' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है ।

श्री राज पाल 30 अगस्त, 2017 से टीएचडीसी इंडिया लि. में भारत सरकार के नामित निदेशक नियुक्त किए गए हैं । श्री राज पाल विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार है तथा आप इंडियन इकॉनोमिक सर्विस से हैं । आपने इकॉनोमिक्स में मास्टर्स एवं एम. फिल किया है । आपने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकॉनोमिक्स, टोकियो, जापान से डेवलपमेंट स्टडीज में डिप्लोमा भी किया है। इंडियन इकॉनोमिक सर्विस के सदस्य के रूप में श्री राज पाल को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि में लगभग 28 वर्ष का कार्यानुभव है। विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के वर्तमान पद का कार्यभार संभालने से पूर्व टेलीफोन रेग्युलेटरी एथारिटी ऑफ इंडिया में आपने सलाहकार, आर्थिक विनिमय के रूप में कार्य किया है ।

श्री सुरेश चन्द्र 28 सितंबर, 2016 से टीएचडीसी इंडिया लि. में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं । आपने उ.प्र.सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है । वर्तमान में श्री सुरेश चन्द्र उ.प्र.सरकार में प्रमुख सचिव (सिंचाई) के पद पर हैं।

श्री एस.के. बिस्वास ने 01.11.2012 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया। आपको मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री बिस्वास ने 01.11.2007 को महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) के रूप में टीएचडीसीआईएल में कार्यभार संभाला था। इससे पूर्व आपने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों (पीएसयूएस) अर्थात सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में विभिन्न पदों पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। श्री बिस्वास साइंस स्ट्रीम में स्नातक हैं एवं एक्सआईएसएस से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर तथा हिमाचल विश्वविद्यालय से एलएलबी और इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से प्रशिक्षण और विकास में डिप्लोमा धारक हैं।

श्री श्रीधर पात्रा ने 02.08.2013 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला है। आपको सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों जैसे ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) में 29 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री पात्रा उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य के स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। आपने विद्यासागर विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (मानव संसाधन विकास) किया है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने व्यावसायिक रोजगार के अतिरिक्त एक शिक्षाविद के रूप में योगदान दिया है।

श्री बची सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं। आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा चुनाव क्षेत्र से 04 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। आप विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय (1999–2004) में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में केंद्रीय राज्यमंत्री रहे हैं। आप केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री (अक्टूबर–नवंबर 1999) भी रह चुके हैं। आप भारत सरकार की विभिन्न समितियों जैसे रक्षा समिति एवं इसकी उप समिति, सदन में बैठने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति समिति तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री मोहन सिंह रावत की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। आप मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। आपने 1978 में गांवों के पूर्ण विकास के लिए गांव बसाओ अभियान चलाया। 1996 में आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं तत्पश्चात विभागीय सचिव एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए । आपके द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए आपको गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने 2001 में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। आपको 1996 में पौड़ी विधानसभा से विधायक चुना गया तथा ग्राम पंचायती राज, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा मंत्री के रूप में नामित किया गया तथा जलागम प्रबंधन के केबिनेट मंत्री के रूप में भी चुना गया। आपने कई कार्यशालाएं आयोजित कर मौसम परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए अभियान चलाया तथा वर्ष 2014 में भारत सरकार के राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया ।

श्री महाराज के. पंडित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्यावरण अध्ययन विभाग में प्रोफेसर तथा माउंटेन एंड हिल डेवलपमेंट के अंतर कार्यक्षेत्र अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं। आपने दिल्ली विश्ववविद्यालय से बीएससी एवं पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में एक दशक से अनुसंधान अध्ययन करने के पश्चात वहीं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्येता हैं जहां आप विश्वविद्यालय के अध्येता कार्यक्रम के विजिटिंग वरिष्ठ सदस्य के रूप में कार्यरत रह चुके हैं और भूगोल विभाग में सहायक नियुक्ति पर हैं। आप 2014 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए भी चुने गए हैं। आप जेपी एसोशिएट, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी, रिलायंस पावर इत्यादि के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अध्ययन और पर्यावरणीय प्रबंध योजना के जैव विविधता अध्ययनों का एक हिस्सा भी रहे हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट 2016–17

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की समीक्षा सहित कंपनी के निष्पादन पर 29वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- वर्ष 2015–16 के 4348.29 मि.यू. की तुलना में वर्ष 2016–17 में विद्युत उत्पादन बढ़कर 4370.82 मि.यू. हो गया।
- डिस्कॉम्स से राजस्व वसूली का आंकड़ा चालू वर्ष की बिक्री का 100% था।
- वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी को ''बहुत अच्छा'' एमओयू रेटिंग प्रदान की गई।
- वर्ष 2015–16 के दौरान 10905.91 मिलियन आइएनआर की तुलना में वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (केपेक्स) 14638.6 मिलियन आईएनआर था।
- वर्ष 2016–17 के दौरान दो पवन विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक चालू की गई–पाटन, गुजरात में 29 जून, 2016 को 50 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र तथा देवभूमि, द्वारका, गुजरात में 31 मार्च, 2017 को 63 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र चालू किया गया।
- 5 दिसंबर, 2016 को उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना(24मे.वा.) के लिए 4.87 प्रति यूनिट की दर से विद्युत क्रय करार।
- टीएचडीसीआईएल के लिए अमेलिया कोयला खान आबंटन आदेश 17.01.2017 को जारी किए गए।
- खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी 30.03.2017 को प्रदान की गई।
- टीएचडीसीआईएल को 11.04.2016 को स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार–2016 तथा 17.03.2017 को मानव संसाधन पुरस्कार प्रदान किया गया।
- केंद्रीय सिचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) द्वारा दिसंबर 2016 में आपकी कंपनी को ''उत्कृष्ट अनुरक्षित परियोजना'' पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी को एए+ क्रेडिट रेटिंग प्रदान की गई।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं:–

भूमिगत टिहरी विद्युत गृह का दृश्य

(रू. मिलियन में)

विवरण	2016–17 (भा. ले. मा.आंकड़े)	2016–17 (भा. ले. मा.आंकड़े)
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20948	24665
अन्य आय	1412	148
सकल आय (क)	**22360**	**24813**
व्यय		
कर्मचारियों के हितार्थ व्यय	2542	2286
वित्तीय लागत	2911	3289
मूल्यह्रास	5256	4966
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1951	1800
संदिग्ध ऋण, प्राप्य, बट्टे खाते हेतु प्रावधान	45	1
असाधारण मदें – (आय)/व्यय–निवल	1615	3483
कुल व्यय (ख)	**14320**	**15825**
कर पूर्व लाभ(पीबीटी) (ग=क–ख)	**8040**	**8988**
कर	901	798
(i) सतत प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ	7139	8190
(ii) अन्य वृहत आय		
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	(41)	(30)
आयकर से संबंधित अन्य मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं हो सकेंगी – आस्थगित कर संपत्तियां	14	10
अन्य वृहत आय (ii)	(27)	(20)
कुल वृहत आय (i+ii)	7112	8170

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व एवं लाभ

सकल राजस्व, करोपरांत लाभ (पीएटी) तथा सकल राजस्व के प्रति करोपरांत लाभ के % में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

(रू. मिलियन में)

विवरण	2016-17	2015-16	कमी
सकल राजस्व	22360	24813	2453
करोपरांत लाभ	7112	8170	1058
सकल राजस्व के प्रति करोपरांत लाभ का %	31.81%	32.93%	

गत पांच वर्षों के निवल लाभ का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण नीचे दर्शाया गया है :

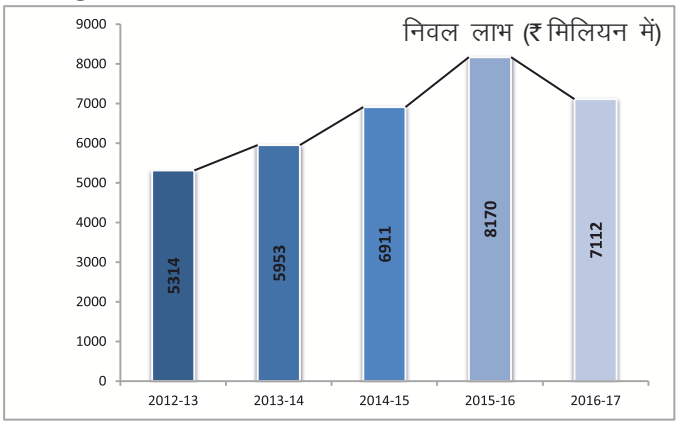

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए रू. 1000/– सममूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर रू. 39.43 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वर्ष के लिए रू. 1418.90 मिलियन के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया। कंपनी के निदेशक मंडल ने रू. 791.100 मिलियन के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है। अतः वित्त वर्ष 2016–17 के लिए रू. 1000/– प्रत्येक सममूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर रू. 61.41 प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल लाभांश रू. 2210 मिलियन हो गया जो प्रदत्त पूंजी का 6.141 प्रतिशत तथा जो करोपरांत लाभ (पीएटी) का 31.07% है। डीआईपीएएम द्वारा पूंजी संरचना के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के अनुसार सीपीएसई से कर पश्चात लाभ का 30% या शुद्ध परिसंपत्ति का 5 प्रतिशत की दर से जो भी अधिक हो, लाभांश देना अपेक्षित है। टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2017–18 के कैश आउट फ्लो पर विचार करते हुए वित्त वर्ष 2016–17 के लिए शुद्ध परिसंपत्ति के 5 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान से छूट मांगी है। डीआईपीएएम द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

पूंजीगत ढांचा एवं नेटवर्थ

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 40000 मिलियन रू. है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 35989 मिलियन रू. है। वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत सरकार को 400 मिलियन रू. मूल्य के इक्विटी शेयर आबंटित किए। 31.03.2017 को कंपनी की शुद्ध परिसंपत्ति रू. 81008.10 मिलियन है।

प्रचालनात्मक निष्पादन 2016–17

विद्युत उत्पादन

वर्ष के दौरान क्रमशः 50 मे.वा. एवं 63 मे.वा. की पाटन एवं द्वारका में दो यूनिटों के चालू होने के साथ आपकी कंपनी की संस्थापित क्षमता बढ़कर 1513 मे.वा. हो गई है। इन परियोजनाओं के चालू होने के साथ आपकी कंपनी की प्रचालन परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 4 हो गई है।

बोर्ड को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2016–17 के दौरान टिहरी एचपीपी ने 82.04 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के साथ 3146.26 मिलियन यूनिट (एमयू) का वार्षिक उत्पादन प्राप्त कर लिया है जबकि एमओयू ज्ञापन में 81.4576 प्रतिशत पीएएफ के साथ 2964.82 मि.यू. का लक्ष्य था। कोटेश्वर एचईपी ने एमओयू में 70.3324 प्रतिशत के साथ 1224.30 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 70.887 प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के साथ 1224.56 मिलियन यूनिट (एमयू) का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

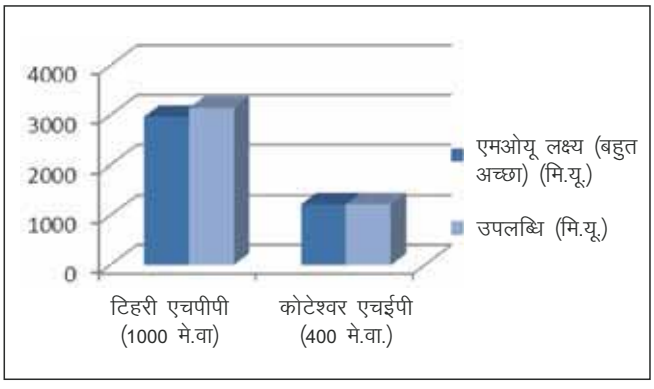

•टिहरी तथा कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों से उत्पादन

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं:–

संयंत्र का नाम	मि.यू. में उत्पादन		पीएएफ में प्रतिशतता		
	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा)	उपलब्धि	एमओयू लक्ष्य (बहुत अच्छा)		उपलब्धि
टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	2964.82	3146.26	81.4576		82.048
कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1224.30	1224.56	70.3324		70.887
जोड़	**4189.12**	**4370.82**	भारित औसत	**78.279**	**78.859**

पवन विद्युत उत्पादन

वित वर्ष 2016–17 के दौरान पवन विद्युत उत्पादन निम्नवत है:–

संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता	एमयू में उत्पादन
पाटन पवन विद्युत परियोजना	50 मे.वा.	59.041
द्वारका पवन विद्युत परियोजना (31 मार्च, 2017 को चालू)	63 मे.वा.	0.1387

वाणिज्यिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी डिस्कॉम्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। गत वर्ष की तुलना में आपकी कंपनी के कारोबार से राजस्व के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ब्यौरे इस प्रकार हैं–

(मिलियन रू में)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रचालनों से राजस्व	20948	24665
नकदी वसूली (%)	100	100

आपकी कंपनी ने बडोदरा में पवन विद्युत परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड(जीयूवीएनएल) के साथ 15 जून, 2016 को 50 मे.वा. के लिए पाटन, गुजरात तथा 3 जनवरी, 2017 को 63 मे.वा. के लिए द्वारका गुजरात हेतु विद्युत क्रय करार किया है। पाटन परियोजना के लिए 2–2 मे.वा. की 25 मशीनें हैं जो पाटन जिले में 90 मीटर की मस्तूल ऊंचाई के साथ अमरापुर गांव में चारों और फैली हुई है। पूरे पाटन पवन संयंत्र के लिए लगभग 110 मि.यू. की वार्षिक डिजाइन ऊर्जा है। इस परियोजना का सहमत टैरिफ पूरे 25 वर्ष के जीवन काल हेतु रू.4.15 प्रति यूनिट(लेवलाइज्ड/समतल टैरिफ) निर्धारित है। पाटन परियोजना 29 जून, 2016 से पूर्णतः प्रचालनात्मक है। द्वारका संयंत्र में 120 मीटर की मस्तूल ऊंचाई के साथ 2.1–2.1 मे.वा. की 30 मशीनें हैं। पूरे संयंत्र के लिए वार्षिक डिजाइन ऊर्जा करीब 144 एमयू है। इस परियोजना की लेवलाइज्ड टैरिफ रू. 4.19/यूनिट निर्धारित है जो परियोजना के पूरे 25 वर्ष की अवधि के लिए लागू है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त ये उत्पादन केंद्र रू. 0.50 प्रति यूनिट की दर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्राप्त करने के हकदार भी हैं बशर्ते कि 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए रू. 100 लाख प्रति मे.वा. की कैंपिंग हो।

आपकी कंपनी ने लखनऊ में 5 दिसंबर, 2016 को उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना (3 **x** 8 मे.वा.) के लिए विद्युत क्रय करार किया है। इस परियोजना का टैरिफ (लेवलाइज्ड टैरिफ) रू. 4.87 प्रति यूनिट की दर से परियोजना पूरे 35 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। ढुकवां एसएचपी लगभग 100 मि.यू. वार्षिक विद्युत ऊर्जा उत्पादित करेगी तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा सामान्य रूप से उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की स्थिति मजबूत करेगी।

परियोजना वित्तपोषण

कंपनी ने वीपीएचईपी के लिए विश्व बैंक के साथ 648 अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण सुनिश्चित किया है। टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए एसबीआई के नेतृत्व वाले सहायता संघ के साथ रू. 15000 मिलियन का ऋण तथा सोसाइटे जनरेल के साथ 83.87 मिलियन यूरो का ऋण सुनिश्चित किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने वीपीएचईपी के लिए विश्व बैंक से रू. 40.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर एवं टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए एसबीआई के नेतृत्व वाले सहायता संघ से रू. 613.30 मिलियन की ऋण राशि का आहरण किया है।

कारपोरेट बांड निर्गमः

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने आगामी/चालू परियोजनाओं के पूंजी खर्च को वहन करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 7.59 प्रतिशत् की दर से रू. 6000 मिलियन के सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बांड जारी किए। बांड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज/बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। बांड 10 वर्ष पश्चात प्रतिदेय होंगे तथा वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा।

वित्तीय विवरणः

ऋणदाता का नाम	ऋण राशि	मुद्रा	वर्ष 2016–17 के दौरान आहरित राशि	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	यूएस डॉलर 648 मिलियन	यूएस डॉलर	रू. 2576.35 मिलियन*	रू.6003.89 मिलियन
एसबीआई	रू15000 मिलियन	रू.	रू.613.30 मिलियन	रू.12276.50 मिलियन
सोसाइटे जेनरैल	83.87 मिलियन यूरो	यूरो	0.00	0.00
कारपोरेट बांड्स	रू.600	रू.	लागू नहीं	रू. 600

• विनिमय दर परिवर्तनीय है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

- **टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट)**

पंप स्टोरेज प्लांट(पीएसपी) पानी के पुनर्चक्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। टिहरी पीएसपी में प्रत्येक 250 मेगावाट की 4 रिवर्सिबल इकाईयां होंगी। ये ऑफ पीक ऊर्जा को पीक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगी। ऑफ पीक घंटों के दौरान पंपिंग प्रचालन के लिए 1651.66 मिलियन यूनिट ऊर्जा की जरूरत होगी। पीक घंटों के दौरान यह टरबाइन मोड पर कार्य करेगी ताकि उत्तरी क्षेत्र के लिए 1321.82 मि.यू. अतिरिक्त पीकिंग विद्युत का उत्पादन किया जा सके।

जुलाई, 2011 में ईपीसी संविदा ठेका दिए जाने के चलते कंपनी को विभिन्न बाह्य कारकों का सामना करना पड़ा जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान से समग्र खनन के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने की मनाही तथा सिविल ठेकेदार मैसर्स एचसीसी लि. के साथ नकदी संकट जिसके चलते कार्य की प्रगति धीमी हुई है। हालांकि, स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार बातचीत और वाह्य एजेंसियों के साथ अंतरंग समन्वय के चलते कंपनी निरंतर कार्य करने में सक्षम हुई है। एक साथ सभी मोर्चों पर काम में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों को अस्थाई ब्याज आधारित काम चलाए रखने के पूंजीगत वित्त पोषित किया गया है। विभिन्न अवसंरचनाओं के सभी प्रवेश एडिट्स तथा जल ड्रेनेज गैलरियों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस समय अपस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट– 3 व 4, बटर फ्लाई वाल्व चैम्बर (बीवीसी), बस बार टनल, मशीन हाल, डाउनस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट तथा टीआरटी की खुदाई का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। कंट्रोल रूम, बसबार व टीआरटी में कंक्रीटिंग भी प्रगति पर है। 267.38 करोड़ रू. तथा 61.56 मिलियन यूरो (कुल अनुमानित 663.29 करोड़ भारतीय रूपये) की राशि के उपस्कर/सामग्री परियोजना स्थल पर पहुंच गए हैं। विद्युत गृह में दोनों ईओटी क्रेनों का उत्थापन पूरा हो गया है सभी 04 जेनरेटर स्टेप अप ट्रांसफार्मर (जीएसयू) कैवर्न के अंदर स्थापित कर दिए गए हैं। जीआईएस एवं जीआईबी का कार्य प्रगति पर है। बैकफिल कंक्रीट सहित पेनस्टॉक स्टील लाइनर का उत्थापन प्रगति पर है।

परियोजना की अनुमोदित लागत, किए गए व्यय एवं कमीशनिंग की समय–सूची का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(राशि मिलियन रू. में)

परियोजना लागत		कार्य पूरा होने की समय–सूची	
अनुमोदित (आरसीई* अनुमोदन नवंबर, 11)	**व्यय** (जून,17 तक)	**अनुमोदित** (आरसीई अनुमोदन नवंबर, 11)	**प्रत्याशित**
29788.6 **(अप्रैल,10 मूल्य स्तर)**	22616.4 (75.92%)	फरवरी–16	दिसंबर–20

पुनरीक्षित अनुमानित लागतः जनवरी, 17 के मूल्य स्तर पर 3939.11 करोड़ (4773.0 मिलियन की आईडीसी एवं एफसी सहित) आरसीई 29.03.2017 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

2016–17 के लिए सहमति ज्ञापन की उपलब्धिः दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं:–

1. विद्युत गृह मशीन हॉल सर्विस बे क्षेत्र – जुलाई–2016 तक ईओटी क्रेन–2 का उत्थापन उत्कृष्ट रेटिंग के अंतर्गत 29 जून, 2016 को प्राप्त कर लिया गया।

2. जनवरी–17 तक पेनस्टॉक (जलकपाट) फ्लोर लेवल ईएल 568.0 मी. यूनिट एरिया तक की बेंचिंग तक बहुत अच्छी रेटिंग के अंतर्गत 30 जून–17 को प्राप्त कर ली गई।

- **विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4 x 111 मेगावाट)**

वीपीएचईपी एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसमें चमोली जिले की अलकनंदा नदी में कुल 237 मी. के ग्रोस हेड का दोहन करने के लिए 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध की परिकल्पना की गई है। इससे प्रति वर्ष 1674 मि.यू (90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष) का उत्पादन होगा।

सिविल और एच एम पैकेजों के लिए मैसर्स एचसीसी लिमिटेड, मुंबई के साथ 54 माह में पूर्णता अवधि के साथ दिनांक 17.01.2014 को संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। बांध स्थल पर डाइवर्जन सुरंग, डी–सिल्टिंग चैम्बर्स, एडिटस टू इनटेक सुरंगों, एचआरटी का गेट प्रचालन चेम्बर(जीओसी), एचआरटी की खुदाई (टीबीएम द्वारा), एसएफटी एवं एसएफटी–जीओसी आदि तक एडिट का कार्य प्रगति पर है। विद्युत गृह परियोजना स्थल पर विद्युत गृह ट्रांसफार्मर हॉल, प्रमुख प्रवेश सुरंग, डाउन स्ट्रीम सर्ज शाफ्ट तल के लिए एडिट, डाउन स्ट्रीम सर्ज शॉफ्ट का आगे उत्खनन प्रगति पर है। टीआरटी की खुदाई भी चल रही है। तथापि, कार्य की प्रगति में स्थानीय निवासियों द्वारा बंद करवाने/व्यवधान पैदा करने के कारण असर पड़ा है। ठेकेदार के साथ भूवैज्ञानिक विचलन, नगदी प्रवाह एवं अपर्याप्त संसाधन जुटाने की समस्या है। स्थानीय मुद्दों को स्थानीय लोगों के साथ लगातर संवाद एवं जिला प्रशासन की मदद से सुलझाने की कोशिश की जा रही है कभी–कभी जिला न्यायलय से भी हस्तक्षेप का अनुरोध किया जाता है। कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए नकदी प्रवाह में सुधार करने हेतु उन्हें वहनीय ब्याज पर वित्तीय सहायता देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

इलैक्ट्रो–मैकेनिकल कार्यों के लिए मैसर्स बीएचईएल, नोएडा के साथ 48 माह की पूर्णता अवधि के साथ दिनांक 18.11.2014 को हस्ताक्षर किए गए। विद्युत गृह स्थल का ले–आऊट अनुमोदित हो चुका है परियोजना के विभिन्न स्थलों पर मृदा प्रतिरोधकता के मापन किए जा चुके हैं। विद्युत गृह, बीएफवी तथा जीआईएस हॉल के लिए ईओटी क्रेन के क्रेन क्लीयरेंस रेखाचित्र को अंतिम रूप दिया गया है। शेष परिकल्प एवं अभियांत्रिकी कार्य प्रगति पर है। सिविल एवं एचएम तथा ईएम कार्यों के एक साथ पूर्ण होने पर परियोजना को दिसंबर, 2019 तक चालू किए जाने की संभावना है। तथापि ठेकेदारों की नगदी प्रवाह समस्याओं, स्थानीय लोगो द्वारा निरंतर बाधाएं एवं भौगोलिक भिन्नताओं के कारण हुई देरी से परियोजना का अब नवंबर, 20 में चालू होना प्रत्याशित है।

परियोजना की अनुमानित लागत, व्यय और कमीशनिंग की समय–सूची नीचे दी गई है–

(राशि मिलियन रू. में)

परियोजना लागत		कार्य पूरा होने की समय–सूची	
अनुमोदित	व्यय (जून,17 तक)	अनुमोदित	प्रत्याशित
24915.8 (मार्च, 08 मूल्य स्तर) (अगस्त,08 के निवेश अनुमोदनानुसार)	11892.9 (47.7%)	जून–2013 (अगस्त, 08 के निवेश अनुमोदनानुसार)	नवंबर–20

- **ढुकुवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)**

ढुकुवां लघु जल विद्युत परियोजना को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूद ढुकुवां मेसेनरी सह अर्थात बांध के सिरे के अंत में निर्माण करने का विचार किया गया है। 24 मेगावाट (3 X 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता से युक्त परियोजना, बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का हिस्सा है। परियोजना के पूरा हो जाने पर यह प्रति वर्ष 97.82 मि.यू. बिजली का उत्पादन करेगी।

- अप्रोच चैनल, इनटेक क्षेत्र, एचआरसी और विद्युत गृह कार्य की खुदाई लगभग पूरी हो गयी है। एचआरसी क्षेत्र में क्रास ड्रेनेज कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त एचआरसी इनटेक क्षेत्र, विद्युत इनटेक क्षेत्र, विद्युत गृह एवं फोरबे क्षेत्र में कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।

- परियोजना स्थल पर हाइड्रो–मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपस्करों की आपूर्ति प्रगति पर है। डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदन का कार्य प्रगति पर है। डीटी एल्बो–लाइनर का उत्थापन प्रगति पर है पैनस्टॉक के लिए फैरल्स के उत्थापन का कार्य भी प्रगति पर है।
- विद्युत निकासी व्यवस्था को यूपीपीटीसीएल के साथ अंतिम रूप दिया गया है। इसके लिए वन स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना की लागत, इस पर किया गया व्यय और कमीशनिंग समय–सूची नीचे दी गई है–

(राशि मिलियन रू. में)

परियोजना लागत		पूर्णता अनुसूची	
अनुमोदित	व्यय (जून–17 तक)	अनुमोदित	प्रत्याशित
2946.0 (जुलाई–16 मूल्य स्तर)*	1177.6 (60.26%)	फरवरी–14	2018-19

- **मलेरी झेलम एवं झेलम तमक**

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 2013 के अपने आदेश द्वारा उत्तराखंड में 24 जल विद्युत परियोजनाओं, जिसमें आपकी कंपनी की मलेरी झेलम एवं झेलम तमक परियोजना भी शामिल हैं, की पर्यावरण स्वीकृति पर रोक लगा दी है। 31 मार्च, 2017 तक 13.76 करोड़ रू. खर्च हो चुके हैं। इसे सीडब्ल्यूआईपी (पूंजीगत कार्य प्रगति पर) के अंतर्गत दर्शाया गया है क्योंकि मामला न्यायाधीन तथा शीर्ष न्यायालय में लंबित है।

अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में विविधीकरण:

आपकी कंपनी जल विद्युत से ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे पवन, सौर, ताप में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण कर रही है। ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए कंपनी की गतिविधियां निम्नवत हैं–

- **पवन विद्युत परियोजना**

(क) 50 मे.वा.(25 X 2मे.वा) पाटन विंड फार्म, जिला पाटन, गुजरात

29 जून, 2016 को 25 पवन टरबाइन के वाणिज्यिक प्रचालन के साथ राष्ट्रीय ग्रिड में 50 मे.वा. की नवीकरणीय ऊर्जा में योगदान दिया है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण किया है। गुजरात के पाटन जिले में पवन टरबाइन संस्थापित किए गए। वित्त वर्ष 2016–17 में परियोजनाओं ने 59.041 मि.यू. ऊर्जा उत्पादित की। परियोजना को रू. 1 करोड़ प्रति मे.वा. के केप के साथ रू. 0.50 प्रति यूनिट उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(जीबीआई) का लाभ उठाने के लिए इरेडा के साथ पंजीकृत किया गया है। परियोजना के एमएनआरई की योजना के अंतर्गत कुल रू. 50 करोड़ की जीबीआई प्राप्त होगी।

(ख) 63 मे.वा (30 X 2.1 मे.वा.) जिला देवभूमि द्वारका , गुजरात

पाटन में 50 मे.वा. (25 X 2 मे.वा.) पवन ऊर्जा परियोजना के चालू होने के परिणामस्वरूप, टीएचडीसीआईएल ने गुजरात के जिला देवभूमि द्वारका में दिसंबर, 2016 में विकासक की अनुमति एवं गुजरात सरकार से स्थानान्तरण अनुमति प्राप्त होने के बाद 63 मे.वा. (30 X 2.1 मे.वा.) क्षमता की अपनी द्वितीय पवन ऊर्जा परियोजना को 3 महीने अर्थात 31.03. 2017 को रिकार्ड अवधि में सफलतापूर्वक चालू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप टीएचडीसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से रू. 630 मिलियन की राशि का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के अनुदान का पात्र हो गया है।

- **सौर विद्युत परियोजना:**

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 13.02.2015 को कुल 250 मे. वा. क्षमता की चरणबद्ध तरीके से ग्रिड कनैक्टिंग सौर विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल में 50 मे.वा. सौर पीवी परियोजना की स्थापना के

टिहरी जलाशय

लिए एसईसीआई, केएसईबी एवं टीएचडीसीआईएल के बीच दिनांक 31.03.2015 को त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। जिला कासरगोड, केरल के सौर पार्क में 50 मे. वा. सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए भूमि का कब्जा एसईसीआई द्वारा ले लिया गया है।

एसईसीआई द्वारा दीर्घ बोली प्रक्रिया के जरिये विपरीत बोली अप्रैल, 2017 में पूरी की गई। लाभार्थी राज्य केएसईबी केरल के साथ विद्युत आपूर्ति करार (पीएसए) पर हस्ताक्षर होने के बाद ठेका अवार्ड किया जाएगा।

केएसईबी के साथ एमओयू एवं त्रिपक्षीय करार के क्रम में एसईसीआई के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ईपीसी ठेकेदार के चयन के लिए टीएचडीसीआईएल में सर्वोत्तम औद्योगिक पद्धतियों का अनुसरण किया है।

- **ताप विद्युत परियोजना–खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन–(1320 मे.वा.)**

उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में कोयला आधारित 1320 मे.वा. का सुपर थर्मल पावर प्लांट(एसटीपीपी) स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र से कुल वार्षिक विद्युत उत्पादन 9828 मि.यू. होगा जो संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) के 85% के समनुरूप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 53 क्यूसेक पानी छोड़े जाने संबंधी प्रतिबद्धता पत्र जारी किया है। 660 मे.वा. की तीसरी यूनिट के भावी विस्तार के साथ 660–660 मे.वा. की 2 यूनिटों के कार्यान्वयन के लिए 1200 एकड़ भूमि के पूरे प्लाट का उपयोग करते हुए परियोजना का ले–आउट और डीपीआर पुनरीक्षित कर दिए गए हैं तथा पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकार भी कर लिया है।

भूमि अधिग्रहण सहित निवेश पूर्व गतिविधियों के लिए 5858. 2 मिलियन रूपये की राशि खर्च करने के लिए भारत सरकार ने 20.11.2015 को स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न गतिविधियों की स्थिति निम्नवत है–

- ग्राम सभा सहित कुल (1200.843 एकड) भूमि का मूल कब्जा ले लिया गया है। भूमि के सुरक्षित कब्जे हेतु फेंसिंग सहित खम्भों को लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
- संयंत्र की भूमि में से गुजरने वाली सडकों को निकटवर्ती गांवों की ओर डाइवर्जन कार्य प्रगति पर है।
- परियोजना स्थल कार्यालय का कार्य पूरा हो गया है तथा 1 अक्टूबर, 2016 से इसमें कार्य चल रहा है। सौर विद्युत के अतिरिक्त यूपीपीसीएल से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है।
- कार्यस्थल के नजदीक मैसर्स यूपीआरएनएन द्वारा ट्रांजिट कैंप/अतिथि गृह का निर्माण प्रगति पर है।
- अमेलिया कोयला ब्लॉकः

कोयला मंत्रालय द्वारा 29.08.2016 को अमेलिया कोयला खान टीएचडीसीआईएल को आबंटित कर दी गई है। आबंटन आदेश 17.01.2017 को जारी किया जा चुका है।

श्री डी.वी.सिंह, अ.प्र.नि., श्री एस.के.बिस्वास, निदेशक (कार्मिक), श्री श्रीधर पात्रा, निदेशक (वित्त) एवं श्री मोहन सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक, टीएचडीसीआईएल के द्वारा टीएचडीसीआईएल की '' सर्वश्रेष्ठ सीएसआर संव्यवहारों पर सार–संग्रह'' का विमोचन करते हुए

- परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति 30.03.2017 को प्रदान की गई है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी बुलंदशहर) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर लिया गया है।
- मसौदा पीआईबी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है एवं 31.08.2017 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।
- टीएचडीसीआईएल के शिविर कार्यालय ने वैधान, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।
- अमेलिया कोयला खान के लिए कुल 1978.55 हेक्टेयर भूमि की स्वीकृतियां विभिन्न चरणों में हैं।

2016–17 के लिए एमओयू लक्ष्यों की उपलब्धिः नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

- 1. विद्युत संयंत्र के लिए 1200 एकड़ भूमि हेतु अनुग्रह राशि का 100% भुगतान नवंबर, 2016 तक उत्कृष्ट रेटिंग के अंतर्गत 30 जून, 2016 को प्राप्त कर लिया गया है।
- 2. 15 फरवरी, 2017 को कोयला लिंकेज की उपलब्धता उत्कृष्ट रेटिंग के अंतर्गत प्राप्त कर ली गई है।

सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अंतर्गत परियोजनाएं

भूटान में परियोजनाओं का विकास

- **संकोश एचईपी (8 x 312.5 मेगावाट)**

प्रस्तावित परियोजना में 215 मीटर ऊंचे रोलर संपीडित कंक्रीट बांध तथा 2500 मे.वा. (8 x 312.5 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता के साथ 5,949.05 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन सहित मुख्य बांध के ठीक नीचे दो विद्युत गृह (बांए एवं दाएं छोर पर) मुख्य बांध के डाउनस्ट्रीम में 416.34 मि.यू. की ऊर्जा उत्पादन के साथ एक विनियामक बांध (3 x 28.33 मेगावाट) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। संकोश एचईपी, भुटान का कुल ऊर्जा उत्पादन 6365.39 मि.यू. है तथा अप्रैल, 2016 के मूल्य स्तर पर परियोजना की लागत 123820.32 मिलियन रू. है।

संकोश एचईपी के लिए डीपीआर की जांच कर ली गई हैं तथा सीईए/सीडब्ल्यूसी द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सीईए द्वारा संकोश एचईपी की डीपीआर का मूल्यांकन पत्र 06.06.2017 को जारी किया गया।

- **बुनाखा एचईपी (3 x 60 मेगावाट)**

प्रस्तावित परियोजना में 707.44 मि.यू. ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन सहित ऊर्ध्वाधर फ्रांसिस टरबाइन (3 x 60 मेगावाट) की संस्थापना सहित भंडारण बांध और तलीय विद्युत गृह निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना की निर्माण अवधि 69 माह है। फरवरी, 14 के दौरान, भूटान

स्वतंत्रता दिवस समारोह

की शाही सरकार की केबिनेट ने बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच कार्यान्वयन के लिए अंतर्सरकारी करार (आईजी) पर अप्रैल, 2014 में हस्ताक्षर किए गए हैं।

परियोजना का निर्माण एकमात्र परियोजना के रूप में करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना गया है। सीईए/सीडब्ल्यूसी ने बांध की लागत डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं की अंशधामिता के लिए बनाए गए फार्मूला के आधार पर फंडिंग पैटर्न निर्धारित किया है। सभी हितधारकों ने बुनाखा के लिए सहमत अंतिम लागत अंशभागिता तंत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लागत अनुमान जो मूलतः 2013 मूल्य स्तर पर तैयार किए गए थे, उन्हे अप्रैल, 2015 के मूल्य स्तर पर रू. 16228.5 मिलियन में पुनरीक्षित कर दिया गया है और सीईए के द्वारा अनुमोदित कर दिया है। भूटान की बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए भूटानी पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यम का निर्माण विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं आरजीओबी के पास विचाराधीन है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापनः

टीएचडीसीआईएल ने संबंधित हितधारियों के साथ परामर्श से भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति(एनपीआरआर)–2007 के प्रावधानों में सुधार करके वीपीएचईपी सहित भावी परियोजनाओं के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति बनाई है। इस नीति में परियोजना निर्माण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की भूमि, मकानों की हानि, जीविका एवं रोजगार आदि संसाधनों एवं जीविका–तरीकों की समस्या का समाधान किया गया है। इस नीति का उद्देश्य असुरक्षित व्यक्तियों की चिंताओं का समाधान करना है। इसमें परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को आर्थिक रूप से मजबूत करने तथा मुख्यतः सतत जीविका उपार्जन के निम्नलिखित तरीकों पर जोर दिया गया।

- परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के क्षमता–निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य विभिन्न आय अर्जन/बहाली, जीविका साधन संवर्धन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना कार्यक्रम एवं योजनाओं के जरिए उनका कौशल विकास करना है।
- लड़कियों एवं गरीब बच्चों के बीच शिक्षा के प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रयासों के साथ–साथ परियोजना क्षेत्र में और उसके आस–पास शिक्षा के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु इस परियोजना में छात्रवृत्ति योजनाएं बनाई हैं।
- परियोजना के निर्माण/प्रचालन के कारण लोगों एवं निजी संपत्ति की क्षति रोकने के लिए टीएचडीसीआईएल ने अत्यधिक सावधानी बरती है।

अभियांत्रिकी परामर्श

जल विद्युत अभियांत्रिकी एवं अन्य सिविल कार्यों के क्षेत्र में परामर्शी और सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने नवीनतम डिजाइन साफ्टवेयर एवं अनुभवी डिजाइन विशेषज्ञों से युक्त अभियांत्रिकी परामर्शी विभाग की स्थापना की है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए थे:

- श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवी डीएसबी) जम्मु कश्मीर द्वारा सौंपे गए, कटरा तथा श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के बीच के असुरक्षित क्षेत्रों के ढलान स्थिरीकरण कार्यों के लिए डिजाइन तथा अभियांत्रिकी परामर्श कार्य।
- नैनीताल, उत्तराखंड में महामहिम राज्यपाल के निवास ''राज भवन'' में ढलान स्थिरीकरण के लिए परामर्श।
- मसूरी, उत्तराखंड में भूमिगत पार्किंग परिसर के विकास के लिए परामर्श।
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की विभिन्न सड़कों के 20 पुराने भू–स्खंलन क्षेत्रों की रक्षा के लिए परामर्श ।
- श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की पवित्र गुफा के नजदीक ढलान स्थिरीकरण कार्य के लिए बोर्ड को परामर्शी सेवाएंः गुफा के नजदीक स्लाइड संभावित क्षेत्र के स्थिरीकरण के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को परामर्शी सेवाएं प्रदान के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए कार्य–रीति।
- मैसर्स वापकोस द्वारा उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली 5 स्थानों की ढलान स्थिरीकरण डीपीआर की वेटिंग। उत्तराखंड में 5 स्थानों के ढलान स्थिरीकरण कार्यों के लिए डीपीआर एवं निविदा दस्तावेजों की वेटिंग के लिए टीएचडीसीआईएल एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू), टीए एवं सीबीडीआरएम, उत्तराखण्ड के बीच संविदा पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री डी.वी.सिंह, अ.प्र.नि., टीएचडीसीआईएल सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के साथ एमओयू दस्तावेजों की अदला–बदली करते हुए

अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी ने ऋषिकेश में एक पूर्ण विकसित इन हाउस अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना की है। वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के लिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का विकास।
- टिहरी जलाशय के आवाह क्षेत्र से सेडीमेंट यील्ड का आंकलन।
- ग्रिड विक्षोभ के अंतर्गत जल विद्युत संयंत्रों की परिवर्तनशील गति के गतिशील निष्पादन का विश्लेषण।
- टिहरी क्षेत्र के चारों और भूकंप निगरानी केंद्र स्थापित किए गए।
- टिहरी एवं केएचईपी के ईएम उपकरण की स्थिति की निगरानी।
- टिहरी क्षेत्र के आस–पास माइक्रों भूकंपी नेटवर्क का विस्तार एवं अद्यतीकरण।
- टिहरी एवं कोटेश्वर के लिए रोटरी मशीनों एवं सहायक उपकरणों के कंपन डाटा का विश्लेषण।
- अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के लिए विद्युत प्रणाली डिजाइन एवं अन्य साफ्टवेयर/हार्डवेयर/उपस्कर हेतु अतिरिक्त सुविधाओं/साफ्टवेयर की खरीद। इन हाउस आर एंड डी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु विशेषज्ञों के परामर्शी शुल्क सहित प्रशिक्षण/

श्री श्रीधर पात्रा, निदेशक(वित्त), 23वीं अंतर केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (आईसीपीएसयू) चैस टूर्नामेंट की विजेता टीएचडीसीआईएल टीम का उत्साहवर्धन करते हुए

सेमिनार / कार्यशालाओं / सम्मेलनों / पुस्तकों / जर्नल / मानदेय / व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों की सदस्यता अन्य विविध व्यय।

- टिहरी कोटेश्वर सड़क का ढ़ालन स्थिरीकरण एवं पुनः संरेखण।
- टिहरी जलाशय के आवाह–क्षेत्र के लिए उपग्रह आधारित वास्तविक समय अन्तरप्रवाह पुर्वानुमान प्रणाली की स्थापना।
- टिहरी कोटेश्वर बांध के अनुप्रवाह में त्वरित चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)

वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं हेतु बजट आबंटन रू. 56.33 मिलियन प्रस्तावित था जो वर्ष 2015–16 के लिए कर पश्चात लाभ का 0.70% दर्शाता है। लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक बजट आबंटन गत वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 0.5% होगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर वास्तविक खर्च 43.4 मिलियन रूपए हुए जो वर्ष 2015–16 के कर पश्चात लाभ का 0.54% है।

गुणवत्ता आश्वासन

चालू वित वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन अर्जित किए गए:

- कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, पीएसपी, वीपीएचईपी पीपलकोटी एवं केएचईपी कोटेश्वर ने आईएसओ 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), ओएचएसएस 18001:2007(व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन अर्जित किए। कोटेश्वर के लिए उन्नत (अपग्रेडेड) आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसओ 14001:2015 प्राप्त कर लिया गया है। ढुकवां एसएचपी के लिए आईएसओ 9001:2015 प्राप्त कर लिया गया है।
- कारपोरेट आईटी विभाग, ऋषिकेश ने एसटीक्यूसी (मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन) नई दिल्ली के जरिए 3 वर्षों के लिए अक्तूबर, 2015 में आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 27001:2013 का प्रमाणन प्राप्त कर लिया।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी दक्षतापूर्ण एवं सुरक्षित प्रौद्योगिक पद्धतियों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रकृति पर प्रभाव को कम करने तथा सेवा मूल्यों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण चरण में भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) आयोजित किए जाते

हैं। तद्नुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का विवरण तैयार किया जाता है।

विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल निगरानी और पर्यावरण मूल्यांकन और सामाजिक मुद्दों के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल गठित किया गया है। ईएंडएस पैनल का तीसरा दौरा अप्रैल, 2017 में हुआ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं सीसी, भारत सरकार के निरीक्षण पैनल ने भी वीपीएचईपी परियोजना स्थल का दौरा किया तथा वे कंपनी द्वारा अपनाए गए पर्यावरण संरक्षण उपायों से संतुष्ट है।

मैसर्स वापकोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून को वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है। डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वॉटर फिशरिस रिसर्च(डीसीएफआर), भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।

आपकी कंपनी ने मार्च, 2017 में 1320 मे.वा. खुर्जा सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए भी पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की है। खुर्जा एसटीपीपी में पर्यावरण प्रबंधन एवं सुरक्षा हेतु रू. 1783/– करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रबंधन योजना की प्रस्तावित मुख्य गतिविधियों में चिमनी गैस से कणिका तत्वों को हटाने के लिए विविक्त उच्च दक्षतापूर्ण इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) का संस्थापन, चिमनी गैस से एनओएक्स को हटाने के लिए निम्न एनओएक्स बर्नर एवं सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन (एससीआर) यूनिट का संस्थापन, चिमनी गैस से एसओएक्स को हटाने के लिए चिमनी गैस डिसलेफ्युराइजेशन (एफजीडी) यूनिट का संस्थापन, संयंत्र जीरो इफ्लयूमेंट डिस्चार्ज अर्थात अपशिष्ट जल परियोजना सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा, उड़ने वाला राख का 100% अनुप्रयोग, परियोजना भूमि के 400 एकड़ में से अधिक में हरित पट्टी का निर्माण शामिल है।

लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 05 जून, 2015 को कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ सभी परियोजनाओं में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें जाने माने वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, चरण–1, कोटेश्वर एचईपी, टिहरी पीएसपी और वीपीएचईपी के लिए सफलतापूर्वक आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन

जल विद्युत विकास करने वाली कंपनी के नाते आपकी कंपनी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर विशिष्ट और भौगोलिक स्थान विशिष्ट जोखिमों के अध्यधीन है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अपनाया है जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस मैनुअल में दिन–प्रतिदिन के निर्माण एवं प्रचालन सहित जोखिम की पहचान करने, जोखिम को नजरंदाज करने और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न जोखिमों, का शमन करने के लिए विस्तृत तंत्र उपलब्ध करवाया है।

आपकी कंपनी ने प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के लिए जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो परियोजना स्थल के अधिकारी जोखिम अधिकारी होते हैं तथा परियोजना वित्त एवं कारपोरेट डिजाइन (सिविल एवं एचएम) के अधिकारी चल रही प्रत्येक निर्माण परियोजना के सदस्य होते हैं। जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन की विस्तृत सूचना कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक–।) में अलग से दी गई है। जोखिम के मुख्य तत्व प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक–।।। में दिए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

हम अपनी परियोजनाओं एवं विद्युत केंद्रो के निष्पादन एवं प्रबंधन के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं। हम समग्र उत्पादकता तथा कुशलता को सुधारने के लिए अपने सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण समझते हैं। हमने उत्पादित की जाने वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम प्रयोग, निर्माण परियोजना के विकास में गति देने के लिए विभिन्न साफ्टवेयर सोल्यूशंस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ताकि इससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार आए।

टीएचडीसी के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवसंरचना हैं। टीएचडीसी के स्वामित्व की आईटी

उत्साहवर्धन कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ श्री एस.के.बिस्वास, निदेशक(कार्मिक) का ग्रुप फोटोग्राफ

परिसंपत्तियों का इष्टतम एवं सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) प्रणाली के प्रबंधन हेतु सुरक्षा नीति भी बनाई गई है। वित्त, मानव संसाधन, खरीद एवं संविदा, माल, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन एवं ऊर्जा बिक्री अनुरक्षण एवं लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि सभी मुख्य व्यवसायों के कार्य हेतु कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। ये सभी कंप्यूटराइज्ड प्रणालियां वेब आधारित है तथा इनके द्वारा सभी स्थानों जैसे कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजनाओं, विद्युत केंद्रो से इंटरनेट के माध्यम से एसेस किया जा रहा है। सभी स्थानों पर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की निर्बाध एसेस के लिए ड्यूल इंटरनेट लीज लाइने मौजूद हैं। इसके साथ ही भुगतानों में पारदर्शिता के लिए विक्रताओं/ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने वेब आधारित बिल ट्रेकिंग प्रणाली भी कार्यान्वित की है। टीएचडीसी ड्राईंग एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन भी करने जा रही है।

टीएचडीसी ने कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में दिसंबर, 2015 से साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वित कर दी है। कंपनी ने सफलतापूर्वक कागज की खपत कम कर दी है तथा डाटा का मानकीकरण प्राप्त कर लिया है एवं सुव्यवस्थित तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ बड़ी सीमा तक सूचना की परिशुद्धता प्राप्त कर ली है। साइबर सुरक्षा कायम रखने के लिए सभी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और आईटी अवसंरचनाओं की लेखा परीक्षा सूचीबद्ध सुरक्षा लेखा परीक्षकों सीईआरटी–इं. द्वारा नियमित रूप से की जाती है तथा साइबर सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालायें आयोजित की जाती है। भारत सरकार के दिशा–निदेशों के अनुसार ई–प्रापण (इलेक्ट्रानिक टेंडर) प्रणाली को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया है।

पुरस्कार एवं प्रशस्ति

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थानों ने समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के रूप में मान्यता एवं सराहना की है।

आपकी कंपनी को विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2015–16 के लिए इसके कार्य निष्पादन को ''बहुत अच्छी'' रेटिंग दी है।

टीएचडीसी का प्रयास चहुंमुखी वृद्धि का है जो कि पुरस्कार एवं उपलब्धियों की सूची से प्रतिबिम्बित होते हैं:

- टीएचडीसीआईएल को राजभाषा प्रोत्साहन हेतु 18.01.2017 को एनटीपीसी राजभाषा शील्ड प्रदान की गई है।
- टीएचडीसीआईएल ने मानव संसाधन प्रबंधन के लिए 17.03.2017 को मानव संसाधन वृद्धि पुरस्कार भी प्राप्त किया है।

- टीएचडीसीआईएल को सीबीआईपी द्वारा 29.12.2016 को टिहरी एचपीपी के लिए सर्वोत्तम अनुरक्षित परियोजना का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
- टीएचडीसीआईएल को सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की मान्यता के रूप में 11.04.2016 को स्कोप एक्सीलेंस–2016 के अंतर्गत ''गोल्ड ट्राफी'' प्रदान की गई है।

मानव संसाधन विकास

प्रमुख रणनीतिक निर्णयों के सुचारू कार्यान्वयन में मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति प्रमुख संसाधन हैं और यह प्रयास करती है कि इसके कर्मचारी अपने कैरियर की आकांक्षाओं के साथ–साथ कंपनी की व्यापार संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करें। आपकी कंपनी में संगठनात्मक विकास की दृष्टि, सफल प्रणाली निर्माण पर केंद्रित है जिससे बृहद व्यावसायिक नीति के भाग के रूप में इष्टतम अन्य संसाधनों के साथ मानव संसाधन से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त हो सके। 31.03.2017 को आपकी कंपनी की मानव पूंजी 1936 है जिसमें 830 कार्यपालक, 83 पर्यवेक्षक तथा 1024 कामगार हैं। आपकी कंपनी को अपने उच्च प्रेरित एवं सक्षम मानव संसाधन पर गर्व है जिन्होने कंपनी को इसकी वर्तमान ऊंचाई पर पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है।

प्रशिक्षण एवं विकास

आपकी कंपनी का प्रयास है कि व्यवसाय के साथ–साथ एचआरडी रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की क्षमता को उजागर करे। आपकी कंपनी ने तकनीकी, प्रबंधकीय एंव व्यावहारिक क्षेत्र के 60 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त 5046 मानव दिवसों के लिए वाह्य नामांकन किए गए जो 4000 मानव दिवसों के लक्ष्य की तुलना में 26% अधिक है। वर्ष के दौरान आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं–इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सीनियर लीडर्स, बांध सुरक्षा पहलू, कंप्यूटर दक्षता, एचआर व्यवसायियों के लिए एचआर तथा लिंग संवेदनशीलता आदि। आपकी कंपनी ने विघटनकारी–हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में नेतृत्व विकास और सतत प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए प्रभावी बोर्ड हेतु बोर्ड के सदस्यों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का भी समाधान किया है।

आपकी कंपनी ने मैसर्स क्रिसिल से 'स्किल गेप एनालाइसिस तथा इनिशियल डाइग्नोस्टिक स्टडी हेतु' परामर्शी सेवाएं लेने हेतु अनुबंधित किया। कर्मचारियों को तकनीकी के साथ–साथ प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु भारत एवं विदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया।

टीएचडीसीआईएल के विविध स्थानों पर कर्मचारियों के उत्साहवर्धन, सकारात्मकता और कार्य संस्कृति में सुधार हेतु प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रेरक वक्ताओं के माध्यम से अनेक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल विकास के साथ–साथ सीएसआर के अन्तर्गत कंपनी के प्रचालनीय क्षेत्र के आस–पास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल पर भी निवेश कर रही है। नए भर्ती किए गए प्रशिक्षुओं के लिए एक ठोस प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ मानीटरिंग योजना भी बनाई गई है।

कर्मचारी संबंध

आपकी कंपनी के अनवरत तारांकित निष्पादन के पीछे सौहार्द्रपूर्ण कर्मचारी संबंधों का शक्तिशाली बल है। आपकी कंपनी में कर्मचारी संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। कर्मचारी और प्रबंधन दोनों ही कंपनी के हित के साथ–साथ इसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाने में एक दूसरे के प्रयासों में सहयोग देते हैं जिससे कंपनी में सद्भाव और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंध समग्र एवं विशिष्ट रूप में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/केंद्रों/इकाईयों में कर्मचारी संबंध सौहार्द्रपूर्ण और समरस बने रहे। प्रबंधकों और कामगारों तथा कार्यपालकों के शीर्ष संघ के बीच लगातार विचार–विमर्श होता रहा। वर्ष के दौरान संगठित बैठकें आयोजित की गई जिनमें कार्य निष्पादन और उत्पादकता संबंधी मामलों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें प्रबंधन और कामगारों के समान संख्या में प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया। टीएचडीसी की क्वालिटी सर्कल टीम ने 'पार एक्सीलेंस अवार्ड' तथा 3 टीमों को एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। इससे निरंतर सुधार तथा

सामग्री उन्मुख अप्रोच के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिबद्धता प्रमाणित होती है। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के दौरान ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन खेल तथा अंतर सार्वजनिक उपक्रम खेल आदि अनेक कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की। संबंधित क्लबों द्वारा कर्मचारियों की तनाव मुक्ति तथा आपसी संबंधों को बेहतर बनाने हेतु अन्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। योग दिवस आयोजन, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यशालाओं का आयोजन, विभिन्न इकाईयों में स्वास्थ्य जांच तथा रक्तदान शिविरों आदि का आयोजन वर्ष भर के अतिरिक्त कार्यकलाप हैं।

अ.जा./अ.ज.जा तथा विकलांग व्यक्तियों संबंधी पहल

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने अ. जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कायान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पुर्णरूपेण समाधान किया है। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने तथा विशेष समक्ष व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान 01 इंजीनियर प्रशिक्षु आईटी एवं 01 हिंदी अनुवादक को भर्ती किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। आपकी कंपनी ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारिरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को नामित किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने दिन प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किए हैं। आपकी कंपनी का मत है कि हिंदी भाषा में सहयोग एवं राष्ट्रीय उत्साह सृजन करने की शक्ति है। आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार एवं सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान परियोजना, यूनिटों एवं कारपोरेट कार्यालयों में अनेक हिंदी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ताकि सरकारी काम में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। सभी कार्यालय आदेश, फार्मेट एवं परिपत्र हिंदी में जारी किए गए। महत्वपूर्ण विज्ञापन एवं गृह पत्रिकाएं हिंदी एवं अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी हुई। आपकी कंपनी को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए माननीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 'एनटीपीसी राजभाषा शील्ड'' प्रदान की गई। कारपोरेट कार्यालय को नराकास, हरिद्वार द्वारा राजभाषा वैजन्ती पुरस्कार से नवाजा गया।

वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 23 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें 519 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कारपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें 19 कर्मचारियों ने भाग लिया। कंप्यूटरों/लैपटापों में द्विभाषी कार्य करने की सुविधा प्रदान कराने के हेतु हिंदी सॉफ्टवेयर/फोंट संस्थापित किए गए। कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित हेतु हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई। अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गई।

वर्ष 2016 के दौरान हिंदी ''हास्य कवि सम्मेलन'' आयोजित किया गया। हिंदी गृह पत्रिका 'पहल' प्रकाशित की जा रही है।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के प्रोत्साहन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रम में आपकी पूरी कंपनी में उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर वे सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं जो अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। कंपनी के अपीलीय प्राधिकारी, प्रधान लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी के ब्यौरे तथा सूचना मांगने, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से सूचना मांगने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सन्निहित

30वें स्थापना दिवस समारोह का एक दृश्य

प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 143 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई थीं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 18 अपीलें प्राप्त हुई तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का निपटान कर दिया गया। 06 अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग (सी आई सी), नई दिल्ली में दायर की गई।

महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार ''आंतरिक शिकायत समिति'' बनाई है जो महिला कर्मचारियों को सुरक्षित एवं देख–रेख युक्त वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। आपकी कंपनी ने डब्ल्यू आईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला) समिति भी गठित की है। महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(निवारक, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटन

आपकी कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसी घटानाओं की सूचना मिलने की दशा में शीघ्र कार्रवाई की जाती है। यौन उत्पीड़न शिकायत, यदि कोई हो, के निवारण के लिए शिकायत समितियां गठित की गई हैं जो जांच करती है। अभी तक यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जन संपर्क पहल / जागरूकता गतिविधियां

आपके निगम का रचनात्मक संचार में दृढ़ विश्वास है तथा विविध हितधारियों को जुटाने के लिए नवान्मेषी और विविध साधनों को अपनाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

कंपनी ने सक्रिय एवं विविध सोशल मीडिया उपकरण यथा वैरीफाइड फेसबुक पेज, यू ट्यूब चैनल, ट्वीटर हैंडल तथा सोशल मीडिया टूल्स विकसित किए हैं और इन मीडिया टूल्स को विद्युत मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार की माय गॉव (सिटीजन इनगेंजमेंट प्लेटफार्म) के साथ जोड़ा गया है। आपकी कंपनी ने रोचक सूचनाप्रद सामग्री के साथ इलेक्ट्रानिक पत्रिका (टीएचडीसीआईएल संचार चार्टर) तथा कर्मचारियों के साथ त्वरित गति से वास्तविक संवाद हेतु बल्क संदेश सेवा विकसित की है।

आपकी कंपनी भारत सरकार के अनेक वृहद कार्यक्रमों यथा

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम

विमुद्रीकरण तथा नकदी रहित संव्यवहार हेतु बड़े स्तर पर प्रचार के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रही है। इस कार्य के लिए वृहद जनहित हेतु डिजिटल भुगतान कार्यशालाओं के आयोजन तथा बैनरों के माध्यम से आउट डोर प्रचार किया गया।

आपकी कंपनी ने क्षमता निर्माण एवं संस्थानिक सशक्तीकरण(सीबीआईएस) के लिए मैसर्स परफेक्ट रिलेशनस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को संचार रणनीति के विकास और कार्यान्वयन हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए मीडिया सलाहकार के रूप में लगाया है।

आपकी कंपनी ने टीएचडीसीआईएल–उत्कृष्टता की ओर यात्रा नामक एक कारपोरेट फिल्म का निर्माण किया है। जिसमें निगम की 25 वर्षीय यात्रा के दृश्यों के विवरण हैं। आपकी कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान, ऊर्जा संरक्षण पर विद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी लघु फिल्म/विडियोज भी बनाए हैं।

संचार प्रबंधन के माध्यम से निगम की छवि

संचार प्रबंधन कारपोरेट ब्रांड की पहचान को आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के साथ सुदृढ़ बनाने तथा सुधारने का एक सशक्त साधन है। आपकी कंपनी वृद्धि, उपलब्धियों तथा विकास संबंधी प्रमुख कार्यों से जनता को नियमित रूप से अवगत कराने के लिए समय–समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

संचार तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि वह कर्मचारियों तक नहीं पहुंचे क्योंकि कर्मचारी ही संस्थान के स्तंभ होते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आपकी कंपनी ने अनेक आंतरिक संचार उपकरण यथा न्यूज लैटर, गृहपत्रिकाएं तथा नियमित मीडिया अपडेट्स को अपनाया है। कंपनी ने अपनी यात्रा को दर्शाने संबंधी एक कारपोरेट फिल्म भी बनाई है। कर्मचारियों के लिए कंपनी का एक थीम सांग भी तैयार किया गया था। ये सभी संचार साधन व्यक्ति को संस्थान की संस्कृति एवं कार्यों के बारे में समझ पैदा करने में सहायता करते हैं तथा उनको कंपनी का ब्रांड–दूत बनाते हैं।

सतर्कता गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल का सतर्कता विभाग व्यवस्थित विकास हेतु निवारक सतर्कता पर जोर देकर बेहतर सतर्कता प्रशासन सुनिश्चित करता है। प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/सुधार हेतु अपेक्षित उपायों की पहचान की जा रही है तथा व्यवस्थित विकास के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु इसे प्रबंधन के समक्ष रखा गया है जिससे किसी भी प्रक्रिया– विधि/प्रणाली में हेर फेर की गुंजाइश न रहे। रणनीतिक रूप से सतर्कता विभाग का लक्ष्य सतर्कता की कार्यप्रणाली को दण्डात्मक के स्थान पर निवारक सक्रिय करना है। संवेदनशील पदों की पहचान कर ली गई है। संवेदनशील पदों से कार्यपालकों के स्थानांतरण को केंद्रीय सतर्कता संगठन द्वारा नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है:–

श्री एच.एल.भारज, सीजीएम, टीएचडीसीआईएल, ईईएसएल के अधिकारियों के साथ एमओयू दस्तावेजों की अदला–बदली करते हुए

- सतर्कता विभाग निगम के सभी स्थलों के कार्यों का नियमित, आकस्मिक एवं सीटीई प्रकार के निरीक्षण कर रहा है ये निवारक निरीक्षण कार्यों के अवार्ड एवं निष्पादन के दौरान विभिन्न कदाचारों एवं अनियमितताओं को रोकने में प्रभावी रहे हैं।
- पूछताछ और जांच करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी का कुल मिलाकर पालन किया जा रहा है।
- टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एसपी, सीबीआई, देहरादून के आपसी परामर्श से वर्ष के लिए सूची की समीक्षा कर उसे अंतिम रूप दिया गया। वर्ष की संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की गयी है।
- प्रणालीगत सुधारात्मक उपाय सुझाए जा रहे हैं तथा संबंधित अधिकारियों को जैसे ही उनके संज्ञान में आए उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया।
- टीएचडीसीआईएल के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा कर्मचारियों में सतर्कता संबंधी मामलों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु अनेक कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं।
- सचेतक तंत्र से संबंधित पीआईडीपीआई दिशा–निर्देशों पर भारत सरकार के संकल्प, सत्यनिष्ठा शपथ, भ्रष्टाचार निरोधी आदि पोस्टर/बैनरों को प्रकाशित किया गया तथा इन्हें टीएचडीसीआईएल के सभी कार्यालयों में प्रदर्शन हेतु वितरित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष के लिए निर्धारित विषय ''भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने में जन भागीदारी'' के साथ टीएचडीसीआईएल में 31.10.2016 से 05.11.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टीएचडीसीआईएल के सतर्कता विभाग ने आकस्मिक जांच और गहन परीक्षण के दौरान व्यक्त अभिमतों के फलस्वरूप सतर्कता विभाग द्वारा अपनाए जा रहे व्यवस्थित सुधारों पर एक पुस्तिका प्रकाशित की गई।

कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी ने अच्छे कारपोरेट सुशासन संव्यवहार अंगीकार करने का प्रयास किया है। भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) 2015 और लोक उपक्रम विभाग के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट सुशासन पर एक अलग सेक्शन दिया गया है। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की

दशाओं के अनुपालनार्थ प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र भी संलग्न है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समयबद्ध और संतुलित प्रकटन, वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, हितधारकों के अधिकार और हितों के संरक्षण पर आधारित है।

लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड स्तर की अन्य समितियों के कार्य और विस्तार क्षेत्र सहित कारपोरेट सुशासन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट इसके साथ **अनुलग्नक– I** के रूप में संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व(सीएसआर) और सततता विकास(एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर एवं सततता नीति 2015 प्रारंभ की है। तद्नुसार पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है।

सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाता है।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 15.35 करोड़ रू. का व्यय किया गया जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत लाभ के 2% से अधिक है।

टीएचडीसीआईएल ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के कार्यालयों, विभिन्न अवस्थलों पर स्थित कालोनियों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, कार्यस्थलों, गलियों, सड़कों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, पवित्र गंगा नदी के किनारे, उद्यानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया।

सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक– II** के रूप में दी गई है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से खरीद

टीएचडीएसी ने वित्त वर्ष 2016–17 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से सकल वार्षिक खरीद का 24.42 प्रतिशत उत्पाद एवं सेवाएं क्रय की/इनमें मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) स्वामित्वाधिकार वाले उपकरण तथा/अथवा एमएसई द्वारा निर्माण न किए जाने वाले/प्रदाय किए जाने वाले उपकरणों का मूल्य शामिल नहीं हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के समन्वय से विक्रेता विकास हेतु विशेष कार्यक्रम भी संचालित किए गए।

सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों एमएसईएस के खरीदारी हेतु मदों सहित वार्षिक खरीद योजना को टीएचडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। टीएचडीसीआईएल की ओर से खरीदारी योजना के कार्यान्वयन और समन्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय को इससे अवगत कराया गया।

संगत पक्षों के साथ अनुबंध एवं व्यवस्थाएं

वित वर्ष 2016–17 में कंपनी ने किसी संगत पक्ष के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं किया। संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेन–देन पर्याप्त दूरी बनाए रखने पर आधारित थी जिसका उद्देश्य कंपनी हित को आगे बढ़ाना था। तद्नुसार प्रारूप एओसी–2 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के अंतर्गत यथापेक्षित संबंधित पक्षकार लेन–देन का प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार– विमर्श और विश्लेषण के बारे में **अनुलग्नक– III** में अलग से रिपोर्ट दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ सहपठित कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छे कारपोरेट सुशासन प्रैक्टिस व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं :

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार आधार पर तैयार किए गए हैं।

(च) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनीय है।

(छ) निदेशकों के कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से प्रचलित थी।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाइन में कोई उल्लेखनीय कमजोरियां नहीं पाई गई।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के साथ सहपठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)नियम 2014 के नियम 12 के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 (उपधारा 1 के अतिरिक्त) की धारा 186 जो लिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूतियों से संबंधित है, उन कंपनियों पर लागू नहीं है जो अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

निगरानी तंत्र

आपकी कंपनी की एक परिभाषित एवं स्थापित सचेतक नीति (निगरानी तंत्र) है जिसमें अनैतिक/अनुचित आचरण की रिपोर्ट करने तथा उनकी जांच कर और उन्हें ठीक करने के लिए समुचित व्यवस्था है। सचेतक नीति कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध है। इस नीति के प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान सचेतक नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं मिली। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा समिति तक किसी भी कार्मिक को पहुंचने से नहीं रोका गया।

विनिवेश प्रक्रिया

आपकी कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया विचाराधीन है। डीआईपीएएम द्वारा अनेक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। कंपनी एमओए तथा एओए में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है जो विनेश के लिए पूर्व अपेक्षित है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें हुई थी। अधिक विवरण के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कारपोरेशन सुशासन रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में स्वतंत्र निदेशकों के बारे में निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं तथा प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से धारा 149(7) के अंतर्गत आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है।

निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अलग बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की **अनुसूची – IV** के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्य की समीक्षा की। इसमें निदेशकों और बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन भी शामिल है।

इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति, अवधि तथा पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित रहने पर बैठक शुल्क (सिटिंग फीस) का भुगतान किया जाता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सरकारी कंपनी होने के नाते सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड एजी के दिनांक 22.07.2016 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल एवर्नमेंट, टिहरी(1)/558 के द्वारा मैसर्स पीडी अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 364 ए, गोविंदपुरी, हरिद्वार – 249403 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

कथित अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत यथापेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक का भुगतान नियत करने के लिए प्रस्ताव वार्षिक आम सभा की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (7) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में शून्य टिप्पणियां दी हैं, तदनुसार प्रबंधन का उत्तर 'शून्य' है।

लागत–लेखा परीक्षक

मैसर्स आर.एम. बंसल, लागत और प्रबंधन लेखाकार, कानपुर तथा मैसर्स चन्द्र बधवा एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2016–17 के लिए क्रमशः कोटेश्वर इकाई और टिहरी इकाई के लागत लेखांकन अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत परीक्षक के रूप में मंजूरी दी है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2016–17 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स पीएसआर मूर्ति प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी लिपिकीय प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VI** के रुप में संलग्न है।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत मंडलों तथा डिस्कम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों की विशेष सराहना करता है। निदेशक

मंडल राज्य सरकारों से प्राप्त सामर्थन और सहयोग के प्रति उनका भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक गण इस अवसर पर विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकरों के प्रति कंपनी में उनके निरंतर विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए हृदय से आभार करते हैं।

आपके निदेशक गण, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रति भी उनके सहयोग और सतत सामंजस्य के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अंत में सभी कर्मचारियों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिनके उत्साह, संयुक्त प्रयासों, निष्ठा और अपनत्व की भावना ने आपकी कंपनी को गौरवान्वित किया।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(डी.वी. सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएनः 03107819

दिनांक : 20.09.2017

स्थान : नई दिल्ली

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

कारपोरेट सुशासन कंपनी के विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के बारे में है। आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है। कंपनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट सुशासन के बारे में जारी दिशा–निर्देश कंपनी पर अनिवार्यतः लागू हैं। कंपनी अधिनियम 2013 एवं लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट सुशासन की अच्छी पद्धतियों को लागू करने के लिए कंपनी प्रयासरत एवं आकांशी है। कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सभी कारपोरेट सुशासन दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीपीई द्वारा कंपनी को वर्ष 2015–16 के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्रदान किया गया है। डीपीई को प्रस्तुत की गई ग्रेडिंग रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2016–17 के लिए भी कंपनी इसी ग्रेड को प्राप्त करने की आशा रखती है।

1. कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में कारपोरेट सुशासन का एक स्थापित ढांचा है जो कंपनी के नैतिक मामले और कुशल संचालन के प्रति वचनबद्धता पर जोर देता है। यह व्यापक पैमाने पर अपने सभी हितधारकों के मूल्यों को अधिकतम बढ़ाने और सभी घटकों में भरोसा और विश्वास के वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है। टीएचडीसी में प्रबंधन अपनी वचनबद्धता को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूर्ण करने के सभी संभव कदम उठा रहा है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मापदंडो पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता
- समय से और संतुलित प्रकटन
- मूल्यवर्धन में बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियां
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा
- नीतिपरक तथा उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा देना
- पर्यावरण के प्रति दायित्व
- हितधारकों के अधिकार और हित
- अनुपालन

टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं। निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों को इस धारणा, इरादे एवं प्रयोजन के साथ पुनः विभिन्न कार्यपालकों को उप–प्रत्यायोजित की गई हैं कि इससे निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का निर्धारित नीतिगत ढ़ांचे में निर्बाध, शीघ्र एवं दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हो सके। टीएचडीसीआईएल ने सामान एवं सेवाओं की खरीद के लिए मानक नीति एवं प्रक्रियाओं को भी तैयार कर लागू किया है जिससे प्रक्रिया–विधि को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी तथा सहज बना कर उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी के साथ शीघ्र और विकेंद्रित रूप से निर्णय लिया जा सके।

रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाएं और बजट, आंतरिक नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्व प्रकटन पर जोर देने सहित सम्प्रेषण, सभी सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनका वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी

प्रणालियां न केवल सैद्धान्तिक रूप से बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

निदेशक मंडल ने सुशासन पर बेहतर एवं अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु कई समितियां अर्थात लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति गठित की हैं।

सूचीबद्ध करार के प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन पर जारी दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन करता है। वर्ष 2016–17 के लिए कारपोरेट सुशासन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं की शर्तों का अनुपालन निम्नवत है–

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 75 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति की है तथा 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के कारोबार का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक और गैर–कार्यपालक के निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वंतत्र निदेशक शामिल हैं। टीएचडीसीआईएल निदेशक मंडल में चार प्रकार्यात्मक निदेशक जिसमें अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा नामित दो निदेशक तथा तीन स्वंतत्र निदेशक हैं। निदेशक, बोर्ड को व्यापक अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त परिचय वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के पश्चात समुचित अग्रिम सूचना देकर बोर्ड की बैठकें आयोजित की जाती हैं। बैठकों में अर्थपूर्ण, सुविज्ञ और केन्द्रित निर्णय लेने में सहायता के लिए पर्याप्त समय, सामान्यतया 07 दिन पहले, विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट तथा अन्य व्याख्यात्मक ब्यौरा पारिचालित किया जाता है। किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 120 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड की छः बैठकें हुई थी। बैठकों की तिथि, बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उपस्थित निदेशकों की संख्या का विवरण **तालिका–1** में दिया गया है:

तालिका 1: वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के विवरण

क्र.सं.	बोर्ड की बैठकों की तिथि	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	19 मई, 2016	9	6
2	26 अगस्त, 2016	9	7
3	26 सितम्बर, 2016	10	7
4	28 नवम्बर, 2016	10	9
5	2 जनवरी, 2017	9	7
6.	27 मार्च, 2017	9	8

वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद / समिति की सदस्यता की संख्या से संबंधित ब्यौरा **तालिका–2** में दिया गया है:

तालिका 2: निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति में धारित पद संबंधी विवरण

क्र. सं.	निदेशकगण	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्यत्र धारित निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
	प्रकार्यात्मक निदेशक					
1	श्री डी.वी. सिंह (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार	6	उपस्थित	–	–	1
2	श्री आर. एस. टी. शाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.11.2016 तक)	4	उपस्थित	–	–	–
3	श्री एस. के. बिस्वास निदेशक (कार्मिक)	6	उपस्थित	–	–	–
4	श्री श्रीधर पात्रा निदेशक (वित्त)	6	उपस्थित	–	–	–
	सरकार द्वारा नामित निदेशक					
5	श्री सुरेश चन्द्र (28.09.2016 से)	शून्य	भाग नहीं लिया	2	–	2
6	श्री सुरेश शर्मा, (26.09.2016 से)	2	भाग नहीं लिया	1	–	1
7	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव(सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार (27.09.2016 तक)	शून्य	भाग नहीं लिया	–	–	–
8	श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार (20.04.2017 तक)	शून्य	भाग नहीं लिया	–	–	–

क्र. सं.	निदेशकगण	बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्यत्र धारित निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
9	श्रीमती अंजु भल्ला संयुक्त सचिव (जल विद्युत) (01.07.2015 से)	4	भाग नहीं लिया	1	–	1
	स्वतंत्र निदेशक					
10	श्री बची सिंह रावत (22.12.2015 से)	6	उपस्थित	–	–	–
11	श्री मोहन सिंह रावत (22.12.2015 से)	6	उपस्थित	–	–	–
12	प्रो. महाराज के. पंडित (22.12.2015 से)	4	उपस्थित	–	–	1

2.5 निदेशकों का पारिश्रमिक एवं प्रकटन

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए बोर्ड पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में निर्णय नहीं लेता है। सरकार द्वारा पदेन हैसियत में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वंतत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों मे भाग लेने के लिए 20,000 रू. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड द्वारा बैठक शुल्क नियत किए गए हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा **तालिका 3** में दिया गया है:

तालिका 3: स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान के ब्यौरे

स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठक शुल्क (₹ में)				कुल (₹)
	बोर्ड की बैठक और वार्षिक आम बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रमिक समिति की बैठक	सीएसआर एवं सततता विकास समिति	
श्री बची सिंह रावत	1,20,000	1,00,000	20,000	40,000	2,80,000
श्री मोहन सिंह रावत	1,20,000	1,00,000	शून्य	40,000	2,60,000
प्रो. महाराज के. पंडित	80,000	60,000	20,000	शून्य	1,60,000

तलिका 4: पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

टीएचडीसीआईएल सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता हैं। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार था।

वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों एवं कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि लाख रू में)

निदेशकगण	पदनाम	वेतन / भत्ते	बोनस / कमीशन*	निभपादन संबंधित वेतन (पीआरपी)	सकल योग
श्री डी.वी.सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक(तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार	2689047	–	1407120	4096167
श्री आर.एस.टी. शाई	पूर्व–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3688755	–	2303524	5992279
श्री एस.के.बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)	3633680	–	1428197	5061877
श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक(वित्त)	2649245	–	2057803	4707048
सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	886521	–	83011	969532

2.6 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों की प्रत्येक कंपनी को पूर्णकालिक प्रबंधकीय कार्मिक(केएमपी) रखना होगा। तद्नुसार टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किए हैं:

1. श्री डी.वी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री श्रीधर पात्रा, निदेशक(वित्त)
3. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

2.7 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां :

i) **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** कंपनी ने दिशानिर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशानिर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती है। कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य स्पष्टकारी विवरण आमतौर पर सदस्यों के मध्य पर्याप्त समय देते हुए सामान्यतः 07 दिन पूर्व परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।
- अति आवश्यक मामलों में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होने पर अल्पावधि नोटिस पर बैठकें बुलाई जाती हैं या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।

- जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते हैं।
- संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।
- कार्यसूची के मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

  बोर्ड के सदस्य के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली मदों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

(iii) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद 15 दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्यक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

(iv) अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों के आधार पर बोर्ड के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

(v) अनुपालन:

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (इस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत विधायी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

(vi) निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं

- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- मुख्य निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/ नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजना की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति। महत्वपूर्ण लेखांकन

नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।

- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

वर्तमान में कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित तीन उप–समितियां हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) पारिश्रमिक समिति

iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति गठित की है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति (कोरम), विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होता हैं। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां तथा विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के क्रम में ।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

दिनांक 31.03.2017 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना **तालिका 5** में दी गई है:

तालिका 5: लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1	श्री बची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3	प्रो. महाराज के. पंडित	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
4	श्री एस.के. बिस्वास	निदेशक(कार्मिक)– सदस्य

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी विशेष स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन का निरीक्षण करना ताकि वित्तीय विवरणों को सही, पर्याप्त और विश्वसनीय होना सुनिश्चित किया जा सके।
- कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:
  - लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां जिनमें अनुमान भी शामिल हैं;
  - लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण समायोजनों को वित्तीय विवरणों में शामिल करना;
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
  - किसी भी संबंद्ध पार्टी के लेन–देन का प्रकटन; तथा
  - ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अहर्ताएं।
  - बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए तिमाही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना। प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर समीक्षा करना।
  - लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता तथा कार्य निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी।
  - कंपनी के सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन–देन पर उत्तरवर्ती संशोधन अथवा अनुमोदन।
  - अन्तर–निगम ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा।
  - कंपनी के दायित्व एवं सम्पत्तियों का, जहां आवश्यक हो, मूल्यन।
  - आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
  - आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा/अथवा लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी उल्लेखनीय निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना तथा उस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
  - जिन मामलों में जालसाजी का संदेह हो, अनियमितता की गई हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उल्लेखनीय ढंग से असफल हुई हों, उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
  - भुगतान के मामले में हुई गंभीर चूकों का पता लगाना।
  - सचेतक तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
  - नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणी पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
  - कंपनी में होने वाले सभी सम्बद्ध पार्टी लेन–देनों का पूर्व–अनुमोदन व समीक्षा करना।
  - कार्यक्षेत्र व्याप्ति की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वय पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
  - प्रबंधन तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता।
    - प्रबंधन के प्रत्युत्तर सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों के सम्बद्ध निष्कर्ष तथा सिफारिशें।
  - प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित विषयों पर विचार तथा समीक्षा करना:
    - पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान के महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
    - कार्यक्षेत्र अथवा अपेक्षित सूचना तक पहुंच में किसी प्रकार के प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना होना।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां:

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखापरीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेखापरीक्षा समिति को यह अधिकार होगा कि वह ऊपर विनिर्दिष्ट अथवा बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी मामले की जांच कर सकेगा तथा इस उद्देश्य के लिए कंपनी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर उसकी पूरी पहुंच होगी।
- किसी भी कर्मचारी के बारे में तथा उससे सूचना मांगना।
- यदि आवश्यकता पड़े तो बाहर से कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह लेना।
- यदि आवश्यक हो तो, संगत विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति मांग सकते हैं।
- किसी भी मामले पर लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड विचार करेगा।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना की समीक्षा करेगी:

- प्रबंधन के विचार–विमर्श तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;
- महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी लेन–देन (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित), प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विवरण;
- प्रबंधन के पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमियां संबंधी पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण की कमियों से सम्बद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

3.1.3 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें आयोजित की गई। आयोजित बैठक से संबंधित ब्यौरा **तालिका 6** में दिया गया है:

तलिका 6: वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थिति सदस्यों की संख्या
1	19 मई, 2016	4	3
2.	26 अगस्त, 2016	4	3
3.	26 सितंबर, 2016	4	4
4.	28 नवंबर, 2016	4	4
5.	27 मार्च, 2017	4	4

वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा **तालिका 7** में दिया गया है।

तालिका 7: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री बची सिंह रावत	5	5
2	श्री मोहन सिंह रावत	5	5
3	प्रोफे. महाराज के. पंडित	5	3

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या
4	श्री डी.वी. सिंह (टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने पर बोर्ड एवं लेखापरीक्षित समिति की कार्यप्रणाली में किन्ही हितों के टकराव से बचने के लिए वे 02.01.2017 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं हैं।	4	4
5.	श्री एस. के. बिस्वास (02.01.2017 से सदस्य)	1	1

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंतिती के रूप में लेखापरीक्षा की बैठकों में निरपवाद रूप से भाग लिया।

3.2 पारिश्रमिक समिति

कारपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, लिस्टिंग करार और सेबी (लिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर की आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसार, निर्धारित सीमा के भीतर वेतन और भत्तों, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा कार्यपालकों एवं गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों में वितरण संबंधी नीति के बारे में विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए पारिश्रमिक समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया। पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणी **तालिका 8** में दी गई है:

तालिका 8: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां:

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1	श्री बची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3	श्रीमती अंजु भल्ला	सरकार द्वारा नामित निदेशक –सदस्य

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंतिती हैं।

3.2.2 बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 27 मार्च, 2017 को आयोजित की गईं। पारिश्रमिक समिति की जिन बैठकों में सदस्य गण शामिल हुए थे, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका 9: पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति

क.सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य	सदस्यों की श्रेणी	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठकों की संख्या
1	श्री बची सिंह रावत	अध्यक्ष	1	1
2	प्रो. महाराज कृष्ण पंडित	सदस्य	1	1
3	श्रीमती अंजु भल्ला	सदस्य	1	1

निदेशक (कार्मिक) ने विशेष आमंतिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

3.3 सीएसआर तथा सततता विकास समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा सीएसआर तथा सततता नीति– 2014 के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति का गठन किया है।

3.3.1 संरचना

दिनांक 31.03.2017 के अनुसार सीएसआर तथा सततता समिति की संरचना तालिका 10 में दी गई है:

तालिका 10: सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1	श्री मोहन सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2	श्री बची सिंह रावत	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3	श्री डी.वी. सिंह	प्रकार्यात्मक निदेशक – सदस्य
4	श्री श्रीधर पात्रा	प्रकार्यात्मक निदेशक – सदस्य

महाप्रबंधक (एस एंड ई), नोडल अधिकारी होने के नाते समिति में स्थायी विशिष्ट आमंतिती हैं।

3.3.2 बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2016–17 में सीएसआर तथा सततता समिति की दो बैठक आयोजित की गईं। आयोजित बैठक का ब्यौरा **तालिका 11** में दिया गया है:

तालिका 11: सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक तथा उनकी उपस्थिति:

क्र.सं.	सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	19 मई, 2016	4	4
2	02 जनवरी, 2017	4	4

सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर–एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए आदि।

4. आम सभा की बैठकें

जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें **तालिका 12** में दर्शाया गया है।

तालिका 12: पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों के ब्यौरे:

वार्षिक आम सभाएं	26 सितम्बर, 2016 को आयोजित 28वीं वार्षिक आम सभा	22 सितम्बर, 2015 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम सभा	27 सितम्बर, 2014 को आयोजित 26वीं वार्षिक आम सभा
समय	अपराह्न 12.30 बजे	अपराह्न 05.00 बजे	अपराह्न 05.00 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली
विशेष कार्य व्यवहार	• वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक नियत करना • निजी प्लेसमेंट आधार पर सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय गैर–संचयी बॉन्ड जारी करना।	• वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक नियत करना • प्रतिभूत बांड जारी करके रू. 2500 करोड़ का ऋण लेना।	• वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक नियत करना • प्रदत्त पूंजी तथा स्वतंत्र आरक्षित से अधिक बोर्ड के ऋण लेने की षक्ति को अनुमोदन प्रदान करना।

5. प्रकटन

5.1 सतर्कता तंत्र

कंपनी का अलग सतर्कता प्रभाग है जो टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों तथा इसके साथ व्यवसाय कर रहे सप्लायरों, ठेकेदारों, परामर्शदाओं, सेवा प्रदाताओं या अन्य पक्षों के प्रतिनिधियों से संबंधित धोखाधड़ी या संदिग्ध मामलों पर ध्यान देता है। सचेतक नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की गयी तथा कंपनी में लागू है और यह टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5.2 सम्बद्ध पक्षकारों से लेन–देन:

प्रोमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण प्रकृति का ऐसा कोई संव्यवहार नहीं है, जिसमें कंपनी के हित के साथ बड़ा अंतर्विरोध हो। संबंधित पक्षकारों के प्रकटन का ब्यौरा लेखा पर टिप्पणी में शामिल किया गया है।

5.3 सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 एवं कारपोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देश:

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन पर जारी स्टाक एक्सचेंज एवं दिशा–निर्देश के साथ लिस्टिंग करार की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी सांवधिक प्राधिकारी

द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड या निंदा नहीं की गई।

5.4 लेखांकन व्यवहार – प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया।

5.5 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

टीएचडीसीआईएल में इस समय 3 स्वतंत्र निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 27 मार्च, 2017 को आयोजित हुई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

5.6 निदेशकों से परिचित कराना

कंपनी ने विभिन्न कार्यक्रमों/प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी में उनकी भूमिका, अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी का प्रचालन एवं कंपनी के व्यावसायिक मॉडल के बारे में अवगत कराया गया। ऐसे परिचय का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

5.7 निवेशकों के लिए सूचना

5.7.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कारपोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है:

बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पता: फिरोजजीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001 **आईएसआईएन:** आईएनई812वी07013	**पता:** एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा(पूर्व), मुंबई–400051 **आईएसआईएन:** आईएनई812वी07013

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क 30 अप्रैल, 2016 से पहले दोनों स्टॉक एक्सचेंजो को भुगतान किया गया है।

5.7.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजंट्स

कार्वे कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
कार्वे सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32
गाछीबउली,
फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्टि जिला, नानाकर्मगुडा,
हैदराबाद–500 032

5.7.3 डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
ए–268, प्रथम तल,
भीष्म पितामह मार्ग,
नई दिल्ली –110014
मो.नं.:919619105439
ईमेल – Sanjay.Dodti@vistra.com

5.7.4 निवेशक व्यथा

31मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी निवेशक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

5.7.5 केंद्रीयकृत वेब आधारित निवारक प्रणाली–स्कोर्स

सेबी अर्थात स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारक प्रणाली) की केंद्रीयकृत वेब आधारित शिकायत निवारक प्रणाली कंपनी में प्रयोग में लाई जाती है। स्कोर्स के माध्यम से बांडधारक कंपनी के प्रति अपनी शिकायत निवारण के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। दर्ज कराई गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑन लाइन भी देखी जा सकती है। यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि शिकायतों का समुचित रूप से निपटान किया गया है तो सेबी द्वारा शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता है।

5.7.6 अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पदनाम

सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव सूचीकरण अनुबंध के खंड 6 की मद में अनुपालन अधिकारी है।

6. लाभांश का भुगतान

वर्ष	वित्तीय वर्ष के लिए प्रदत्त लाभांश की कुल राशि	वार्षिक साधारण सभा की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2014–15	140	22 सितंबर, 2015
2015–16	162	26 सितंबर, 2016
2016–17	221	20 सितंबर, 2017 (अनुसूचित)

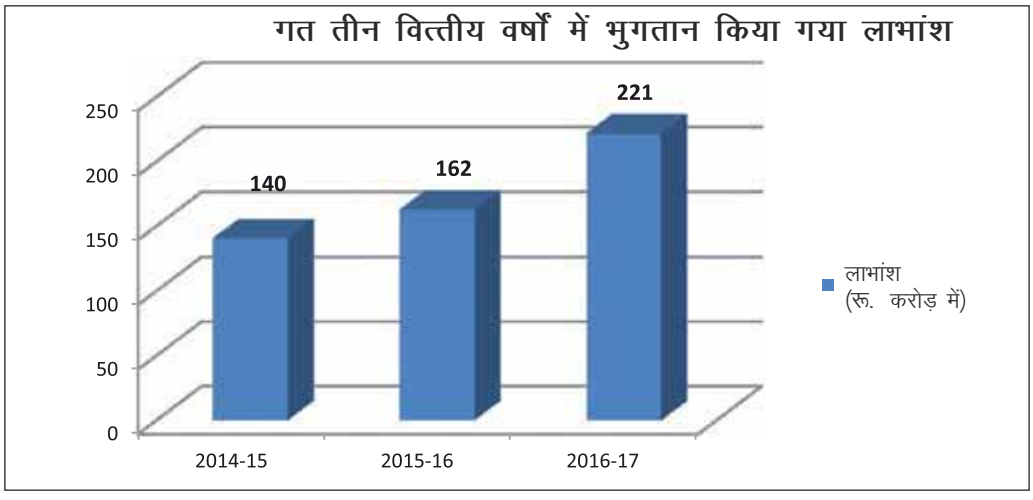

7. शेयरहोल्डिंग प्रतिमान

क्रमांक	श्रेणी	कुल शेयर	% इक्विटी
1	भारत के राष्ट्रपति	26880717	74.1943974
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349400	25.80560
3	अन्य नाममात्र शेयरधारक	10	0

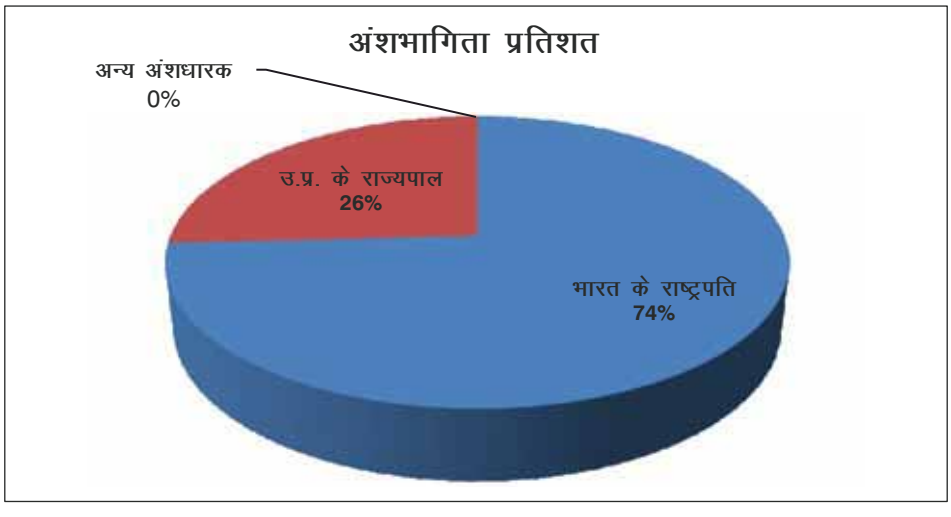

8. सचेतक नीति

अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने, इसकी जांच करने के लिए उचित कदम उठाने एवं उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए टीएचडीसी में पूर्ण परिभाषित सचेतक नीति है। किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षक समिति से संपर्क करने के लिए मना नहीं किया गया है। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

8. शिकायत निवारण तंत्र

संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने तथा कार्य की संतुष्टि में वृद्धि के लिए कर्मचारियों की शिकायत का शीघ्र निपटारा करने हेतु आसान और सुलभ व्यवस्था करने के उद्देश्य से डीपीई दिशानिर्देश के क्रम में शिकायत निवारण समिति गठित की गयी।

9. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। इस मैनुअल से यह अभिप्रेत है कि यह निगम में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखे। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन, परिकल्प तथा परियोजना इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

मैनुअल के क्रम में जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की गई। "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार प्रत्येक विभाग ने जोखिम रजिस्टर खोला है और जोखिम वाले कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसमें भविष्य के संदर्भ के लिए जोखिम की घटना तथा उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण दिया जाएगा। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा करता है। वर्ष के दौरान जोखिम की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी।

10. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी और अपेक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

11. संचार का माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों से वार्षिक रिपोर्ट, साधारण सभा, समाचार पत्र एवं वेबसाइट के जरिए संवाद करती है। सूचीबद्ध करार एवं सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशन एंड डिक्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियामक, 2015 के अनुसार कंपनी के आवधिक वित्तीय परिणाम विनिर्दिष्ट समय में घोषित किए जाते हैं। ये परिणाम राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ–साथ जनता को भी सामग्री उपलब्ध कराते हुए अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। कंपनी के बारे में सभी सामग्री वेबसाइट पर होस्ट गई है। कंपनी की वेबसाईट www.thdc.co.in है।

12. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

13. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों में अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छा सुशासन, ईमानदारी, सत्यानिष्ठा और निष्पक्षता के मानक को स्थापित करना है।

14. निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के विजन और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों को संचालित करने में आचार नीति तथा पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

निदेशक मण्डल के सदस्यों और निगम के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन के संबंध में वार्षिक अभिवचन प्राप्त किया गया है।

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

''बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है''।

(डी.वी. सिंह)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

15. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए है:

कंपनी सचिव	सुश्री रश्मि शर्मा
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2439309, फैक्स–0135–2439442
ई–मेल	rashmi.thdc@gmail.com
सार्वजनिक शिकायतों के लिए	श्री आर.एन. सिंह, अपर महाप्रबंधक (एस. पी)/निदेशक, लोक शिकायत
संपर्क फैक्स नं.	0120–2776490 0120–2776433
ई–मेल	rnsingh@thdc.co.in

पी.एस.आर.मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सी.पी. 13090

कारपोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249001

1. मैंने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी)** सीआईएन. यू45203यूआर1988जीओआई009822 द्वारा मई, 2010 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी दिशा–निर्देशों के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है। टीएचडीसी इंडिया लि., ऋण प्रतिभूतियों के लिए सूचीबद्ध है और भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी अंशभागिता के साथ भारत सरकार का उपक्रम है।
2. कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।
3. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
4. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

हस्ता./–
(पी.एस.आर. मूर्ति)
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 09 सितंबर, 2017

178 RPS FLATS, SHEIK SARAI PHASE-1, NEW DELHI-110 017
MOBILE: 919816010286; TEL:011-26018714
EMAIL:pendyala50@yahoo.com

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण करते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त)

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सीएसआर नियमावली की अपेक्षानुसार निवल संपत्ति, कुल ब्रिकी अथवा लाभ की सीमा रेखा पर आधारित पात्रता के मानदंड के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों को करने के लिए सीएसआर नीति बनाएगी। तदनुसार आपकी कंपनी के पास बोर्ड से अनुमोदित सीएसआर तथा सततता नीति, 2015 है। आपकी कंपनी की सीएसआर पर अभिदृष्टि है "सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारपोरेट समाज एवं समुदाय में मूल्य सृजन में सतत वृद्धि तथा सतत विकास को प्रोत्साहन करना।"

सीएसआर और सततता गतिविधि की योजना बनाना तथा चयन करना

- सीएसआर नियम और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथा विनिर्दिष्ट सीएसआर परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है और उनका चयन किया जाता है।
- सीएसआर कार्यकलाप परियोजना/कार्यक्रम प्रणाली में सम्पन्न किए जाते हैं, जिससे आबंटित बजट के अंदर आवश्यक संसाधनों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तथा निष्पादन के चरणों की योजना बनाई जाती है। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए निश्चित समय–सीमा तय की जाती है ।
- टीएचडीसीआईएल सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों को सम्पन्न करने के लिए अन्य कंपनियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं से सहयोग ले सकती है।
- जो कंपनी की व्यापारिक नीतियों एवं रणनीति के अनुकूल हों ऐसे सीएसआर और सततता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है।
- केवल उन्हीं सीएसआर गतिविधि/परियोजनाओं का चयन किया जाता है जिनका कार्यान्वयन /देखरेख आंतरिक विशेषज्ञता द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सके।
- किसी भी सीएसआर कार्यकलाप के चयन से पूर्व बेस लाइन/ आवश्यकता आंकलन कराया जाता है।
- सीएसआर समिति की सिफारिशों पर वार्षिक सीएसआर तथा सततता योजना का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जाता है।
- हमारी सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम समाज के वंचित तथा सीमांत वर्ग की वृद्धि एवं उन्नयन हेतु समग्र विकास सुनिश्चित करते हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए कम्प्यूटर केंद्र का संचालन

टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति

बोर्ड द्वारा अनुमोदित टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति प्रमुख हितधारकों के साथ संचालित संचार नीति में कंपनी द्वारा चलाई जा रही या चलाई जाने वाली सीएसआर सततता पहलों के संबंध में उनके विचार और सुझाव सुनिश्चित करना शामिल है। हालांकि सीएसआर गतिविधि के चयन तथा कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा लिया जाता है।

सीएसआर परियोजनाएं/कार्यकलाप

टीएचडीसीआईएल द्वारा जो भी सीएसआर कार्य सम्पन्न किया जाता है वह उसके प्रकार्यों तथा कार्यकलापों से सीधे प्रभावित होने वाले हितधारियों की प्राथमिकता पर विशुद्ध रूप से आधारित होता है। दीर्घावधि में कोई लाभ न देने वाली टुकडों–टुकडों में छोटी–मोटी आवश्यकताओं की

पूर्ति के स्थान पर टीएचडीसीआईएल लक्षित समुदायों के समग्र विकास पर ध्यान देता है। महिलाओं का शोषण रोकने के लिए महिला सशक्तिकरण, खेती तथा बागवानी कार्यों में हस्तक्षेप से आय अर्जन, स्वयं सहायता समूहों में पुनर्चक्रण निधि के माध्यम से आय अर्जन, चल–खाल (तालाबों) के जीर्णोद्धार/निर्माण करके पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान को बढ़ावा, जल हार्वेस्टिंग संरचनाओं को बढ़ावा, क्षमता विकास हेतु पारंपरिक जल–मिलों का आधुनिकीकरण, ईंधन, चारा और औषधीय वृक्षों का रोपण, स्वास्थ्य सेवाएं, संरक्षित पेय जल की उपलब्धता, स्वच्छता सुविधाएं (आर्थिक रूप से कमजोर, एससी/एसटी तथा ओबीसी वर्ग को) शिक्षा को बढ़ावा, कंप्यूटर एवं सिलाई में कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय आईटीआई की सहायता सहित रोजगार सृजन, पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना, परिस्थितिकी संतुलन आदि समग्र विकास में शामिल हैं।

हितधारियों को लगातार विभिन्न बैठकों, संगोष्ठियों तथा कृषक गोष्ठियों के माध्यम से जोड़ कर रखा जाता है। हमारी सीएसआर परियोजनाओं से हुए लाभ प्रत्यक्ष हैं। इस क्षेत्र में विशेषकर परियोजना प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सेवा–टीएचडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों से अब समुचित रूप से परिचित हैं और सेवा–टीएचडीसी द्वारा सम्पन्न कराए जा रहे विभिन्न सीएसआर कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे हैं।

नीति के अनुसार सीएसआर निधि का लगभग 65 प्रतिशत प्रचालन क्षेत्र के आस–पड़ोस में उपयोग में लाया जा रहा है और शेष निधि उस विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग में लाई जा रही है, जहां हमारा व्यवसाय फैला हुआ है।

वर्ष के दौरान चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्न शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- टीएचडीसी जागृति – शिक्षा विकास
- टीएचडीसी निरामय – स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
- टीएचडीसी प्रकृति – पर्यावरण प्रबंधन
- टीएचडीसी उत्थान – (ग्रामीण विकास)
- टीएचडीसी समर्थ – महिला सशक्तिकरण

सेवा – टीएचडीसी ने 10 मार्च 2017 को श्रेष्ठ सीएसआर संव्यवहारों का सार–संग्रह भी प्रकाशित किया है।

विस्तृत सीएसआर गतिविधियां परिशिष्ट – I में दी गई हैं।

सीएसआर बजट

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना होगा। तद्नुसार वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर बजट रू. 15.28 करोड़ है। टीएचडीसी द्वारा प्रायोजित समितियों, सेवा– टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति को सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। टीएचडीसीआईएल की सीएसआर एवं सततता नीति 2015 के अनुसार सीएसआर बजट का उपयोग मुख्यतः टीएचडीसीआईएल के प्रचालन क्षेत्रों के आस–पास और विविध परियोजना स्थलों/व्यापारिक स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में किया गया है। कंपनी सीएसआर और सततता कार्यक्रम बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) तथा बोर्ड स्तर (बीएलसी) की सीएसआर समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं।

कार्यान्वयन तंत्र

सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप साझेदार गैर–सरकारी संगठनों, समितियों, न्यासों, सरकारी एजेंसियों तथा विश्वविद्यालयों, इत्यादि के सहयोग से कंपनी प्रायोजित समितियों यथा सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

मानीटरिंग, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन

क) अभिज्ञात प्रमुख निष्पादन सूचकांकों की सहायता से आवधिक रूप से कार्यक्रमों/कार्यकलापों की मानीटरिंग की जाती है, इसकी आवधिकता मुख्यतः निष्पादक सूचकों तथा परियोजना चक्र की प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाती है। मानीटरिंग निरंतर फीड बैक तंत्र के साथ परियोजना मोड में की जाती है तथा कार्यान्वयन में मिड कोर्स करेक्शन के लिए साधन हमेशा उपलब्ध रहता है जब भी अपेक्षित हो

ख) विविध स्तरों पर निम्नलिखित पहल माध्यमों का उपयोग कर आवधिक मानीटरिंग की जाती है–

1) मासिक प्रगति रिपोर्ट
2) तिमाही प्रगति रिपोर्ट

3) वीडियो कांफ्रेंसिंग
4) स्थल भ्रमण
5) फोटोग्राफी, फिल्म तथा विडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य
6) अन्य–सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित, इन हाउस मानीटरिंग तंत्र

ग) रू. 5.0 लाख या उससे अधिक की सीएसआर परियोजनाओं का स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों/विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रभाव आंकलन के आधार पर भावी सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाई जाती है।

सीएसआर परियोजनाओं की लेखा–परीक्षा

सेवा–टीएचडीसी, टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस), कार्यान्वयन एजेंसियों के खातों की वार्षिक लेखा–परीक्षा संबंधित समितियों के उप–नियमों के अनुसार प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करायी जाती है।

बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) एवं बोर्ड स्तर की समिति (बीएलसी)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति(बीएलसी) का गठन किया है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशक सदस्य होते हैं। बीएलसी के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक हैं। बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें वार्षिक सीएसआर बजट, सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा, कार्यान्वयन तंत्र आदि पर विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सीएसआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड स्तर के नीचे की सीएसआर समिति (बीबीएलसी) का भी गठन किया गया है, जिसके सदस्य कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी तथा बाहरी विशेषज्ञ होते हैं।

बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन इस प्रकार है:

- श्री मोहन सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- श्री डी.वी.सिंह, प्रकार्यात्मक (निदेशक) – सदस्य
- श्री बच्ची सिंह रावत, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- श्री श्रीधर पात्रा, निदेशक (वित्त) – सदस्य

कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	:	763.04 करोड़ रुपए
निर्दिष्ट सीएसआर व्यय (निवल औसत लाभ का 2 प्रतिशत)	:	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत अर्थात 15.28 करोड़ रुपए ।
वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :		
(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ।	:	कुल 15.35 करोड़ रुपए जो पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक है।
(ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो।	:	शून्य
(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को खर्च करने के तरीके।	:	परिशिष्ट – I के अनुसार
यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को खर्च करने में नाकाम रही है, तो कंपनी को बोर्ड की रिपोर्ट में राशि खर्च न कर पाने का कारण देना होगा।	:	टीएचडीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर पर पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक व्यय किया है।

सीएसआर समिति का उत्तरदायित्वपूर्ण कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर के उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है ।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	हस्ताक्षर (सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसी जागृति – शिक्षा विकास

शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार–उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए निम्नानुसार विभिन्न उपाए किए गए।

- **ऋषिकेश तथा टिहरी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा**

  एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल जरूरतमंद बाहरी हितधारकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने एवं योगदान करने के लिए दो विद्यालय चला रहा है, एक भागीरथीपुरम, टिहरी में जो छठी से बाहरवीं कक्षा तक तथा दूसरा प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जो पहली से दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। ये विद्यालय टीएचडीसीआईएल शिक्षा समिति (टीईएस) के अंतर्गत पिछड़े तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संचालित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, बस सेवा के साथ ''नैवैद्यम'' योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है।

  वर्ष के दौरान विद्यार्थीगण विभिन्न पाठ्येत्तर गतिविधियों यथा वाद–विवाद, निबंध लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी प्रतियोगिताओं के साथ–साथ स्वच्छ भारत अभियान में भी भागीदारी करते हैं।

- **जूनियर हाई स्कूल कोटेश्वरपुरम**

  उपरोक्त के साथ ही केएचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए सेवा–टीएचडीसी द्वारा ओमकारानंद सरस्वती पब्लिक विद्यालय, शिक्षा समिति के माध्यम से कोटेश्वर, टिहरी में अंग्रेजी माध्यम का एक जूनियर हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्यकलापों के बारे में सिखाने हेतु योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अधुनातन शिक्षा पाने के लिए इस विद्यालय में कुल 140 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

वीपीएचईपी परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

- **टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर तथा टेक्नोलॉजी संस्थान**

  टीएचडीसीआईएल द्वारा सीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत भागीरथीपुरम (टिहरी बांध और एचपीपी के पास), टिहरी में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया है, ताकि कुशल जनशक्ति/तकनीकी स्नातक की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस संस्थान में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं यथा प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, वर्कशॉप, पुस्तकालय, कैंटीन तथा छात्र तथा छात्राओं के लिए छात्रावास विद्यमान है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन और कम्प्यूटर साइंस के कुल पांच विषयों में विद्यार्थियों के लिए सर्व सुविधायुक्त अवसंरचनाएं उपलब्ध है। यह संस्थान उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) देहरादून का संघटक कॉलेज है। यह इंजीनियरिंग कॉलेज वर्ष 2011–12 से चल रहा है। इसमें छात्रों के लिए 02 एवं छात्राओं के लिए भी 02 छात्रावास स्थापित है। इनमें से छात्राओं के एक

छात्रावास की स्थापना 2015–16 में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसीएल) तथा टीएचडीसीआईएल के संयुक्त सीएसआर अंशदान से हुई और इसका उद्घाटन टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और आरईसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से फरवरी, 2016 में किया गया।

उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, मुख्यतया राज्य के पिथौरागढ़, चमौली, टिहरी, उत्तरकाशी आदि जिलों के आदिवासी इलाकों के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और उच्चतर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को भी उनके घरों के समीप इस संस्थान के खुलने से लाभ हो रहा है। परियोजना प्रभावित परिवारों के विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। टीएचडीसी–आईएचईटी की उपस्थिति से स्थानीय समुदाय की आमदनी के स्तर में वृद्धि हुई है। इसने प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा किए हैं। जीविकोपार्जन के विभिन्न कार्यकलापों यथा दुग्ध आपूर्ति, समाचार पत्र/ पत्रिकाएं, किताबों की दुकान, फल एवं सब्जियां, दवाई की दुकान, कैंटीन, वस्त्र धुलाई, इत्यादि कामों में लगे स्थानीय समुदाय के लोग/विक्रेता इससे मुख्य रूप से लाभान्वित हुए हैं। स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों की किराना तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा रही है। टीएचडीसी–आईएचईटी की उपस्थिति से इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी/श्रमिक काफी प्रसन्न है।

अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता

- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विद्यालयों को अतिरिक्त क्लास रूम, शौचालय बनवाकर तथा कंप्यूटर, फर्नीचर, अध्ययन सामग्री, स्कूल बैग, गणवेश, वाटर फिल्टर, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया गया।
- देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवकों को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 12 केंद्र खोले गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से 450 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उनके कंप्यूटर कौशल को उन्नत कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना था।
- विशिष्ट एजेंसियों/संस्थानों के माध्यम से होटल प्रबंधन, बीपीओ, आतिथ्य आदि रोजगार परक कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 100 से अधिक युवाओं को इससे लाभ मिला।
- 'सीएसआर एवं सततता तथा टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति पर संवेदनशीलता पर आंतरिक एवं बाह्य हितधारको के लिए अनेक प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

टीएचडीसी निरामय – स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

इस पहल में स्वास्थ्य रक्षा बचाव एवं स्वच्छता, पेयजल आदि सहित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना शामिल है।

- टिहरी के सुदूर क्षेत्र दीन गांव में एमबीबीएस चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स और चिकित्सा सहायक की टीम के साथ वर्ष 2013–14 से एक एलोपैथिक औषधालय चल रहा है। निकटवर्ती 20 ग्रामों के औसतन वार्षिक 12000 व्यक्ति ओपीडी का लाभ उठा रहे हैं। इस औषधालय में लघु आपरेशन कक्ष तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं यथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला, एक्सरे, ईसीजी आदि तथा कॉल करने पर एम्बुलैंस सुविधा भी उपलब्ध है। दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती है।
- परियोजना प्रभावित क्षेत्रों तथा पुनर्वास बस्तियों में निर्मल नेत्र संस्थान, ऋषिकेश तथा टीएचडीसीएल के चिकित्सकों द्वारा 27 बहुविशेषज्ञता चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 5000 से अधिक रोगी आए तथा 200 से अधिक मोतियाबिन्द के आपरेशन किए गए। रोगियों की सर्जरी भी निःशुल्क की गयी।
- टिहरी जलाशय रिम क्षेत्र के 20 गांवों के लिए पोखरी, धोंतरी, कोटेश्वरानंद, ऋषिकेश में 2010–11 से चार होम्योपैथिक औषधालय चलाए जा रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 150 रोगी (ओपीडी) निःशुल्क परामर्श और औषधियां प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 60,000 (ओपीडी) रोगियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हो रहा है।
- टिहरी बांध परियोजना प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तिगत शौचालयों (विशेषकर कमजोर वर्ग हेतु) का निर्माण।

सेवा–टीएचडीसी द्वारा युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल कार्यालयों तथा विभिन्न स्थानों की कालोनियों, विद्यालयों, अस्पतालों, कार्यस्थलों, गलियों, सड़कों, बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों, पावन गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में सघन जन–जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार स्थानीय क्षेत्रों की सफाई की गई। नई टिहरी और ऋषिकेश नगरपालिकाओं के परामर्श से विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान रखवाए गए।
- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टिहरी और ऋषिकेश नगरपालिकाओं के परामर्श से विभिन्न स्थानों पर 20 कूड़ेदान रखवाए गए तथा नगर निकायों को 5 हाइड्रोलिक टिपर्स उपलब्ध कराए गए।
- साफ–सफाई और रख–रखाव हेतु 04 सरकारी विद्यालयों को गोद लिया गया।
- नई टिहरी के सरकारी चिकित्सालय के निकट, जनता को सस्ती दवायें सुलभ कराने के लिए जैनरिक औषधि–दुकान खोली गई।

टीएचडीसी प्रकृति – पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरणीय सततता और पारिस्थितिकी संतुलन लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :–

- परियोजना प्रभावित ग्रामों के विभिन्न स्थलों पर फल, चारा, ईंधन और औषधीय प्रजातियों के 15000 से अधिक वृक्ष लगाए गए।
- पशुलोक पुनर्वास क्षेत्र में 5 जून, 2016 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्वतंत्र निदेशक, टीएचडीसीआईएल कर्मचारीगण, वन विभाग तथा पुनर्वास बस्तियों में रहने वालों ने भाग लिया। पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त व्यक्तियों की उपस्थिति में विद्यालयीन बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तीन जिलों में हाईमास्ट तथा सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु सेवा–टीएचडीसी तथा ईईएसएल ने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस क्षेत्र में लगभग 375 सोलर स्ट्रीट लाइट तथा 170 हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था की जा रही है इससे जनता को सुरक्षा के साथ–साथ अतिरिक्त प्रकाश उपलब्ध होगा साथ ही ऊर्जा संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

टीएचडीसी उत्थान (ग्रामीण विकास)

कंपनी एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, किरोडीमल कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम तथा वीरचंद्र सिंह गढ़वाल उत्तराखंड विश्वविद्यालय, वन और बागवानी, रानीचौरी के साथ परियोजना प्रभावित ग्रामों के दीर्घावधि समग्र विकास हेतु 2009 से कार्य कर रही हैं।

संचालित की जा रही प्रमुख गतिविधियां कृषक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन, उनकी छोटी छोटी गतिविधियों के लिए प्रारंभिक धन हेतु सहायता प्रदान करना, कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी) की स्थापना, कंप्यूटर एवं सिलाई केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फल, चारा तथा औषधीय प्रजातियों के पौधों का रोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता गतिविधियां, कृषकों को गोष्टियों के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों के भ्रमण, फार्म प्लाटों का प्रदर्शन, बेमौसमी सब्जियों यथा मशरूम उत्पादन, बर्मी कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण करके जैविक खेती को बढ़ावा देना, पॉली हाउस का निर्माण तथा लाइव स्टॉक प्रबंधन आदि फसलों तथा दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना है।

परियोजना प्रभावित परिवारों तथा पथरी हरिद्वार में पुर्नवास बस्ती के ग्रामीणों को उनकी आय और आजीविका में वृद्धि

हेतु कृषि विभाग हरिद्वार के सहयोग से मशरूम खेती का प्रशिक्षण दिया गया है।

पशुलोक पुनर्वास क्षेत्र में फसलों तथा ग्रामीणों के घरों को प्रभावित करने वाले बाढ़ के पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण किया गया। ग्रामीणों के लिए यात्री शेड का निर्माण किया गया। इस क्षेत्र के ग्रामीणों की बैठक और उनके सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवन उपलब्ध कराए गए।

इन परियोजनाओं के माध्यम से लाभ

- कृषि कार्यक्रमों से कृषकों में विश्वास का स्तर बढ़ गया तथा युवकों को दीर्घकालिक आजीविका के स्रोत के रूप में कृषि को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया है।
- पिछले वर्षों में आय और जीवन स्तर में वृद्धि हुई।
- ग्रामीण समुदायों की भागीदारी स्तर में वृद्धि।
- कृषि विकास कार्यक्रमों से कृषकों की क्षमता में काफी वृद्धि हुई।
- ये कार्यक्रम, स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और नवीनतम तकनीकी नवोन्मेष को साथ लाने में सफल रहे।
- संसाधन प्रबंधन तथा परिवेशी पर्यावरण और प्रवास को रोकने में ये कार्यक्रम सहायक रहे।
- बाढ़ शमन उपायों आदि के रूप में वृक्षारोपण ने वर्षाऋतु में भूक्षरण को रोकने में मदद की।
- कृषक समुदाय के कल्याण के माध्यम से ग्रामीण विकास/राष्ट्रीय विकास लक्ष्य को समग्र रूप से प्राप्त किया गया।

महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन

टीएचडीसी समर्थ – महिला सशक्तीकरण

- महिलाओं विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए सिलाई–बुनाई, उत्पादन एवं सौंदर्य प्रसाधन जैसे विभिन्न केंद्र स्थापित किए गए। ये कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तीकरण, वृद्धि और विकास के मजबूत चैनल हैं ये केंद्र निःशुल्क संचालित होते हैं, अभी तक इन केंद्रों से 240 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
- अक्टूबर, 2016 में प्रसिद्ध समाज सुधारक 'दीपा माई' की स्मृति में साख समिति (क्रेडिट सोसाइटी) स्थापित की गई तथा 'दीपा माई महिला साख सहकारी स्वायत्त समिति' के नाम से पंजीकृत की गई। इस समिति में 65 महिला सदस्य हैं और इसका संचालन महिलाएं करती है। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सदस्यों को व्यावसायिक कृषि उपज की खेती का प्रशिक्षण दिया गया।

स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहल

वित्त वर्ष 2015–16 की सीएसआर गतिविधियों का विवरण एवं व्यय

1	2	3	4	5	6	7
क्रम सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि	सेक्टर जिसमें परियोजना लागू है	स्थानीय क्षेत्र एवं जिला	अनुमोदित बजट (रू. लाख में)	खर्च की गई राशि (रू. लाख में)	व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधे
1.	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत शौचालय, अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के लिए शौचालयों का निर्माण चार होम्योपैथिक तथा एक एलोपैथिक औषधालय, बहु विशिष्ट चिकित्सा शिविर, जलापूर्ति योजनाएं तथा वाटर पयूरीफायर्स आदि का वितरण	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (i) स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता	परियोजना प्रभावित क्षेत्र	1528.00	165.11	सेवा–टीएचडीसी
2.	टिहरी, कोटेश्वर तथा ऋषिकेश में तीन विद्यालयों का संचालन, टीएचडीसी का हाइड्रो इंजीनियरिंग एवं टैक्नॉलॉजी संस्थान का निर्माण, विद्यालयों को अवसंरचनात्मक सामग्री उपलब्ध कराना, कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, होटल प्रबंधन तथा आईटी प्रशिक्षण आदि।	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना			633.38	सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति
3.	महिला सशक्तीकरण हेतु सिलाई–कढ़ाई केंद्र की स्थापना	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iii) लिंग समानता को बढ़ावा, महिला सशक्तीकरण आदि			14.89	सेवा–टीएचडीसी
4.	वृक्षारोपण तथा नर्सरी विकास तथा सौर प्रकाश का संस्थापन	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (IV) पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना			153.07	सेवा–टीएचडीसी
5.	पारंपरिक कला और संस्कृति का विकास एवं उन्नयन	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (V) राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति आदि का संरक्षण			31.00	सेवा–टीएचडीसी
6.	खेल–कूद को बढ़ावा	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (VII) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल–कूद, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण			2.05	सेवा–टीएचडीसी

1	2	3	4	5	6	7
क्रम सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि	सेक्टर जिसमें परियोजना लागू है	स्थानीय क्षेत्र एवं जिला	अनुमोदित बजट (रू. लाख में)	खर्च की गई राशि (रू. लाख में)	व्यय की गई राशिः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीधे
7.	राष्ट्रीय आपदा/विपत्ति के दौरान आपतकालीन आवश्यकताओं के लिए अनुमत्य सीएसआर कार्यक्रम (वार्षिक सीएसआर बजट का 5 %)	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (VIII) केंद्र सरकार आदि द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष अथवा अन्य कोई कोष			1.24	सेवा–टीएचडीसी
8.	परियोजना प्रभावित क्षेत्र, कार्यस्थलों पर शमशान घाट, पैदल मार्ग, यात्री शेड, ग्रामीण सामुदायिक भवन निर्माण। जीविका विकास कार्यक्रम, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की स्थापना	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (X) अर्थात ग्रामीण विकास परियोजना			495.18	सेवा–टीएचडीसी
9.	प्रशासनिक ओवर हैड, क्षमता निर्माण, बेसलाइन/आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण, प्रभाव निर्धारण आदि (वार्षिक बजट का 5%: से अधिक नहीं होना चाहिए।				37.34	सेवा–टीएचडीसी
	कुल			**1528.00**	**1534.85**	

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

पृष्ठभूमि:

बिजली किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु बुनियादी जरूरत है। भारत में बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर विद्युत क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है ।

हमारे देश में विद्युत क्षेत्र के विकास को गतिशील बनाने की आवश्यकता है। दिसंबर, 2015 में पेरिस शिखर सम्मेलन के बाद हमारा राष्ट्र 15 वर्षों से कार्बन उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तर के जीडीपी की प्रति यूनिट गहनता 33–35% तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य 2030 तक विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता का 40% जीवाश्म ईंधन से उपलब्ध कराना है। भारत सरकार का लक्ष्य 2019 तक सभी के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराना है तथा 2022 तक नवीकरण स्रोतों से विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता को 175 जीडब्ल्यू तक पहुंचाना है। परियोजना के विरोध, कठिन प्रक्रियाओं तथा पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृति के कारण जल विद्युत क्षेत्र की प्रगति बहुत धीमी है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1070 यूनिट है जबकि वैश्विक औसत 3000 यूनिट है, जबकि मुख्यतया नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित भारत सरकार का लक्ष्य सतत विकास है।

टीएचडीसीआईएल विद्युत परियोजनाओं के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के प्रति वचनबद्ध है जिसका आशय सरकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता तथा राष्ट्रीय विकास को सततता से जारी रखने के लिए योगदान करना है।

1513 मे.वा. संस्थापित क्षमता के साथ अब टीएचडीसीआईएल बहु परियोजना वाला ऐसा संस्थान है जिसकी विभिन्न विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विविध स्तरों पर हैं। इस समय कंपनी की 14 परियोजनाएं विकास के विभिन्न स्तरों पर है जिनकी संस्थापित क्षमता 5719 मे. वा. है।

कंपनी की 31.03.2017 को प्राधिकृत पूंजी रू. 4,000 करोड़ है तथा इसमें चुकता पूंजी रू. 3598.88 करोड़ है। इसमें भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी भागीदारी 3:1 के अनुपात में है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 1300 मे.वा. के सुपर थर्मल विद्युत केंद्र तथा विभिन्न परम्परागत/गैर परम्परागत और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के संस्थापन हेतु रणनीतिक व्यापारिक विविधीकरण योजना के रूप में कार्रवाई प्रारंभ की है। कंपनी के अभिदृष्टि कथन "पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना " से परिलक्षित होता है कि कंपनी की दृष्टि सतत विकास पर है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण:

मजबूती और कमजोरियों के विपरीत अवसर तथा चुनौतियों का अध्ययन विश्लेषण द्वारा किया जाना है। टीएचडीसीआईएल का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण नीचे दिया गया है:–

(क) मजबूती

- **सुदृढ़ तकनीकी कौशल आधार :**

  टीएचडीसीआईएल ने जिसमें तकनीकी रुप से चुनौतीपूर्ण टिहरी जल विद्युत काम्प्लैक्स (2400 मेगावाट) के कार्यान्वयन में सुदृढ़ तकनीकी आधार प्राप्त किया है। एशियाई क्षेत्र के सबसे ऊंचे तथा विश्व के पांचवे सबसे ऊंचे अर्थ और रॉकफिल बांध (260.5 मीटर ऊंचा) का निर्माण शामिल है।

- **जटिल हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल:**

  टिहरी परियोजना में 27 सुरंगे हैं जिनका अधिकतम व्यास 11 मीटर तथा कुल लंबाई लगभग 18 कि.मी. है तथा इसमें 18 शाफ्ट हैं जिनका अधिकतम व्यास 12 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 220 मीटर है और कुल लंबाई लगभग 2.27 कि.मी. है।

- **जल विद्युत उत्पादन संयंत्र के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े जटिल मुद्दों को संभालने की योग्यता:**

टिहरी परियोजना में लगभग 15,000 परिवारों का सफल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर), टिहरी बांध से गंगोत्री तक के जलागम क्षेत्र का उपचार तथा पारिस्थितिकीय सुधार के अतिरिक्त अन्य उपाय शामिल थे।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल :**

  कंपनी के पास मजबूत और सक्षम प्रबंधन टीम है तथा 830 कार्यपालकों, 83 पर्यवेक्षकों तथा 1024 कामगारों से युक्त सहायक स्टाफ टीम है।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति**

  कंपनी, सुदृढ़ वित्तीय आधार के साथ वित्त वर्ष 2006–07 से लगातार लाभ अर्जित कर रही है। प्रदत्त पूंजी से अधिक आरक्षित और अधिशेष निधि ने कंपनी को भावी क्षमता विस्तार हेतु मजबूत आर्थिक स्थिति प्रदान की है।

(क) कमजोरियां :

- मुख्य रूप से राज्य विशिष्ट–परियोजनाएं केवल एक राज्य अर्थात उत्तराखंड तक सीमित है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां

(ख) अवसर :

- **भारत में अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता है:**

  जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभाव्यता है। दूषित जल–ताप मिश्रण, पवन विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि से पूरे दिन ऊर्जा नहीं मिल सकती है, पीक विद्युत कमियों से जल विद्युत को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है।

  जल विद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण लाभ प्रणाली को पीक पावर तथा अनुषंगिक सेवाएं प्रदान करने योग्य होना है। वर्तमान कीमत निर्धारण प्रणाली में इन लाभों को अच्छी तरह से मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि वितरकों को सेवा गुणवत्ता प्रदान करने के लिए बहुत थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है।

- **पड़ोसी देशों में जल विद्युत संभाव्यता:**

  भारत के बाहर विशेषकर नेपाल और भूटान जैसे क्षेत्र में व्यापार के विकास की संभावनाएं हैं जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है।

- अन्य परंपरागत/गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में विविधीकरण की संभावनाएं हैं।

रणनीतिक विविधीकरण

आपकी कंपनी ने भारत और विदेश में परम्परागत/गैर परम्परागत स्रोतों के माध्यम से सभी प्रकार से विद्युत विकास के अपने लक्ष्य में विस्तार किया है। आपकी कंपनी ताप परियोजनाओं के विकास के प्रारंभिक चरण में है तथा नवीकरणीय ऊर्जा के एक भाग के रूप में पवन विद्युत परियोजना को प्रचालित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य केवल क्षमता बढ़ाना ही नहीं बल्कि इसकी वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के साथ–साथ इसे अनुपयोगी होने से भी बचाना है।

➢ ताप विद्युत

टीएचडीसीआईएल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले पर 1320 मे.वा. का खुर्जा सुपर थर्मल विद्युत संयंत्र लगा रही है। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादकता 9828 मि.यू. है।

➢ सौर ऊर्जा

देश में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। टीएचडीसीआईएल ने फरवरी 2015 में 250 मे.वा क्षमता तक की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हें जिसे प्रारंभ में 50 मे.वा. तक संचालित करने का प्रस्ताव है।

केरल 50 मे.वा. सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए एसईसीआई, केएसईबी एवं टीएचडीसीआईएल के मध्य 31.03.2015 को एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए। केरल के एसईसीआई द्वारा कासरगोड जिले के सोलर पार्क में 50 मे.वा. पीवी परियोजना की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

एसईसीआई द्वारा दीर्घ बोली प्रक्रिया के माध्यम से अप्रैल, 2017 में रिवर्स बिडिंग पूर्ण की गई। लाभग्राही राज्य केरल के केएसईबी के साथ विद्युत आपूर्ति करार (पीएसए) पर हस्ताक्षरित होने के बाद संविदा अवार्ड की जाएगी। केएसईबी के साथ त्रिपक्षीय करार तथा सहमति ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप एसईसीआई के माध्यम से टीएचडीसीआईएल ने ईपीसी कांट्रेक्टर हेतु श्रेष्ठ औद्योगिक आचरण का पालन किया है।

पवन ऊर्जा

कंपनी ने पवन ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करके अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों का विविधीकरण भी किया है।

दिनांक 29.06.2016 को 50 मे.वा. पाटन पवन ऊर्जा तथा 31.03.2017 को द्वारका में 63 मे.वा. पवन ऊर्जा परियोजना, दोनों गुजरात में स्थापित होने से टीएचडीसी ने ग्रिड में 113 मे.वा. अक्षय ऊर्जा जोड़ दी।

परामर्श

कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य केन्द्रीय उपक्रमों/राज्यों/निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परामर्श/परियोजना कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने की अपनी विशेषज्ञता और कौशल का प्रयोग कर सकती है।

(घ) चुनौतियां

- **अनुमति प्राप्त करने में समय लगना**

  पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के कठिन मानदंड और भारी प्रक्रिया होने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है।

  पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर गैर–सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होता है।

- **भूमि अधिग्रहण**

  अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल है और उसमें काफी समय लगता है।

- **भौगोलिक अनिश्चितताएं**

  भौगोलिक विशषमताओं के कारण, विशेषकर तरूण हिमालय क्षेत्र में समय और लागत में काफी वृद्धि हो जाती है।

- **प्राकृतिक आपदाएं**

  चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए भू–स्खलन, पर्वतीय ढलानों के ढह जाने और सड़कों के अवरुद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा समय और लागत बढ़ जाती है।

- **सिविल ठेकेदारों की खराब वित्तीय स्थिति**

- **विनियामक जोखिम**

  इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करें। टैरिफ विनियमों में आगे और परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह प्रचालन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

भावी दृष्टिकोण:

मानव की समृद्धि का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज सामना की जा रही ऊर्जा संबंधी चुनौतियों को हम कितनी सफलतापूर्वक सुलझाते हैं। कंपनी का भावी दृष्टिकोण सतत विकास पर केन्द्रित है:

- पर्यावरण की रक्षा करने तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हरित, नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन ;
- मांग में कमी लाने के लिए ऊर्जा का कार्यकुशल ढंग से प्रयोग; और
- कार्यकुशल, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयोग (नवाचार)।

कंपनी स्वयं या राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रमों/भारत और विदेश स्थित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों तथा संगठनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों/देशों में जल संसाधनों के विकास में अपनी क्षमता को प्रयोग में लाने का प्रयास करेगी।

कंपनी, कोयला तथा नवीकरणीय अर्थात सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अन्य संसाधनों को प्रयोग में लाना चाहती है। कंपनी अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/जल विद्युत विकास के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए विकासकर्ताओं (डेवलपरों) को सर्वेक्षण और अन्वेषण, योजना और विकास परियोजना प्रबंधन तथा प्रचालन और अनुरक्षण में परामर्श देने की इच्छा रखती है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – IV

ऊर्जा संरक्षण उपाय–तकनीकी अंगीकरण एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण के उपाय

ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबंधन उपाय ऊर्जा की चरम और औसत मांग को घटा सकते हैं। संरक्षित ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और इसके संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायक है। ऊर्जा संरक्षण में मार्जिन में निवेश ऊर्जा आपूर्ति में निवेश बेहतर प्रतिफल देता है।

उत्तर प्रदेश के कमांड क्षेत्र में टिहरी एवं कोटेश्वर बांध से नदी जल प्रवाह के विनियमन के कारण सिंचाई में स्थिरीकरण से सिंचाई के लिए पंप से जल खीचने में व्यय होने वाली ऊर्जा की मांग में काफी गिरावट आई है। इससे डीजल और विद्युत उपभोग तथा कार्बन उत्सर्जन की कमी में सहायता मिली है।

टीएचडीसीआईएल का विद्युत की मांग कम करने के लिए इसके दक्षतापूर्वक उपयोग में विश्वास है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

वित्त वर्ष 2016–17 में ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए–

i) अतिथिगृह सहित गैर आवासीय परिसर के सामान्य क्षेत्र में स्विच सेंसरों के माध्यम से आक्यूपेंसी मोड तथा वैकेंसी मोड में 67 लाइटों की व्यवस्था की गई।

ii) टाउनशिप क्षेत्र के साथ–साथ गैर आवासीय परिसर में 50 सौर एलईडी लाइटें लगाई गईं।

iii) टीएचडीसीआईएल की सभी टीएचडीसीआईएल इकाईयों में सड़क लाइटों सहित पुराने बल्बों को बदलने का काम पूरा किया जा चुका है। हालांकि, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में स्थित टिहरी एवं कोटेश्वर में 50% कार्य पूरा हो गया है।

iv) गैर आवासीय भवनों की छतों पर 500 केवी रूफ टाप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जो आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ अकार्य दिवसों पर ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करता है।

v) सभी नए गैर आवासीय परिसरों में एलईडी प्रकाश के प्रावधान हैं।

vi) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया।

vii) आवासीय और गैर आवासीय भवनों में पांच सितारा रेटेड छत के पंखें लगाए गए।

viii) गैर आवासीय भवनों में स्टार रेटेड एसी लगाए गए तथा 52 बिना सितारा रेटिंग वाले एसी को पांच सितारा रेटिंग वाले एसी से बदला गया।

कार्यालय परिसर और अतिथिगृहों में लगभग 396 एसी काम कर रहे हैं, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 261 एसी को स्टार रेटेड एसी में बदला गया। विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार आगामी 6 महीनों में शेष एसी को भी सितारा रेटेड एसी में बदले जाने की योजना है।

उद्यान क्षेत्र, कार्यालय और आवासीय क्षेत्र की फेंसिग और प्रकाश व्यवस्था भी सौर प्रणाली से की गई है। दिन के प्रकाश को समुचित ढंग से प्रयुक्त करने के लिए सभी नए भवनों में समुचित प्रावधान किए गए हैं। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार तथा हानि में कमी करने के लिए स्वचालित पावर फेक्टर नियंत्रक लगाए गए हैं।

उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से विद्युत उपभोग की यूनिटों में 10–13% की कमी आयी। कंपनी अपने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल और प्रोत्साहन कर रही है।

प्रौद्योगिकी आमेलन, अंगीकरण और नवाचार

टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी

मशीनों की उपलब्धता, विश्वसनीयता एवं जीवनकाल तथा संयंत्र के निष्पादन तथा इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों को ठीक रखने के लिए निगरानी और जांच, मैसर्स केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलौर द्वारा वर्ष 2010–12 से की जा रही है। वित्त वर्ष 2016–17 में टीएचडीसीआईएल टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के लिए कंडीशन मानीटरिंग कार्य कराया गया है।

टिहरी एचपीपी की विद्यमान एचएमआई कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के नवीनतम औद्योगिकी आईटी 800एक्सए तकनीक में उन्नयन करना

स्काडा (एससीएडीए) प्रणाली, विंडो एनटी तथा अनुषंगी हार्डवेयर एवं इनसे जुड़े हार्डवेयर में प्रोद्योगिकी की नवीनता टिहरी एचपीपी में स्पोर्ट, नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली में जोखिम को दूर करने के लिए नवीनतम 800 एक्सए प्रचालन प्रणाली में उन्नयन किया गया।

टिहरी एचपीपी के विद्यमान ईएमएस (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) का उन्नयन

टिहरी एचपीपी पर स्थापित विद्यमान ईएमएस प्रणाली का नवीनतम विद्युत परिदृश्य की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रचालन और डिजीटाइजेशन के अनुपालनार्थ उन्नयन किया गया। इष्टतम प्राप्त करने के लिए नयी प्रणाली में नई प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक विचलन प्रभार की गणना करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त नई प्रणाली में 11 केवी आगत तथा डीजी सेट के माध्यम से केंद्र अनुषंगी खपत की गणना करने की भी व्यवस्था है।

- **एसपीएस (विशेष सुरक्षा योजना) का कार्यान्वयन**

नियत श्रृंखला क्षतिपूर्ति में आउटेज के कारण कोटेश्वर–मेरठ फीडर्स के किसी एक फीडर में किसी आकस्मिकता के कारण अनिश्चितताओं की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसीलिए टिहरी परिसर में एसपीएस के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई। टिहरी परिसर में पीजीसीआईएल के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय में किफायती कीमत पर एसपीएस कार्यान्वित किया गया। असामान्य प्रणाली दशाओं, विशेषकर कंटीजेंसी संबंधी तथा प्रारंभिक पूर्वनिर्धारित, दोष निवारक कार्रवाई (दोष पूर्ण एलीमेंट को अलग करने के अतिरिक्त), असामान्य दशाओं के परिणामों को शमन करते हुए तथा ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में वैश्विक रूप से विशेष संरक्षण योजना (एसएमएएस) को अपनाया गया।

- **सुक्ष्म भूकंपीय एवं शक्तिशाली गति मापक का संस्थापन (एसएमएएस)**

एस्क्लेरोग्राफ(एसएमएएस)

(i) सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क

भूकंपीय नेटवर्क का उद्देश्य टिहरी बांध क्षेत्र के इर्द–गिर्द सूक्ष्म भूकंपीय गतिविधियों का दीर्घकालिक आंकड़ें एकत्र करना और भूकंपों का लेखा रखना। इस समय नेटवर्क में बारह अभिलेखन केंद्र काम कर रहे हैं। इनमें से 09 केंद्रों का टिहरी स्थित केंद्रीय अभिलेखन केंद्र (सीआरएस) के साथ रेडियो लिंक है तथा तीन केंद्र स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं।

(ii) शक्तिशाली गति मापन

टिहरी और कोटेश्वर बांध की शक्तिशाली भू–गतियों को अभिलिखित करने तथा भूकंप के दौरान उनकी अनुक्रियाओं को मानीटर करने के लिए शक्तिशाली गति मापक (एसएमएएस) लगाए गए है, टिहरी एचपीपी में कुल 10 एसएमए संस्थापित किए गए हैं।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(रू. लाख में)

	विवरण	2016- 17	2015-16
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	14	27
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	293	249
	प्रबंधन / प्रतिबद्धता शुल्क	125	308
	ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान	0	0
	वस्तुओं का आयात	12517	8781
	अन्य		3746
	योग	**12949**	**13111**

(₹ लाख में)

	विवरण	2016- 17	2015-16
ख	**विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य**		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	13087	8809
	ii) स्पयेर पुर्जे		
	योग	**13087**	**8809**
घ	खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य		
	i) आयातिति (रू. लाख में)	68	51
	(%)	14	6
	ii) स्वदेशी (रू. लाख में)	444	749
	(%)	86	94
च	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

टीएचडीसीआईएल व्यापार दायित्व रिपोर्ट 2016–17

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – V

टीएचडीसीआईएल व्यापार दायित्व रिपोर्ट 2016–17

खंड–क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचनाएं

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):** यू45203यूआर1988जीओआई009822
2. **कंपनी का नाम:** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता:** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
4. **वेबसाइट:** www.thdc.co.in
5. **ई मेल आई डी:** cmd@thdc.co.in
6. **जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है:** 2016–17
7. **जिस सेक्टर/जिन सेक्टर के साथ कंपनी जुड़ी हुई है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार): विद्युत**

*समूह	वर्ग	उप वर्ग	विवरण
351	3510	35101	विद्युत ऊर्जा का उत्पादन

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्गीकरण के अनुसार

8. **उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र के अनुसार)**

1. जल विद्युत
2. पवन विद्युत
3. अभियांत्रिकी परामर्श

9. **उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं**

1. **अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या–1 (बुनाखा एचईपी (182 मे.वा.), भूटान)**
2. **राष्ट्रीय स्थानों की संख्या–18**

क्रम सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनाएं /गतिविधि
1.	कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश	देहरादून	उत्तराखंड	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाएं
2.	एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	थर्मल डिजाइन तथा विद्युत मंत्रालय के साथ संपर्क

क्रम सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनाएं /गतिविधि
3.	पंजीकृत कार्यालय, भागीरथीपुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	टिहरी एचपीपी (1000 मे.वा.), टिहरी पीएसपी (1000 मे.वा.) तथा कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.)
4.	परियोजना कार्यालय, कोटेश्वरपुरम	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	कोटेश्वर एचईपी (400 मे.वा.)
5.	नई परियोजना कार्यालय, न्यू टिहरी शहर (एनटीटी)	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड	नई परियोजनाएं– झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.), बोकांग बेलिंग एचईपी (330 मे.वा.) तथा गोहाना ताल एचईपी (50 मे.वा.)
6.	परियोजना कार्यालय, अलकनंदा पुरम	चमोली	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मे.वा.)
7.	संपर्क कार्यालय, देहरादून	देहरादून	उत्तराखंड	राज्य सरकार एवं आर एंड आर कार्य के लिए संपर्क
8.	परियोजना कार्यालय, खुर्जा	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मे.वा.)
9.	परियोजना कार्यालय, जोशीमठ	चमोली	उत्तराखंड	मलेरी झेलम एचईपी (65 मे.वा) और झेलम तमक एचईपी (108 मे.वा.)
10.	परियोजना कार्यालय, धारचुला	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	बोकांग बेलिंग एचईपी (330 मे.वा.)
11.	संपर्क कार्यालय, पंचकुला	पंचकुला	हरियाणा	चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के साथ संपर्क
12.	संपर्क कार्यालय,नैनीताल	नैनीताल	उत्तराखंड	माननीय उच्च न्यायलय, उत्तराखंड में न्यायियक मामले
13.	संपर्क कार्यालय, लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मे.वा.)तथा उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क

क्रम सं.	कार्यालय का नाम/स्थान	जिला	राज्य	संचालित परियोजनाएं /गतिविधि
14.	परियोजना कार्यालय,बबीना	झांसी	उत्तर प्रदेश	ढुकवां एसएचपी (24 मे.वा.)
15.	परियोजना कार्यालय, राधनपुर	पाटन	गुजरात	पाटन पवन विद्युत फार्म (50 मे.वा.)
16.	परियोजना कार्यालय, देवभूमि द्वारका	देवभूमि द्वारका	गुजरात	देवभूमि द्वारका पवन विद्युत फार्म (63 मे.वा.)
17.	ट्रांज़िट कैंप, एनबीसीसी टॉवर	नई दिल्ली	नई दिल्ली	मंत्रालय तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संपर्क
18.	परामर्शी कार्यालय, कटरा	रियासी	जम्मू–कश्मीर	कटरा तथा वैष्णो देवी के बीच ढलान स्थिरीकरण के लिए परामर्श
19.	अमेलिया कोयला खान परियोजना कार्यालय	सिंगरौली	मध्य प्रदेश	अमेलिया कोयला खान का प्रबंधन

10. कंपनी की सेवा प्राप्त करने वाले बाजारः

टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराता है।

(i) उत्तराखंड
(ii) उत्तर प्रदेश
(iii) हरियाणा
(iv) पंजाब
(v) हिमाचल प्रदेश
(vi) जम्मू और कश्मीर
(vii) राजस्थान
(viii) दिल्ली
(ix) चंडीगढ़
(x) गुजरात

खंड खः कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. **प्रदत्त पूंजी** : 3598.88 करोड रु.
2. **कुल कारोबार (सकल आय)** : 2235.97 करोड़ रु.
3. **करोपरांत कुल लाभ (पीएटी)** : 711.23 करोड़ रु.

4. करोपरांत लाभ (%)के प्रतिशत के रुप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्चः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के रूप में लिया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर बजट 15.28 करोड़ रू. है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर पर 15.35 करोड़ रू. का वास्तविक व्यय किया गया।

5. उन गतिविधियों की सूची जिनके लिए उपरोक्त 4 में व्यय किया गया हैः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान मोटे तौर पर निम्नलिखित मुख्य शीर्षों पर सीएसआर व्यय किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप है :

1	2	3	4	5	6	7
क्रमांक	**सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**क्षेत्र**	**स्थानीय क्षेत्र एवं जिला**	**अनुमोदित बजट(लाख रूपये में)**	**खर्च की गई राशि (लाख रूपये में)**	**खर्च की गई राशिः सीधी या कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के माध्यम से**
1	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि	स्वास्थ्य	परियोजना प्रभावी क्षेत्र (उत्तराखंड)	1528.00	165.11	सेवा–टीएचडीसी
2	शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कौशल आदि	शिक्षा			633.38	सेवा–टीएचडीसी
3	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण			14.57	सेवा–टीएचडीसी
4	पर्यावरण सततता आदि	पर्यावरण			153.07	सेवा–टीएचडीसी
5	राष्ट्रीय विरासत कला संस्कृति को बढ़ावा देना	कल्याण			31.0	सेवा–टीएचडीसी
6	खेल–कूद को प्रोत्साहन	खेल–कूद			2.05	सेवा–टीएचडीसी
7	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता आपदा/ प्राकृतिक/निधि	आपदा प्रबंधन			1.24	सेवा–टीएचडीसी
8	ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सामाजिक			495.18	सेवा–टीएचडीसी
9	निष्पादन करने वाली एजेंसी (सेवा–टीएचडीसी) के कार्यालयीन व्यय/ बेस लाईन सर्वेक्षण/ विशेषज्ञों के दौरे पर खर्च				37.34	सेवा–टीएचडीसी
	कुल			**1528.00**	**1534.85**	

खंड गः अन्य ब्यौरे

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं ?**

   नहीं

2. **क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की बी आर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी / कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें**

   लागू नहीं

3. **क्या कोई अन्य इकाई / इकाईयां (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई / इकाईयों के प्रतिशत का उल्लेख करें (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)**

   नहीं

खंड घः बी आर संबंधी सूचना

1. **बी आर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण**

क) बी आर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का ब्यौराः

- **डी आई एन नं.** – **03107819**
- **नाम** – **श्री डी. वी. सिंह**
- **पदनाम** – **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

बीआर ीर्ष का ब्यौरा

1. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशकगण

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक गण
सिद्धांत 1 (पी 1)	व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित व सुशासित किए जाएं	• आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कारपोरेट आचार नीति • व्यापारिक आचार और नैतिक संहिता • सचेतक नीति • सत्यनिष्ठा समझौता	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 2 (पी 2)	व्यापार द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन काल के दौरान सततता में योगदान करें ।	सुरक्षा नीति, सीएसआर और सततता नीति ओएचएसएएस 18001: 2007	निदेशक (तकनीकी)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	उत्तरदायी निदेशक / निदेशक गण
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यापार द्वारा सभी कर्मचारियों के हित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए	एचआर नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यापार द्वारा सभी हितधारियों विशेषकर वंचित, कमजोर तथा सीमांत हितधारियों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन व मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी 5)	व्यापार द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिएा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।	विजन, मिशन और मूल्य	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी 6)	व्यापार द्वारा पर्यावरण का सम्मान और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	पर्यावरण नीति आईएसओ 140001–2004 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी 7)	व्यापार में जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों तो उन्हें उत्तरदायी रीति से यह कार्य करना चाहिए।	कोर वैल्यू	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी 8)	व्यापार द्वारा समावेशी विकास तथा समता मूलक विकास का समर्थन किया जाना चाहिए	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार रणनीति	निदेशक(तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी 9)	व्यापार जगत को अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा उन्हें अपने ग्राहकों को उत्तरदायी रुप में महत्व देना चाहिए	उपभोक्ता प्रति–पुष्टि तंत्र	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)

सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या..... के लिए आपकी कोई नीति/नीतियां है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
2	क्या संगत हितधारियों से परामर्श करने के उपरांत नीति तैयार की गई है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें–	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
4	(I) क्या नीति को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है? (II) यदि हां, तो क्या प्रबंध निदेशक/ मालिक/सीईओ/यथोचित बोर्ड निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए है?	हां नहीं	हां नहीं	हां हां	हां हां	हां हां	हां नहीं	हां हां	हां हां	नहीं नहीं
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी में बोर्ड/ निदेशक/कार्मिकों की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
6	नीति (पालिसी) को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें	*	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	–
7	क्या सभी संगत आंतरिक और बाहरी हितधारियों को नीति के बारे में औपचारिक रुप से सूचित किया जा चुका है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
8	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक ढांचा है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
9	क्या नीति/ नीतियों से जुड़ी हितधारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी की नीति/ नीतियों से जुड़ा कोई शिकायत निवारण तंत्र है ।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से इस नीति के कामकाज की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाया है।	हां	हां	हां	हां		हां	हां	हां	

***पर्यावरण नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
http://thdc.co.in/English/Scripts/Environment_Policy.aspx

***पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
http://thdc.co.in/writereaddata/English/PDF/NEW_R&R_%20POLICY_OF_%20THDC.pdf

***सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है :**
http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/CSR-CD-policy28.05.13.pdf

***टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है :**
http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/CSR_CommuStrategy.pdf

***कारपोरेट आचार संहिता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है :**
http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/corporteETHICSPolicy.pdf

***सचेतक नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
सचेतक नीति के लाभग्राही केवल कंपनी के कर्मचारी है। इसलिए सचेतक नीति केवल इंट्रानेट अर्थात कर्मचारियों के लॉग–इन पर उपलब्ध है।

***व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/BusinessConductandEthics.pdf

***अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:**
http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/R&D_Policy-Publish.pdf

***संरक्षा नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है**
http://thdc.co.in/writereaddata/english/pdf/safetymanual.pdf

2. यदि किसी सिद्धांत के लिए क्र.सं. 1 का उत्तर ''नहीं'' है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों पर ( ) का निशान लगाएं)।

सिद्धांत9: टीएचडीसीआईएल द्वारा सिद्धांत–9 के अंतर्गत चिन्हित सभी बातों का अपनी वाणिज्यिक प्रक्रिया के माध्यम से पालन किया जाता है। तथापि, टीएचडीसीआईएल महसूस करती है कि निम्नलिखित कारणों से सिद्धांत 9 पर अलग नीति की आवश्यकता नहीं है:

- टीएचडीसीआईएल बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विद्युत आपूर्ति करती है। इनमें से अधिकांश संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं,
- विद्युत का आबंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा निश्चित नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है।
- विद्युत प्रशुल्क (पावर टैरिफ) का निर्धारण सभी हितधारियों को शामिल कर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा किया जाता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और हितधारी राज्यों के आपसी समझौते पर तय किया जाता है।
- यदि कोई मुद्दा हो तो उस पर उत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामूहिक मंच पर चर्चा कर समाधान किया जाता है, इसमें ग्राहकों के संगठन और उत्पादक सदस्य होते हैं।
- ग्राहकों की जरुरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे (लाभग्राहियों से) अलग से फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

3. बीआर से संबंधित सुशासन

- जिस अंतराल पर निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियां या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंपनी के बी आर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, उसका उल्लेख करें :–

  छमाही

- क्या कंपनी बीआर या सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? कितने समय के अंतराल पर इसका प्रकाशन किया जाता है?

  – हां । टीएचडीसीआईएल वर्ष 2008–09 से हर वर्ष सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। टीएचडीसीआईएल की सततता रिपोर्ट http://thdc.co.in पर उपलब्ध हैं:

  व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट टीएचडीसीआईएल की वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

खंड ङ: सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 (व्यापारों का संचालन व सुशासन आचार, पारदर्शी और जिम्मेदारी के साथ स्वयं करना चाहिए)

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी ही आती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों पर लागू है?

टीएचडीसीआईएल ने कंपनी अधिनियम/डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारपोरेट सुशासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। सुशासन में कंपनी के सभी कार्मिकों की जवाबदेही शामिल होती है तथा यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमादित की गई कंपनी की नीतियों पर आधारित होता है। इन नीतियों में उल्लिखित सिद्धांतों को दिशानिर्देशों और आचार संहिता के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।

आचार नीति, सचेतक नीति, कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम तथा कामगारों के लिए स्थायी आदेश पहले ही प्रचलन में है जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम को कम करना है।

जल विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण में कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल होती है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अवार्ड किए गए सभी प्रमुख कार्य अनुबंधों (1000.0 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) तथा आपूर्ति और सेवा कार्यों (500.00 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) के लिए अनिवार्य रूप में सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि प्रापण (खरीददारी) और संविदा प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके।

इस प्रकार यह नीति ठेकेदारों पर भी लागू होती है।

2. गत वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी

शिकायतें प्राप्त हुई है तथा प्रबंधन द्वारा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषप्रद रूप से समाधान किया गया है? यदि हां तो 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

पूर्ववर्ती वर्ष की कोई शिकायत बकाया नहीं है। दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के बीच सचेतक नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 2 (व्यवसायों को उन सामानों और सेवाओं को प्रदान करना चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके जीवन चक्र में स्थिरता हेतु योगदान करते हैं)

1. अपने 03 उत्पादों या सेवाओं की सूची उपलब्ध करवाएं जिनकी डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता जोखिम और/या अवसर उपस्थित हुए हैं।

सभी विद्युत उत्पादन पद्धतियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जल विद्युत क्षेत्र एवं पवन विद्युत क्षेत्र में होने के कारण प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत हैं। कंपनी, संव्यवहार अपने प्रचालनों का प्रभाव सीमित करने के लिए पर्यावरण का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करती है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। पर्यावरण में उत्सर्जन में कमी लाना (विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसें), मृदा और जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय जैव विविधता संरक्षण, परिवेश के साथ सुविधाओं का समेकन, स्रोत पर कमी लाना, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण आदि ऐसे प्रयास हैं जो पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने वाले सभी पक्षों पर लागू होते हैं।

जिन निर्माण परियोजनाओं से जैव भौतिक और मानवीय पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना होती है उनके लिए पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उपशमन, प्रतिपूर्ति और अनुसरण से जुड़े उपाय भी विकसित किए जाते हैं। टीएचडीसीआईएल अपनी कार्रवाई की कारगरता सुनिश्चित करने के लिए यह संगठन ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों पर निर्भर करता है। टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी तथा विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी नामक तीन परियोजनाओं के लिए आईएसओ 14001:2004 (ईएमएस) प्राप्त किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष मानीटरिंग भी लागू की गई है।

444 मे.वा. वीपीएचईपी की 12 कि.मी. हैड रेस सुरंग का निर्माण टनल बोरिंग मशीन के जरिए किया जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध करवाएं, प्रति ईकाई उत्पाद (वैकल्पिक):

क.. पिछले वर्ष की तुलना में पूरी वैल्यू चेन के दौरान स्रोत/उत्पादन/वितरण में प्राप्त की गई कमी कितनी है?

ii. पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा (ऊर्जा, जल) प्रयोग में की गई कमी?

टीएचडीसीआईएल पन बिजली और पवन विद्युत के माध्यम से बिजली पैदा कर रहा है। जल विद्युत परियोजनाएं जल की खपत किए बिना इसका उपयोग कर बिजली उत्पादन करती है और इस जल को पीने और सिंचाई के प्रयोजन से छोड़ दिया जाता है। पवन विद्युत पवन की गति का प्रयोग करते हुए विद्युत का उत्पादन करती है तथा इसमें भी संसाधनों की कोई खपत/कमी नहीं होती।

3. क्या सतत स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कोई प्रक्रिया–विधियां है ?

i. यदि हां, तो आपकी इनपुट का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक रूप से किया गया ? साथ ही लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त जल तथा पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त पवन की गति, दोनों में संसाधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और इस उत्पादन प्रक्रिया में इसकी मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है।

4. क्या कार्यस्थल के आस–पास स्थित समुदाय के लोगों सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कोई कदम उठाएं हैं? यदि हां तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता बढ़ाने लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

माल की खरीददारी ई–टेंडर के जरिए की जाती है । व्यापक प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों में एनआईटी भी प्रकाशित की जाती हैं । सभी टेंडर सभी वेंडरों के लिए खोले जाते हैं जिनमें स्थानीय वेंडर भी शामिल होते हैं।

स्थानीय/छोटे वेंडरों/ठेकेदारों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

- ई–टेंडरिंग में स्थानीय/छोटे वेंडरों को ई–टेंडरिंग के प्रति संवेदनशील किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल द्वारा खोले गए ''सुविधा केंद्रों'' के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पंजीकरण एवं टेंडर अपलोड करने के लिए विक्रताओं की सहायता की जाती है।
- 2.0 करोड़ रू. तक के मूल्य के टेंडर स्थानीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। 2.0 करोड़ रू. से अधिक मूल्य के टेंडर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं ताकि उनमें अधिक से अधिक स्थानीय और लघु उत्पादक भाग ले सकें।
- टाउनशिप के अवसंरचनात्मक/अनुरक्षण कार्यों से संबंधित छोटे कार्य स्थानीय ठेकेदारों को अवार्ड किए जाते हैं।
- परियोजनाओं/व्यापारिक संस्थापनाओं के लिए वाहन किराए पर लेना, कार्यालय परिसर की सफाई, बागवानी कार्य जैसी सेवाएं स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों के माध्यम से करायी जाती हैं।
- विशेषज्ञता कार्य में जुटे प्रमुख ठेकेदारों को स्थानीय विक्रेताओं/एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
- सुक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रमों से प्रापण को बढ़ावा देने के क्रम में टेंडर की लागत एवं ईएमडी के भुगतान से छूट भी दी जाती है।
- एक अलग एमएसएमई कॉर्नर वेबसाइट में प्रदान किया गया है, जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरा अपलोड किया जा रहा है। यह एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

5. क्या उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र कंपनी के पास है। यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का प्रतिशत क्या है (अलग–अलग <5 प्रतिशत, 5–10 प्रतिशत, >10 प्रतिशत) लगभग 50 शब्दों में उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

हमारे उत्पाद अर्थात बिजली की पूरी की पूरी खपत हो जाती है और इसलिए पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) की कोई गुंजाइश नहीं है। ई–अपशिष्ट का निपटान सरकार द्वारा अनुमोदित पक्षों के माध्यम से किया जाता है।

टीएचडीसीएल द्वारा नगर क्षेत्र, कैंटीन की ठोस छीजन एवं बागवानी छीजन के उत्पादक प्रयोग के लिए ऋषिकेश नगर क्षेत्र में बायो गैस संयंत्र की भी स्थापना की गई है। संयंत्र की क्षमता 500 किलोग्राम प्रतिदिन है। संयंत्र से उत्पादित बायो गैस का प्रयोग कैंटीन/अतिथि गृह की रसोई में तापीय अनुप्रयोग के लिए जबकि खाद का प्रयोग इन हाउस बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है। टीएचडीसीआईएल के ऋषिकेश नगर क्षेत्र से मलजल के उपचार हेतु मलजल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है।

सिद्धांत 3 (व्यापार को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए)

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं: 1936 (31.03.2017 के अनुसार)

2. कृपया अस्थायी/संविदा/ तथा आकस्मिक आधार पर मेहनताने के एवज में रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं

कंपनी मेहनताने के एवज में अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती। तथापि, कंपनी के बिजनेस माड्यूल में विभिन्न क्रियाकलापों जैसे निर्माण, उत्थापन, विशेषज्ञतायुक्त परामर्शी सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है जिससे बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। केवल 6 डाक्टर संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें

117

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें

33

5. क्या आपकी कंपनी में ऐसी कोई कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की हो।

टीएचडीसीआईएल में निम्नलिखित एसोसिएशन/यूनियनें हैं:

- टीएचडीसी आफिसर्स एसोसिएशन
- टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
- टीएचडीसी सुपरवाइजर एसोसिएशन
- टीएचडीसी चालक/हेल्पर कर्मचारी यूनियन
- टीएचडीसी कामगार यूनियन
- टीएचडीसी श्रमिक संघ
- टीएचडीसी वर्कर्स यूनियन
- टीएचडीसी आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ
- टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ
- टीएचडीसी कर्मचारी यूनियन

6. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?

वर्तमान में 1736 (87.94 प्रतिशत) स्थायी कर्मचारी इन एसोसिएशनों/यूनियनों के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बेगार, यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की संख्या तथा वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।

क्र.सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की सं.	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.
1.	बाल श्रम/बेगार/ गैर–स्वैच्छिक श्रम	शून्य	लागू नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	लागू नहीं
3.	रोजगार में भेदभाव	शून्य	लागू नहीं

8. आपके नीचे वर्णित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को गत वर्ष संरक्षा और कौशल सुधार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ?– (2016–17)

	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या		प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत	
	संरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल उन्नयन	संरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल उन्नयन
स्थायी कर्मचारी (कुल सं. 1936)	110	77	5.68% (110/1936*100)	3.97% (77/1936*100)
स्थायी महिला कर्मचारी (कुल सं. 117)	0	12	-	10.25% (12/117*100)
विकलांग कर्मचारी (कुल सं. 33)	-	1	-	3.03%

सिद्धांत 4 (व्यापार को समस्त हितधारियों विशेषकर वंचितों, कमजोर और सीमांत के हितों की रक्षा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए)

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाहरी हितधारियों की गणना की है?**

   हां

2. **क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित कमजोर और सीमांत हितधारियों की पहचान की है?**

   हां

3. **क्या वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।**

   कंपनी, वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारियों के उत्थान के लिए तत्पर रहती है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व–सहायता समूह के गठन तथा रिवाल्विंग फंड प्रदान करने के रूप में दी गई सतत सहायता और समर्थन के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है। उनके लिए स्वास्थ्य जागरुकता और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं।

सिद्धांत 5 (व्यापार को मानवाधिकारों को सम्मान एवं बढ़ावा देना चाहिए)

1. **क्या मानव अधिकार से संबंधित कंपनी की नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/गैर सरकार संगठनों/अन्यों पर भी लागू है?**

   टीएचडीसीआईएल की सभी कार्मिक नीतियां, इकाइयों, कार्यालयों और परियोजनाओं में तैनात इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कंपनी द्वारा अवार्ड किए गए ठेकों में मानवाधिकार से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों तथा देश के कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

2. **पिछले वित्त वर्ष के दौरान हितधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रुप से किया गया?**

   वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत सहित मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6 (व्यापार को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा पुनर्स्थापन करना चाहिए)

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू है।**

   टीएचडीसीआईएल की पर्यावरण नीति इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेकों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े खंड हैं ताकि हमारे ठेकेदार, शिकमी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और परामर्शदाता उनकी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकें।

   कर्मचारियों के लिए सततता विकास जागरूकता पर आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी ने कोई रणनीति तैयार की है/ पहलें की हैं, यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें**

   हां, टीएडीसीआईएल पर्यावरण नीति का वेब लिंक हैं– http://thdc.co.in/English/Scrupts/Environment_Policy.aspx

3. **क्या कंपनी पर्यावरण जोखिम से जुड़े बड़े खतरों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

   हां। परियोजना की तैयारी के स्तर पर विस्तृत पर्यावरण प्रभाव का आंकलन किया जाता है और पर्यावरण योजना तैयार की जाती है जिसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। उत्तराखंड में निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी एचई परियोजना (444 मेगाावाट) के लिए प्रयासों की समीक्षा एवं सर्वोत्तम पद्धति अपनाने के लिए विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय पैनल गठित कर दिया गया है। इस जानकारी को अन्य परियोजनाओं में भी लागू किया जा रहा है।

4. **क्या कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म से जुड़ी कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध कनवाएं। यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट**

दाखिल की गई है?

वर्तमान में कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म एकजीक्यूटिव बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई परियोजना नहीं है।

5. **क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा कार्यकुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कुछ अन्य पहलें शुरु की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

कंपनी जल विद्युत उत्पादन करती है जो अपने आप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2016–17 में 50 मे.वा. एवं 63 मे.वा की दो पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्रमशः पाटन एवं देवभूमि द्वारिका, गुजरात में कार्यान्वित की गई। कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में 500 मे.वा. सोलर रूफ टॉप भी विकसित किया गया है। 24 मे.वा. की लघु जल विद्युत परियोजना ढुकवां, झांसी, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है जिसको 2018–19 में चालू किया जाना है। कासरगोड, केरल में सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ 50 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास का कार्य भी चल रहा है।

6. **क्या आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कपंनी द्वारा किया गया उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्धारित सीमा के भीतर है?**

हां

7. **वित्त वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किए गए थे)**

आलोच्य अवधि में सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ।

सिद्धांत 7 (व्यापार जब जनता तथा विनियामक नीति को प्रभावित करने लगे, उसे ऐसा उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए)

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापारिक संबंध है।**

क. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)

ख. स्टैंडिंग कांफ्रेस ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (स्कोप)

2. **क्या आपने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से लोक हित को आगे बढ़ाने या उसमें सुधार लाने का समर्थन किया है? हां/नहीं, यदि हां तो प्रमुख क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करें (ड्राप बाक्सः सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा सतत व्यापारिक सिद्धांत, अन्य)**

जिम्मेदार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते टीएचडीसीआईएल, देश के कानूनों, नियमों, विनियमों और सार्वजनिक नीतियों का अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी अपनी नीतियां तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतियां और दिशानिर्देशों तथा सांविधिक निर्देशों को ध्यान में रखती है।

जब कभी भी मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को मत/सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि वह उन पर विचार कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए मत/सुझाव कंपनी या समाज के किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख कर न तैयार किए गए हों बल्कि समग्र जनता और संपूर्ण राष्ट्र के व्यापक लाभ के लिए तैयार किए गए हों।

सिद्धांत 8 (व्यापार को समग्र वृद्धि और समान विकास को सहयोग देना चाहिए)

1. **क्या सिद्धांत 8 से जुड़ी नीति के बारे में कंपनी के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/परियोजनाएं हैं ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।**

प्रारंभ अर्थात वर्ष 2009 से ही टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यक्रम का केंद्र बिंदु लक्षित समुदायों के विकास पर रहा जो स्वयं बृहद परिप्रेक्ष्य में समान विकास का द्योतक है। तदनुसार 3 मुख्य दीर्घावधि परियोजनाएं बनाई गई तथा उन्हें टिहरी परियोजना प्रस्तावित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये निम्नवत हैं:–

(क) एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के माध्यम से समन्वित विकास दृष्टिकोण द्वारा प्रताप

नगर ब्लॉक में टिहरी बांध जलाशय की 30 रिम क्षेत्र गांवों की जीविका का सशक्तिकरण एवं संवर्धन।

(ख) किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से टिहरी गढ़वाल के उपरी रमोली प्रताप नगर ब्लॉक के 10 गांवों में सतत जीविका एवं संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों का पारिस्थितिकी की पुनर्स्थापना एवं सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण।

(ग) 20 गांवों में जीविका सुरक्षा कार्यक्रम जो अब 2015–16 से जिला टिहरी गढ़वाल के कोटेश्वर क्षेत्र भिलंगना ब्लॉक में वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली होर्टिकल्चर एंड फोरेस्टरी यूनिवर्सिटी के अधीन कॉलेज ऑफ फोरेस्टरी, रानीचौरी के माध्यम से जारी है।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/अपने प्रतिष्ठान/बाहरी गैर–सरकारी संगठन/सरकारी संस्था/किसी अन्य संगठन द्वारा भी किए जाते हैं?

कंपनी की लगभग सभी सीएसआर परियोजनाएं कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों, सेवा–टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) द्वारा निष्पादित की जाती हैं।

3. क्या आपने अपनी पहल के कोई प्रभाव का आंकलन किया है?

टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव निर्धारण मूल्यांकन इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ कॉरपोरेट एफेयर (आईआईसीए) में सूचीबद्ध टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल सांइस (टीआईएसएस) मुंबई, आईआईटी रूड़की, एसआर एशिया, सरकारी विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से कराया जाता है। वर्ष 2016–17 हेतु मूल्यांकन/प्रभाव निर्धारण का कार्य अवार्ड करना प्रगति पर है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है–भारतीय रुपये में खर्च की गई राशि तथा संचालित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?

टीएचडीसीआईएल ने अपने हितधारियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सुदूर ग्रामों के सीमांत और अल्पसुविधा प्राप्त वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता देने संबंधी सीएसआर कार्यक्रम बनाए हैं।

समग्र विकास का नवाचारी विचार

टीएचडीसीआईएल टुकडों–टुकडों में छुट–पुट जरूरतों को दूर करने के स्थान पर जिनका परिणाम न्यून अथवा शून्य होता है, लक्ष्य समुदायों के समग्र विकास पर केंद्रित है। समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण, कृषि तथा बागवानी गतिविधियों में हस्तक्षेप से आय अर्जन एसएचजी में परिक्रमी निधि के माध्यम से आय अर्जन, चल–खाल (तालाबों) के निर्माण/कायाकल्प द्वारा पारंपरिक पारिस्थितिकी के ज्ञान का पुनः प्रवर्तन/संवर्धन, जल हार्वेस्टिंग अधिसंरचनाओं का संवर्धन, क्षमता विस्तार हेतु पारंपरिक वाटर मिलों का आधुनिकीकरण, ईंधन, चारा और औषधि वृक्षों हेतु वृक्षारोपण, पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एसटी/एससी तथा ओबीसी) शिक्षा विकास, कंप्यूटर एवं सिलाई में कौशल प्रशिक्षण तथा स्थानीय आईटीआई को सहायता सहित रोजगार के अवसर जुटना, पर्यावरणीय सततता की सुनिश्चितता, पारिस्थितिकी संतुलन आदि शामिल है।

सामुदायिक विकास हेतु चलायी जा रही बड़ी परियोजनाओं के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट **अनुलग्नक–II** में दिए गए हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर लगभग 5.00 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय के लोगों ने सामुदायिक विकास से जुड़ी पहल को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

हां। टीएचडीसीआईएल का केंद्र बिंदु लाभग्राहियों की प्रभावी भागीदारी पर रहता है ताकि उनमें भी स्वामित्व की भावना आ सके तथा वे परियोजना को पूरा होने के बाद गतिविधियों के गुणक में वृद्धि कर सकें। यह उनके गत वर्षों की मूल्यांकन/प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों में भी इंगित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संचार नीति के अनुपालन के बाद हितधारियों की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाएं बनाई जाती हैं। कुछ सामाजिक आर्थिक गतिविधियां किसान स्वयं सहायता समूहों (एफएसएचजीएस) के जरिए बीज राशि की सहायता

देकर कार्यान्वित की जाती है जो अन्य एफएसएचडीसी में सहायता आधार पर घूर्णन करती है। यह देखने में आया है कि कुछ एफएसएचडीएस में बचत की आदत विकसित हो गई है तथा वे अच्छा कार्य कर रहे हैं।

सामुदायिक भागीदारी का अन्य उदाहरण हरिद्वार जिले में पथरी पुनर्वास क्षेत्र में लघु/सीमांत किसानों को 10.0 लाख रू. के खेती संयंत्रों की पूलिंग के लिए ''आदर्श किसान क्लब'' सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस क्लब के लागत की 40% राशि उत्तराखंड राज्य कृषि विभाग एवं 40% राशि टीएचडीसीआईएल द्वारा सहायता के रूप में तथा शेष राशि किसानों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। संयंत्रों की पूलिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है तथा ओ एंड एम प्रयोजनों के संयंत्र को किराए पर देने के लिए उचित राशि ली जाती है। परियोजना की सफलता अन्य किसानों को ऐसा ही अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत एक महिला सहकारी क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई है। सोसाइटी को 10/– लाख रूपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सोसाइटी के सदस्यों ने भी अपना अंशदान किया है। लगभग 70 महिला किसान सोसाइटी से जुड़ गई हैं। एकत्रित निधि को व्यक्तिशः अथवा सामूहिक गतिविधि के लिए जरूरतमंद सदस्य को ऋण दिया जाता है। व्यवहार्य ब्याज पर ऋण की वसूली की जाती है। इस समय सोसाइटी में ऋण वितरण प्रक्रिया चल रही है।

सिद्धांत 9 (व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायी तरीकों से वचनबद्ध होना चाहिए और उनका मूल्य देना चाहिए)

1. **वित्त वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं ?**

   शून्य प्रतिशत क्योंकि कोई ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. **क्या किसी हितधारक द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक परिपाटी, अनुत्तरदायी विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धात्मिक व्यवहार संबंधी कोई केस किया है और वित्त वर्ष के अंत में लंबित हैं। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   नहीं

3. **क्या आपकी कंपनी ने किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान किया है।**

   हां, उपभोक्ता सर्वे किए जाते हैं तथा 5 बिंदु स्केल पर उपभोक्ताओं की प्रतिपुष्टि(फीडबैक) प्राप्त की जाती है। उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रतिपुष्टि का विश्लेषण किया जाता है सभी लाभग्राही वार्षिक प्रतिपुष्टि फार्म में लगातार अपना संतोष 'उत्कृष्ट' रेटिंग के रूप में व्यक्त करते हैं।

प्रपत्र सं. एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च,2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,2014 के नियम12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे

i.	सीआईएन	:	यू45203यूआर1988जीओआई009822
ii.	पंजीकरण की तिथि	:	12 जुलाई,1988
iii.	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	:	सरकारी कंपनी
iv.	पंजीकृत कार्यालय का पता	:	भगीरथ भवन, टॉप टैरेस, भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड(249001)
vi.	संपर्क ब्यौरे	:	कंपनी सचिव, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, गंगा भवन, ऋषिकेश–249201 फोन– 0135–2439309
vii.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	:	हां – ऋण सूचीबद्ध

II. कंपनी की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10प्रतिशत या उससे अधिक योगदान करने वाले व्यवसाय निम्नानुसार हैः

क. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	विद्युत उत्पादन	4001	100%

III. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %
क. प्रमोटर्स						
(1) भारतीय						
क) व्यक्तिगत	10	10		10	10	
ख) केंद्र सरकार	26239417	26239417	73.73%	26639417	26639417	74.02
ग) राज्य सरकार (रें)	9349400	9349400	26.27%	9349400	9349400	25.98
(ख) जोड़ (क) (1):–	**35588817**	**35588817**	**100%**	**35988817**	**35988817**	**100%**
(2) विदेशी						
क) अनिवासी–भारतीय व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निकाय निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़ (क) (2):– प्रमोटर की कुल शेयर होल्डिंग=(क)(1)(क)(2)	**शून्य** **35588817**	**शून्य** **35588817**	**शून्य** **100%**	**शून्य** **35988817**	**शून्य** **35988817**	**शून्य** **100%**

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %
ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग						
(1) संस्थाएं						
क) म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) वेंचर केपिटल फंड फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) वित्तीय संस्थाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी वेंचर फंड केपिटल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
झ) अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड (ख) (1):–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
(2) गैर संस्थाएं						
क) निकाय निगम						
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी						
ख) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयर होल्डर्स की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या		
	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %
i) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. तक नाम मात्र शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स जो एक लाख रू. से अधिक शेयर पूंजी रखते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य(उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–जोड (ख)(2):– कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)						
ग. अभिरक्षक द्वारा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए धारित शेयर्स	**शून्य**			**शून्य**		
कुल जोड (क+ख+ग)	**35588817**			**35988817**		

(ii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	26239417	73.73	शून्य	26639417	74.02	शून्य	%
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349400	26.27	शून्य	9349400	25.98	शून्य	-
	जोड	**35588817**	**100**	**-**	**35988817**	**100**	**-**	

(iii) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन

क. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
1.	**भारत के राष्ट्रपति**	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
क	वर्ष के प्रारंभ में	26239417	73.73%	26239417	73.73%
ख	26 अगस्त, 2016 को आबंटित शेयरों की संख्या 28 नवंबर, 2016 को आबंटित शेयरों की संख्या 27 मार्च, 2017 को आबंटित शेयरों की संख्या	227160 125000 47840		26466577 26591577 26639417	
ग	वर्ष के अंत में (क+ख) = ग		74.02%	26639417	74.02%
2)	**भारत के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349400	26.27%	9349400	26.27%
ख	कोई आबंटन/अंतरण नहीं	शून्य	00.00%	शून्य	00.00%
ग	वर्ष के अंत में (क+ख) = ग	9349400	25.98%	9349400	25.98%

(iv) शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स के लिए शेयरहोल्डिंग पद्धति (निदेशक गण, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) – शून्य

(ii) प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों का भारग्रस्त/ गिरवी रखे शेयरों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग के प्रतिशत में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	26239417	73.73	शून्य	26639417	74.02	शून्य	%
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349400	26.27	शून्य	9349400	25.98	शून्य	-
	जोड	**35588817**	**100**	-	**35988817**	**100**	-	

(iii) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
1.	भारत के राष्ट्रपति	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
क	वर्ष के प्रारंभ में	26239417	73.73%	26239417	73.73%
ख	26 अगस्त, 2016 को आबंटित शेयरों की संख्या 28 नवंबर, 2016 को आबंटित शेयरों की संख्या 27 मार्च, 2017 को आबंटित शेयरों की संख्या	227160 125000 47840		26466577 26591577 26639417	
ग	वर्ष के अंत में (क+ख) = ग		74.02%	26639417	74.02%
2)	**उत्तर प्रदेश के राज्यपाल**				
क	वर्ष के प्रारंभ में	9349400	26.27%	9349400	26.27%
ख	कोई आबंटन/अंतरण नहीं	शून्य	00.00%	शून्य	00.00%
ग	वर्ष के अंत में (क+ख) = ग	9349400	25.98%	9349400	25.98%

(iv) शीर्ष 10 शेयर होल्डर्स के लिए शेयरहोल्डिंग पद्धति (निदेशक गण, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) – शून्य

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/या प्रबंधक के पारिश्रमिक :

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कुल राशि			
		श्री डी.वी. सिंह	श्री एस.के. बिस्वास	श्री श्रीधर पात्रा	**कुल राशि**
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	26.89	36.33	26.49	89.71
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	14.07	14.28	20.57	48.92
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन				
	- लाभ के प्रतिशत के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य, उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (क)	**40.96**	**50.61**	**47.06**	**138.63**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (प्रति बैठक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				
		श्री बची सिंह रावत	श्री मोहन सिंह रावत	प्रो. महाराज के. पंडित		
1.	स्वतंत्र निदेशक					
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	280000	260000	160000		700000
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य		0
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य		0
	जोड(1)	**280000**	**260000**	**160000**		**700000**
		श्रीमती अंजू भल्ला	श्री सुरेश चंद्र	श्री सुरेश कुमार चंद्र		
2.	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक गण					
	• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य		-
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य		-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य		-
	जोड(2)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**		**-**
	जोड (ख) = (1+2)	**280000**	**260000**	**160000**		**700000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार समग्रतः अधिकतम सीमा	100000	100000	100000	100000	100000

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

(राशि लाख रू. में)

क. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कुल राशि	
		कंपनी सचिव	जोड
1.	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	8.85	8.85
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	0.83	0.83
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य	
4.	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के अनुसार - अन्य, उल्लेख करें	शून्य	
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य	
	जोड	**9.69**	**9.69**

VI. शास्तियां / दंड / दोषों का समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति / दंड / लगाया गया समझौता शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकार (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्य चूककर्ता अन्य अधिकारी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

पी.एस.आर. मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीपी 13090

फार्म नं. एमआर–3

सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रामिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

मैंने मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') सीआईएननं. यू45203यूआर1988जीओआई009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सकारात्मक निगमित प्रचालनों के अनुपालन हेतु सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी भागीदारी के साथ भारत सरकार का गैर–सूचीबद्ध उपक्रम है । सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो मुझे कारपोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एंजेटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर हम एतत्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन साधन भी है।

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ओवर सीज प्रत्यक्ष निवेश और वाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक, उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम;

(iii) डिपोजटरीज अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू हैं;

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और ऋण प्रतिभूतियों की सूची) विनियम 2008 ;

(v) ग्राहकों के साथ काम करने और कंपनी अधिनियम से संबंधित प्रतिभूतियों और एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया (निर्गम और शेयर स्थानन्तरण एजेंटो के रजिस्ट्रार) विनियम 1993;

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और मांगों का प्रकटीकरण) नियम, 2015

(vii) अन्य लागू नियम, यथा:

1. भारतीय बिजली अधिनियम, 2003
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1981
4. आयकर अधिनियम, 1961
5. सेवाकर अधिनियम, 1994
6. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005
7. औद्योगिक और श्रम कानून जिसमें शामिल हैं:–
   - क) ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
   - ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
   - ग) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
   - घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
   - ड़) कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
   - च) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
   - छ) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों की लागू धाराओं के पालन की भी जांच की है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने आमतौर पर उपरोक्त विषयों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देश मानक आदि का पालन किया है :

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों एवं अन्य निदेशकों सहित कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशकों से मिलकर बना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के निर्धारण की पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे तथा बैठको से पहले एंजेडे की मदों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि में बोर्ड की कार्यसूची में कोई विसम्मति नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के द्वारा अनुसरण किए गए अनुपालन तंत्र के आधार पर तथा बोर्ड के समक्ष रखी गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मेरी राय है कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने चल रही परियोजनाओं के लिए निधि जुटाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रू की सीमा तक प्राइवेट प्लेसमेंट पर प्रतिभूत अपरिवर्तनीय गैर संचयी बांड जारी करने के अनुमोदन हेतु विशेष संकल्प पारित किया था जो कि ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानदंडों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख असर होने का उल्लेख है।

ह0/–

(पी.एस.आर. मूर्ति)

स्थानः नई दिल्ली

यह रिपोर्ट हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है ।

178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली– 110017
मोबाइलः 919816010286, दूरभाष : 011–26018714
ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

पी.एस.आर. मूर्ति
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
सीपी 13090

अनुलग्नक–क

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

टिहरी गढवाल, टिहरी–249001

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए ।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा दायित्व इन सचिवालीय रिकार्ड पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। मुझे विश्वास है कि मैने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती है।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक हुआ, मैने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है ।

हस्ता./–

(पी.एस.आर. मूर्ति)

स्थानः नई दिल्ली

178 आरपीएस फ्लेट्स, शेख सराय फेस–1, नई दिल्ली– 110017
मोबाइलः 919816010286, दूरभाष : 011–26018714
ई–मेलः pendyala50@yahoo.com

वार्षिक लेखा

2016-17

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2016–2017

1. सामान्य

संगत वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। कुछ विनिर्धारित कंपनियों के लिए 01 अप्रैल 2016 से भारतीय लेखाकरण मानक अनिवार्य कर दिया गया है। टीएचडीसीआईएल के वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक के अनुपालन में तैयार किए गए है।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे पूंजीकरण के मानक को पूर्ण करते हैं और इन्हें इस राशि में शामिल किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों को 'स्टोर्स एवं स्पेयर्स'के रूप में रखा जाता है।

3.4 यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है। तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत, जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर का कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भूभाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 सुविधाओं के सृजन पर व्यय की गयी पूंजी, जिस पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है लेकिन परियोजना के निर्माण हेतु जिसका सृजन अनिवार्य है इसे चल रहे पूंजीगत कार्य में शामिल किया जाता है। तदन्तर व्यवस्थित रूप से आबंटित किया जाता है।

4.3 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउन–शिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। उक्त परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.4 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.5 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.6 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.7 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, सामान्य नागरिक सुविधाओं के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर व्यय, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य ऊपरी लागत, यदि परियोजना लागत में लगी हो, ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों की लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनापेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से हाने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया।

6.2 विदेशी मुद्रा में लेन–देन प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती हैं। अमौद्रिक मदों को लेन–देन की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट(हटाया) किया जाता है।

6.3 मौद्रिक मदों के निपटारे अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ–हानि विवरण में आय अथवा व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है तथा इसे प्रचालनीय विद्युत केंद्रों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत कार्य की राशि में जोड़ दिया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन–देन मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आगतों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर 1: समरूप परिसंपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजार की बाजार कीमत (असमायोजित) लगाना.

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य है।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर आगत, उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है, दृष्टव्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति की उन परिस्थितियों में पहचान की जाती है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया

जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक पहचान और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां, प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लेन–देन लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन–देन लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां लेन–देन कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेन–देन कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **तदन्तर मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्य–पहचान (डी–रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब उक्त वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. माल–सूची

9.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

9.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10. वित्तीय देनदारियां

10.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

10.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार,

व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

10.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

10.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती है। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित लेन–देन लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (लेन–देन लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

10.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

10.4 उत्तरवर्ती माप

10.4.1 प्रारंभिक पहचान के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर रखाव लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

10.4.2 रखाव लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

10.5 **अमान्य पहचानः** किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

11. सरकारी अनुदान

11.1 केंद्र/प्रादेशिक/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान में उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी स्टेज–1 हेतु प्राप्त अंशदान भी शामिल है। इसे प्रारंभिक रूप से पूंजी आरक्षण माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय मानी जाती है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाता है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

12.1 कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा परिलक्षित दायित्व प्रस्तुत करने पर प्रावधानों की पहचान होती है आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाहय प्रवाह के दायित्व का निर्धारण अपेक्षित है तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के निर्धारण हेतु सुनिश्चित किए जाते हैं।

12.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

12.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

13. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

13.1 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा तथा संग्रहण के उद्देश्य से अनंतिम दर स्वीकार की जाती है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

13.2 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) के अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन, जो महत्वपूर्ण नहीं हों, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

13.3 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितग्राहियों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/ अनुमोदित/ सहमत नहीं है, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

13.4 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 23 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 35 वर्ष माना गया।

13.5 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

13.6 विविध देनदारों से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य अधिभार को इनकी वसूली/स्वीकृति की अनिश्चतता के कारण प्रोदभूत देय नहीं माना गया और तदनुसार रसीद के आधार पर गणना की गयी।

13.7 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

13.8 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

13.9 बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से संपत्ति तथा उपस्करों अथवा अन्य मदों के असामान्य, गुम अथवा हानि पहुंचने पर क्षतिपूर्ति और देय अन्य दावों को उनकी वसूली की निश्चितता पर लाभ–हानि में शामिल किया जाता है। मदों के गुम या असामान्य होने पर बीमा कंपनी सहित अन्य पक्षों से क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु संगत दावे तथा तदन्तर परिसंपत्ति/माल सूची संबंधी कोई खरीद एकल आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें अलग से लेखे में लिया जाता है।

14. व्यय

14.1 मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में प्रभारित की जाती है।

14.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

14.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय से संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

14.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

14.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

14.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

14.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

15. कर्मचारियों के हितलाभ

15.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

15.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

15.3 वास्तविक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

16. ऋण लागत

16.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

16.2 सामान्यतया उधार ली गई निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत, जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे–जुड़ी न हों, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में मान्य किया जाता है।

17. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

17.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

17.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं की है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

17.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लेपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लेपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

17.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रू. 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

17.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100%

मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

17.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

17.7 लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

17.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

17.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

18. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

18.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति को चिन्हित किया जाता है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

19. आय कर

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। लाभ और हानि विवरण से आयकर की पहचान होती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

19.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। लाभ और हानि विवरण में उल्लिखित लाभ से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें जो आय अथवा व्यय अन्य वर्ष में कर योग्य अथवा घटाने योग्य है, शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मदें कभी कर योग्य अथवा घटाने योग्य (स्थायी अंतर) नहीं, वे भी शामिल नहीं है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

19.2 आस्थगित कर

19.2.1 तुलन पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं है जो किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें लेन–देन न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

19.2.2 प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा

परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

19.2.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करती है।

20. नकदी प्रवाह विवरण

20.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्याधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

21. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण – कंपनी तुलन पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

21.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- जब सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

21.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

22. दर विनियमित गतिविधियां

22.1 दर विनियमित गतिविधियों से जो विनियामक आस्थगित लेखे शेष रहते हैं भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 114 उनके लेखे को निर्दिष्ट करता है। ये मानक केवल पहली बार उन ग्राहयताओं को सुलभ हैं जो अपने पिछले जीएएपी के अंतर्गत विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को मान्य करते हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) पहली बार के पात्र ग्राहयताओं को उनके पिछले जीएएपी दर विनियामक नीतियों को सीमित परिवर्तन के साथ जारी रखने तथा वित्तीय स्थिति विवरण तथा लाभ या हानि विवरण में अलग से अपेक्षित प्रस्तुतीकरण तथा विनियामक आस्थगित लेखा शेष तथा व्यापक

आय की अनुमति देता है। इसका पालन किया गया।

23. लाभांश वितरण

कंपनी के अंशधारकों को लाभांश वितरण के लिए जिस अवधि के लिए लाभांश अनुमोदित किया गया है उसे कंपनी के वित्तीय विवरण में उसी अवधि के लिए देनदारी के रूप में माना गया है।

24. सेगमेंट रिपोर्टिंग

विद्युत उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –108– 'प्रचालन सेगमेंट'के अनुसार प्रबंधन तथा परामर्शी कार्य रिपोर्ट योग्य सेगमेंट नहीं हैं।

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां							
गैर–चालू परिसंपत्तियां							
(क) परिसंपत्ति प्लांट एवं पुर्जे	1		7,80,642		7,52,398		7,97,518
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2		3,03,496		2,39,066		1,67,420
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	1		45		62		79
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2		33		33		33
(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	3	4,694		4,702		4,741	
(ii) अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4	1,881	6,575	2,177	6,879	2,119	6,860
(च) अस्थिगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5		70,941		62,655		45,795
(छ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	6		91,914		61,822		32,354
चालू परिसंपत्तियां							
(क) माल सूची	7		3,264		3,190		3,168
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) प्राप्य व्यापार	8	1,73,228		2,07,198		2,38,719	
(ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	9	6,707		7,558		4,098	
(iii) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक बकाया	10	25,037		37		37	
(iv) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	11	4,305		4,421		4,136	
(v) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12	179	2,09,456	204	2,19,418	166	2,47,176
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13		8,107		4,039		2,446
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14		6,322		5,573		4,828
जोड़			**14,80,795**		**13,55,135**		**13,07,677**
इक्विटी एवं देयताएं							
इक्विटी							
क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	3,59,888		3,55,888		3,52,888	
ख) अन्य इक्विटी		5,33,651	8,93,539	5,05,517	8,61,405	4,47,793	8,00,681
गैर चालू देनदारियां							
क) वित्तीय देनदारियां							
(i) दीर्घकालिक ऋण	16	4,04,185		3,49,792		3,27,566	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	17	934		498		168	

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार	
(iii) अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां	18	220	4,05,339	164	3,50,454	97	3,27,831
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	19		21,271		21,271		21,271
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	20		38,970		32,733		32,246
चालू देनदारियां							
(क) वित्तीय देनदारियां							
(i) अल्पकालिक ऋण	21	38,724		3,677		43,634	
(ii) व्यापार देयताएं	22	41		49		72	
(iii) अन्य चालू देनदारियां	23	68,815	1,07,580	61,376	65,102	58,385	1,02,091
ख) अन्य चालू देनदारियां	24		3,749		3,587		3,360
ग) अल्पकालिक प्रावधान	25		10,347		20,583		18,085
घ) चालू कर देनदारियां (निवल)	26		0		0		2,112
जोड़			**14,80,795**		**13,55,135**		**13,07,677**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	27		2,09,474		2,46,649
अन्य आय	28		14,123		1,481
कुल राजस्व			2,23,597		2,48,130
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	29		25,425		22,857
वित्त लागत	30		29,106		32,887
मूल्यह्रास और परिशोधन	1		52,557		49,663
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	31		19,513		18,003
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	32		445		9
कुल व्यय			**1,27,046**		**1,23,419**
पूर्वावधि मदों, असाधारण मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			**96,551**		**1,24,711**
असाधारण मदें–(आय)/व्यय– निवल			16,146		34,830
कर पूर्व लाभ			**80,405**		**89,881**
कर व्यय	**33**				
चालू कर					
आयकर		17,154		24,252	
संपत्ति कर		0	17,154	0	24,252
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(8,142)	(8,142)	(16,269)	(16,269)
I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ			**71,393**		**81,898**
II अन्य वृहत् आय					
(i)मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएगी					
ओसीआई के जरिए बीमांकित लाभ/(हानि)	34		(414)		(301)
मदों से संबंधित आय कर जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा–आस्थगित कर परिसंपत्ति			144		104

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य वृहत् आय			(270)		(197)
कुल वृहत् आय (I+II)			71,123		81,701
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (लगातार प्रचालनों के लिए)					
बेसिक (रू.)		198.85		230.52	
डायल्यूटिड (रू.)			198.85		230.52

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्य सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ, पूर्वावधि समायोजनः एवं असाधारण मदें		**96551**		**1,24,711**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास (पूर्वावधि मूल्यह्रास सहित)	52,574		50721	
प्रावधान	445		9	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	–		–	
ऋणों पर ब्याज	29106		32887	
अन्य वृहत आय (ओसीआई)	(414)		(301)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	117		(1,065)	
असाधारण मदें	(16146)	65,682	(34,830)	47,421
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,62,233**		**1,72,132**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–				
माल सूची	(76)		(26)	
प्राप्य व्यापार	33970		31,521	
अन्य परिसंपत्तियां	(428)		(821)	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(4387)		(1,845)	
व्यापार देय और देनदारियां	9013		6,485	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(3,999)	34,093	2,985	38,299
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		**1,96,326**		**2,10,431**
कारपोरेट कर		(17,154)		(24,252)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,79,172**		**1,86,179**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन :–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(1,51,762)		(83,778)	
निर्माण स्टोर	–		–	
पूंजी अग्रिम	(30,092)		(29,468)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(1,81,854)**		**(1,13,246)**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31/03/2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	4,000		3,000	
उधारियां	53,465		17,221	
ऋणों पर ब्याज	(29,106)		(32,887)	
लाभांश तथा कर पर लाभांश	(36,575)		(16,850)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(8,216)**	**(29,516)**	
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(10,898)**	**43,417**	
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		**3,918**	**(39,499)**	
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**(6,980)**	**3,918**	

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 25037 लाख रू. (गत वर्ष में 37 लाख रू.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनः दर्शित किया गया है।
3. नगदी और नगदी समकक्ष का मिलान नोट सं. 37.19 में कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	**(श्रीधर पात्रा)**	**(डी.वी.सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्य सं. 26692	डीआईएनः06500954	डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
		राषि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,55,888
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		4,000
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष		**3,59,888**

ख. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य वृहत् आय	
			सिंचाई क्षेत्र के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल
अथ शेष		**0**	**1,44,118**	**4,15,725**	**0**	**(197)**	**5,59,646**
गत वर्ष तक सिचाई घटक बट्टे खाते में			54,129				54,129
निवल अथ शेष		**0**	**89,989**	**4,15,725**	**0**	**(197)**	**5,05,517**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि (आय)/व्यय	35			(117)			(117)
पुनर्अभिलिखित अथ शेष (I)		**0**	**89,989**	**4,15,842**	**0**	**(197)**	**5,05,634**
वर्ष के लिए लाभ				71,393			71,393
अन्य वृहत् आय						(270)	(270)
कुल वृहत् आय				**71,393**		**(270)**	**71,123**
लाभांश				30,389			30,389
लाभांश पर कर				6,186			6,186
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)				**34,818**			**34,548**
डिबेंचर मोचन आरक्षित (III) को स्थानान्तरित				(1,500)			(1,500)
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन–सिंचाई क्षेत्र (IV)			6,531				6,531
डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/ (उपयोग) वर्ष के दौरान (V)					1,500		1,500
अंतिम शेष (I+II+III-IV+V)		**0**	**83,458**	**4,49,160**	**1,500**	**(467)**	**5,33,651**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्य सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

क. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,52,888
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		3,000
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		3,55,888

ख. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक आरक्षित एवं अधिशेष			अन्य वृहत् आय	कुल
			सिंचाई क्षेत्र के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	
अथ शेष		**0**	**1,44,118**	**3,51,255**	**0**	**0**	**4,95,373**
गत वर्ष तक सिंचाई घटक बट्टे खाते में			47,580				47,580
निवल अथ शेष		**0**	**96,538**	**3,51,255**	**0**	**0**	**4,47,793**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि (आय)/व्यय	35			1,065			1,065
आरंभ में भारतीय लेखांकन समायोजन				487			487
पुनर्अभिलिखित अथ शेष (I)		**0**	**96,538**	**3,50,677**	**0**	**0**	**4,47,215**
वर्ष के लिए लाभ				81,898			81,898
अन्य वृहत् आय						(197)	(197)
कुल बृहत् आय				**81,898**		**(197)**	**81,701**
लाभांश				14,000			14,000
लाभांश पर कर				2,850			2,850
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)				**65,048**			**64,851**
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन– सिंचाई क्षेत्र (IV)			6,549				6,549
अंतिम शेष (I+II+III-IV)		**0**	**89,989**	**4,15,725**	**0**	**(197)**	**5,05,517**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणी लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्य सं. 26692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी.सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक : 31.08.2017
स्थान : ऋषिकेश

टिप्पणी :– 1 संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2017 के अनुसार	1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
क–संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	600	3,305	-	3,905	90	106	-	196	3,709	510
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,913	-	(100)	3,813	-	-	-	-	3,813	3,913
3. अवर्गीकृत भूमि	1,57,043	3,582	-	1,60,625	42,585	5,580	-	48,165	1,12,460	1,14,458
4. भवन	82,233	1,114	(49)	83,298	14,801	2,865	4	17,670	65,628	67,432
5. अस्थायी भवन ढांचे	1,123	30	-	1,153	1,123	30	-	1,153	-	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	13,715	193	-	13,908	2,255	489	5	2,749	11,159	11,460
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,500	41	-	1,541	501	75	-	576	965	999
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,231	3	(120)	2,114	1,275	59	(100)	1,234	880	956
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,33,535	71,867	(423)	3,04,979	86,591	13,978	(359)	1,00,210	2,04,769	1,46,944
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,355	88	(31)	1,412	854	102	(6)	950	462	501
11. विद्युत संस्थापनाएं	890	3,276	-	4,166	293	135	-	428	3,738	597
12. पारेषण लाइनें	2,404	32	-	2,436	789	126	-	915	1,521	1,615
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	4,895	406	(8)	5,293	1,942	312	(2)	2,252	3,041	2,953
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	2,104	217	(8)	2,313	788	146	(6)	928	1,385	1,316
15. वाहन	1,387	49	(29)	1,407	628	81	(20)	689	718	759
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	32	5	-	37	85	90
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,10,598	4,132	-	5,14,730	1,94,597	28,292	-	2,22,889	2,91,841	3,16,001
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,39,878	-	-	1,39,878	58,007	7,436	-	65,443	74,435	81,871
19. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	23	-	10	33	-	-	-	-	33	23
उप जोड़	**11,59,549**	**88,335**	**(758)**	**12,47,126**	**4,07,151**	**59,817**	**(484)**	**4,66,484**	**7,80,642**	**7,52,398**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**11,46,825**	**13,111**	**(387)**	**11,59,549**	**3,49,307**	**56,889**	**955**	**4,07,151**	**7,52,398**	**7,97,518**
ख–अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां–साफ्टवेयर	393	2	-	395	331	19	-	350	45	62
उप जोड़	**393**	**2**	**-**	**395**	**331**	**19**	**-**	**350**	**45**	**62**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**376**	**17**	**-**	**393**	**296**	**35**	**-**	**331**	**62**	**80**

मूल्य ह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास				
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास	748		712	
आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	52,557		49,663	
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	6,531	59,836	6,549	56,924
वर्ष के दौरान ₹ 1500.00 से अधिक परंतु ₹ 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया	19		18	

1.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4 x 100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रू. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

1.2 इंड ए एस–16 के अनुसार पीपी एंड ई का मापदंड प्राप्त करने पर स्पेयर्स पार्ट्स के पूंजीगत के कारण उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी में अतरिक्ति 126 लाख रूपए लगाए गए।

टिप्पणीः– 2

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं अमूर्त संपत्तियां विकासाधीन

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2016 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2017 की समाप्ति पर			31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार
			वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान वृद्धि	वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान समायोजन	वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान पूंजीकरण	
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		5,253	1,712	135	(734)	6,366
सड़क, पुल तथा पुलिया		990	251	–	(180)	1,061
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		47	265	(14)	(23)	275
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		76,504	22,327	(1)	(384)	98,446
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग,		1,34,850	50,485	(1,689)	(3,862)	1,79,784
वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		901	22	–	–	923
जलागम क्षेत्र वनीकरण		2,711	608	(22)	(3,260)	37
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		3,058	71,472	–	(74,427)	103
अन्य						
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,794	1	–	(23)	9,772
निर्माण के दौरान व्यय	26.1	854	2,370	(854)		2,370
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)		4,104	810	(48)	(507)	4,359
जोड़		**2,39,066**	**1,50,323**	**(2,493)**	**(83,400)**	**3,03,496**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**1,67,420**	**81,874**	**(2,141)**	**(8,087)**	**2,39,066**
ख) अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन						
उप जोड़		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**33**	**0**	**0**	**0**	**33**

टिप्पणी :– 3

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 के अनुसार		31 मार्च, 2016 के अनुसार		01 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण							
प्रतिभूत		2,690		2,755		2,803	
अप्रतिभूत		1,072		1,521		1,631	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		2,580		2,354		2,238	
अप्रतिभूत		232		248		184	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**6,574**		**6,878**		**6,856**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		1,881	4,693	2,177	4,701	2,118	4,738
निदेशकों को ऋण							
प्रतिभूत		0		0		1	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		1		1		3	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशको को कुल ऋण		**1**		**1**		**4**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	1	1	3
अन्य							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए							
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)							
(नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)							
कर्मचारियों के लिए		0		0		0	
अन्य के लिए		0	0	0	0	0	0
जमा राशियां							
अन्य जमा राषियां		0	0	0	0	0	0
उप जोड़			4,694		4,702		4,741
घटाएं: अषोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान				0		0	0
उप जोड़–अग्रिम			**4,694**		**4,702**		**4,741**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,694**		**4,702**		**4,741**
टिप्पणीः निदेशकों द्वारा देय							
मूलधन		0		0		1	
ब्याज		1		2		3	
जोड़		**1**		**2**		**4**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	1	0	2	1	3
टिप्पणीः अधिकारियों द्वारा देय							
मूलधन		5		3		4	
ब्याज		9		5		5	
जोड़		**14**		**8**		**9**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		2	12	2	6	3	6

टिप्पणीः– 4
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
अन्य							
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1,881		2,177		2,119
जोड़			**1,881**		**2,177**		**2,119**

टिप्पणीः– 5
आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(2,975)		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		80,229	77,254	71,943	68,968	55,083	52,108
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)		(6,313)
जोड़			**70,941**		**62,655**		**45,795**

टिप्पणीः– 6
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय		40		40		40	
उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		0	40	0	40	0	40
उप जोड़			**40**		**40**		**40**
अग्रिम पूंजी							
अप्रतिभूत							
i) बैंक गारंटी के विरूद्ध		44,532		28,842		17,871	
ii) पुनर्वास/पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		29,981		18,947		6,626	
iii) अन्य		29,790		26,281		20,214	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		63	1,04,366	67	74,137	179	44,890
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,492		12,355		12,576
उप जोड – पूंजी अग्रिम			**91,874**		**61,782**		**32,314**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)							
जोड़			**91,914**		**61,822**		**32,354**

टिप्पणीः– 7
माल सामग्री

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
माल सामग्री (भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)							
अन्य सिविल और भवन सामग्री		297		388		722	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		2,772		2,579		2,457	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		217		229		300	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		0	3,286	40	3,236	0	3,479
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			22		46		311
जोड़			**3,264**		**3,190**		**3,168**

7.1 रू. 126 लाख के यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे पीपी एवं ई के अनुसार पूंजीकृत किया गया है क्योंकि ये भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार पीपी एवं ई के मानदंडों को पूरा करते हैं।

टिप्पणीः– 8
व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण(निवल)							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		1,02,886		1,25,259		2,35,575	
संदिग्ध समझे गए		20,776	1,23,662	20,774	1,46,033	0	2,35,575
घटाएं:–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			20,776		20,774		0
(ii) अन्य ऋण(निवल)							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		40,199		70,269		0	
संदिग्ध समझे गए		0	40,199	1,882	72,151	0	0
घटाएं:–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		1,882		0
(iii) विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)							
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		30,143		11,670		3,144	
संदिग्ध समझे गए		2,201	32,344	2,201	13,871	0	3,144
घटाएं:–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			2,201		2,201		0
जोड़			**1,73,228**		**2,07,198**		**2,38,719**

8.1 व्यापार प्राप्य में रू. 32344 लाख निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति रू. 61866 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू.29522 लाख) पूर्व वर्ष रू. 13871 लाख (विनियामक परिसंपत्तियां रू. 46125 लाख एवं विनियामक देनदारियां रू. 32254लाख), शामिल है।

टिप्पणीः— 9

नकद एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
नकद एवं नकद समकक्ष							
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ फ्लेक्सी डिपोजिट सहित)			6,700		7,553		4,095
हाथ में चैक, ड्राफ्ट्स, स्टैम्पस			7		1		0
हाथ में नकदी			0		4		3
जोड़			**6,707**		**7,558**		**4,098**

टिप्पणीः— 10

अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष							
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध धारणाधिकार के अंतर्गत बैंक में शेष)			25,037		37		37
जोड़			**25,037**		**37**		**37**

टिप्पणीः– 11
लघुवधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण							
प्रतिभूत		774		766		742	
अप्रतिभूत		315		276		241	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		138		199		156	
अप्रतिभूत		1		1		3	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**1,228**		**1,242**		**1,142**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		178	1,050	204	1,038	186	956
निदेशकों को ऋण							
प्रतिभूत		0		1		3	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज							
प्रतिभूत		0		1		0	
अप्रतिभूत		0		0		0	
निदेशको को कुल ऋण		0		2		3	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	2	0	3
अन्य							
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		2	2	2	2	0	0
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)							
कर्मचारियों के लिए		273		299		300	
अन्य के लिए		35	308	35	334	35	335
जमा राशियां							
प्रतिभूति जमा		412		367		356	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		2,534		2,684		2,493	
अन्य जमा राशियां		7	2,953	2	3,053	1	2,850
उप जोड़			**4,313**		**4,429**		**4,144**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए							
प्रावधान			8		8		8
कुल अग्रिम			**4,305**		**4,421**		**4,136**
कुल ऋण और अग्रिम			**4,305**		**4,421**		**4,136**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय							
मूलधन		0		1		3	
ब्याज		0		2		1	
जोड़		**0**		**3**		**4**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	3	0	4
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय							
मूलधन		1		1		2	
ब्याज		1		1		1	
जोड़		**2**		**2**		**3**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	1	1	1	2

टिप्पणीः– 12
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
अन्य							
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			179		204		186
जोड़			**179**		**204**		**186**

टिप्पणीः– 13
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
जमा किया गया कर			8,107		4,039		2,446
जोड़			**8,107**		**4,039**		**2,446**

टिप्पणीः– 14
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
पूर्वभुगतान व्यय			3,027		2,209		1,863
अपार्जित ब्याज			22		27		15
उप जोड़			**3,049**		**2,236**		**1,878**
अन्य अग्रिम(अप्रतिभूत)							
कर्मचारियों को			7		14		27
खरीद के लिए			1,591		1,443		1,178
अन्य को			1,675		1,880		1,745
उप जोड़ –अन्य अग्रिम			**3,273**		**3,337**		**2,950**
जोड़			**6,322**		**5,573**		**4,828**

टिप्पणीः– 15

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत							
1000/–रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 1000/–रू. प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,59,88,817	3,59,888	3,55,88,817	3,55,888	3,52,88,817	3,52,888
कुल		**3,59,88,817**	**3,59,888**	**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

वर्ष के दौरान कंपनी ने 1000 रू. सममूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर 45.52 रू. (पूर्व वर्ष 39.67 रू.) की दर से वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 16200 लाख रू. के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है ।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वर्ष के दौरान 14189 लाख रू. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश 7911 लाख रू. का प्रस्ताव किया है । इस प्रकार वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतिम लाभांश 1000 रू. सममूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर 61.41 रू. (पूर्व वर्ष 45.52 रू.) की दर से 22100 लाख रू. है ।

टिप्पणीः– 15.1
कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर वाले शेयर धारकों की संख्या

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2016 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक							
1. भारत सरकार		2,66,39,417	74.02	2,62,39,417	73.73	2,59,39,417	73.51
2. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	25.98	93,49,400	26.27	93,49,400	26.49
कुल		**3,59,88,817**	**100**	**3,55,88,817**	**100**	**3,52,88,817**	**100**

टिप्पणीः– 15.2
शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रारंभिक		3,55,88,817	3,55,888	3,52,88,817	3,52,888	3,47,30,917	3,47,309
निर्गत		4,00,000	4,000	3,00,000	3,000	5,57,900	5,579
अंतिम		**3,59,88,817**	**3,59,888**	**3,55,88,817**	**3,55,888**	**3,52,88,817**	**3,52,888**

टिप्पणी:– 16
दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
क. बॉंड्स							
बॉंड्स निगम सं. 1 – प्रतिभूत* (प्रत्येक रू. 1000000/–के 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तिनीय बॉंड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2026)			60,000		0		0
जोड़ क			**60,000**		**0**		**0**
ख. प्रतिभूत							
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में12.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			49,653		58,681		67,708
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए) (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			43,875		55,575		67,275
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए– जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754) (30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 11.40 से 12.25 प्रति का प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			29,781		36,789		43,796
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001– (टिहरी एचपीपी के लिए)* (सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच)			38,072		47,840		58,536

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) –32677052247 (टिहरी पी एस पी के लिए)## स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/आधार दर +12 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 10.4 प्रतिशत			1,22,765		1,16,632		73,999
जोड़ (ख)			**2,84,146**		**3,15,517**		**3,11,314**
ग. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा) विश्व बैंक ऋण–8078–आई एन (वीपीएचईपी के लिए)							
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों में छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर / एल आई बी ओ आर+ भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 1.87%)			60,039		34,275		16,252
जोड़ (ग)			**60,039**		**34,275**		**16,252**
कुल (क+ख+ग)			**4,04,185**		**3,49,792**		**3,27,566**

** टिहरी चरण–। की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण

टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण।

* टिहरी एचपीपी चरण–I की वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम/सममूल्य प्रभार बांड सुरक्षित है।

$ संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणीः— 17
गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
देनदारियां							
व्यय के लिए							
माइक्रो और लघुउद्यमों के लिए		0		0		0	
अन्यों के लिए		0	0	0	0	0	0
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		1,154		662		265	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		220	934	164	498	97	168
जोड़			**934**		**498**		**168**

टिप्पणीः— 18
अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभः प्रतिभति जमा/ प्रतिधारण राशि			220		164		97
जोड़			**220**		**164**		**97**

टिप्पणीः— 19
अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व							
अंतिम तुलन–पत्र के अनुसार		21,271		21,271		21,271	
जोडेः वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन		0	21,271	0	21,271	0	21,271
अन्य देनदारियां			0		0		0
जोड़			**21,271**		**21,271**		**21,271**

टिप्पणीः– 20
दीर्घावधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के लिए				
		01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारियों से संबंधित		32,245	6,986	(494)	(82)	38,655
II. अन्य		488	(108)	0	(65)	315
कुल		**32,733**	**6,878**	**(494)**	**(147)**	**38,970**
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		**32,246**	**9,060**	**(5,712)**	**(2,861)**	**32,733**

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में ए एस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 31.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणीः– 21
लघुवधि उधार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 के अनुसार		31 मार्च, 2016 के अनुसार		01 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण							
क. प्रतिभूत ऋण							
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*							
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग दर आधार दर अर्थात 9.6 %)			38,724		3,677		43,634
कुल			**38,724**		**3,677**		**43,634**

* परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स, औजार एवं अनुषंगियों, ईंधन स्टाक स्पेयर एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के **रू. 38,724 लाख का ओडी सुरक्षित है**

टिप्पणीः– 22
देय व्यापार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		01 अप्रैल, 2015	
देय व्यापार–एमएसएमईडी			0		0		0
देय व्यापार – अन्य से भिन्न एमएसएमईडी			41		49		72
कुल			**41**		**49**		**72**

टिप्पणीः– 23
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता							
क. प्रतिभूत			37,503		38,431		43,436
(भारतीय मुद्रा में ऋण)							
कुल			**37,503**		**38,431**		**43,436**
देनदारियां							
व्यय के लिए							
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		1		37		0	
अन्य के लिए		19,419	19,420	14,219	14,256	6,167	6,167
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		5,232		3,945		3,912	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0	5,232	0	3,945	0	3,912
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0		0		0
ब्याज उपार्जित किंतु देय नहीं							
वित्तीय संस्थाएं		6,660		4,744		4,870	
अन्य देनदारियां		0	6,660	0	4,744	0	4,870
कुल			**31,312**		**22,945**		**14,949**
कुल देनदारियां			**68,815**		**61,376**		**58,385**

* प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–16 में दिए गए हैं।

टिप्पणीः– 24
अन्य चालू दायित्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31/03/2017 की स्थिति अनुसार		31/03/2016 की स्थिति अनुसार		01 अप्रैल, 2015 की स्थिति अनुसार	
दायित्व							
अन्य दायित्व			3,749		3,587		3,360
योग			**3,749**		**3,587**		**3,360**

टिप्पणीः– 25
लघुवधि प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
		01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
I. कार्य		489	77	(71)	(90)	405
II. कर्मचारियों से संबंधित		8,342	4,946	(249)	(4,531)	8,508
III. अन्य		11,752	5,009	(14,695)	(632)	1,434
जोड़		**20,583**	**10,032**	**(15,015)**	**(5,253)**	**10,347**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**18,085**	**16,903**	**(3,595)**	**(10,810)**	**20,583**

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 37.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणीः– 26
चालू कर देताएं (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2017 तक		31 मार्च, 2016 तक		01 अप्रैल, 2015 तक	
आय कर							
अथ शेष			0		2,112		0
अवधि के दौरान वृद्धि			15,156		23,998		11,292
अवधि के दौरान समायोजन			(6,330)		(5,323)		(192)
अवधि के दौरान उपयोग			(8,826)		(20,787)		(8,988)
अंतिम शेष			**0**		**0**		**2,112**

टिप्पणीः– 26.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	29				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		10,917		8,657	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		633		557	
पेंशन निधि		541		435	
उपदान		1,659		262	
कल्याण		134		66	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		44	13,928	21	9,998
अन्य व्यय	**31**				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		72		78	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		295	367	236	314
दर एवं कर			28		2
विद्युत एवं ईंधन			576		601
बीमा			35		8
संचार			80		120
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		3		2	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		0		0	
भवन		29		300	
अन्य		140	172	314	616
यात्रा एवं वाहन			241		297
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			358		364
सुरक्षा			98		228
प्रचार तथा जनसंपर्क			46		33
अन्य सामान्य व्यय			929		672
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			3		2
प्रतिभूत जमा पर ब्याज/ प्रभावी ब्याज दर के लेखे पर प्रतिधारण राशि		89		19	
मूल्यह्रास	1		748		712
कुल व्यय (क)			**17,698**		**13,986**
प्राप्तियां					
अन्य आय	28				
ब्याज					
बैंक जमा से		5		1	
कर्मचारियों से		114		102	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिमः प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		44		21	
अन्य से		3	166	9	133

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			15		11
किराया प्राप्तियां			49		58
विविध प्राप्तियां			50		291
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			22		74
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			1		0
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूत जमा / प्रतिधारण राशि			89		19
कुल प्राप्तियां (ख)			**392**		**586**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**17,306**		**13,400**
कराधान के लिए प्रावधान	33				
कराधान सहित निवल व्यय			**17,306**		**13,400**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्व अवधि मदें	35		**(73)**		**1**
ओसीआई के माध्यम से बिमांकिक लाभ / (हानि)	34		**(131)**		**(122)**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			854		2,105
कुल ईडीसी			**18,218**		**15,628**
घटाएं :					
ईडीसी को सीडब्ल्यूआईपी / परिसम्पत्ति आबंटित		15,358		14,045	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		490	15,848	729	14,774
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**2,370**		**854**

टिप्पणीः– 27
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,07,903		2,45,083	
घटाएं :–					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,07,903	0	2,45,083
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			1,419		1,481
परामर्श से आय			152		85
योग			**2,09,474**		**2,46,649**

27.1 कंपनी को टिहरी एचईपी के लिए माननीय सीईआरसी से दिनांक 20.03.2017 (2009–14 ट्रूइंग आदेश) तथा दिनांक 29.03.2017 (2014–19 टैरिफ आदेश) का आदेश प्राप्त हुआ। सीईआरसी ने एएफसी आधारित, चालू वित्त वर्ष 2016–17 हेतु राजस्व को अनुमत्य किया।

इस आदेश के फलस्वरूप पिछले वर्षों की राशि (–) 16147 लाख रू. को चालू वित्त वर्ष में आसाधारण/अपवादिक मद के रूप में लेखांकित किया गया।

कोटेश्वर एचपीपी सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की गयी है। अंतिम आदेश प्राप्त होने तक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार प्रचलित टैरिफ विनियम के रूप में एएफसी दावे के आधार पर विक्रय राजस्व के रूप में मान्यता दी है।

दो नयी स्थापित (50 मे.वा. + 63 मे.वा.) पवन ऊर्जा परियोजनाओं से आपूर्ति की गई विद्युत के संदर्भ में प्राप्त विक्रय राजस्व रू. 2328.41 लाख को चालू वित्त वर्ष में बिक्री की मान्यता दी गयी।

टिप्पणीः– 28
अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस रू. 10087.00 शामिल है, पिछले वर्ष 3494.00रू.)		255		55	
कर्मचारियों से		395		412	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम–प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		426		172	
अन्य		326	1,402	32	671
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			15		13
किराया प्राप्तियां			117		141
विविध प्राप्तियां			569		698
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			12,297		469
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			7		42
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			108		33
जोड़			**14,515**		**2,067**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		392		586
जोड़			**14,123**		**1,481**

28.1 वापस लिए गए अधिक प्रावधान में रू. 9,977 लाख का जल कर एवं हरित ऊर्जा उपकर से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणीः– 29
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			31,506		27,236
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			2,056		1,682
पेंशन निधि			1,770		1,460
उपदान			3,100		1,777
कल्याण व्यय			495		528
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			426		172
योग			**39,353**		**32,855**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		13,928		9,998
योग			**25,425**		**22,857**

टिप्पणीः– 30
वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
बॉंड निर्गम श्रृंखला 1 पर ब्याज			2,246		0
ऋणों पर ब्याज			40,358		45,003
जोड़			**42,604**		**45,003**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत			13,498		12,116
जोड़			**29,106**		**32,887**

टिप्पणीः– 31

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		174		163	
कर्मचारी आवास किराया		698	872	699	862
दर एवं कर			187		141
विद्युत एवं ईंधन			1,745		1,573
बीमा			2,056		2,240
संचार			363		369
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,529		1,540	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		519		800	
भवन		1,105		1,096	
अन्य		2,265	5,418	2,422	5,858
यात्रा एवं वाहन			632		999
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,211		1,024
सुरक्षा			3,264		2,824
प्रचार तथा जनसंपर्क			303		298
अन्य सामान्य व्यय			3,383		2,253
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			72		25
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			490		729
अनुसंधान और विकास			434		345
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			84		30
निगम की सीएसआर एवं एस डी गतिविधियों पर व्यय			1,528		1,335
ग्राहकों को छूट			385		341
सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रभावी ब्याज दर का खाते पर प्रतिधारण राशि			108		33
जोड़			**22,535**		**21,279**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		3,022		3,276
जोड़			**19,513**		**18,003**

टिप्पणीः– 32
प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			443		6
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान			2		3
योग			**445**		**9**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		0		0
योग			**445**		**9**

टिप्पणीः– 33
कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			17,154		24,252
उप जोड़			**17,154**		**24,252**
जोड़			**17,154**		**24,252**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			0		0
उप जोड़			**0**		**0**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		0		0
जोड़			**0**		**0**

टिप्पणीः– 34
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(545)		(423)
उप जोड़			**(545)**		**(423)**
घटाएं					
ईडीसी को अंतरित	26.1		(131)		(122)
जोड़			**(414)**		**(301)**

टिप्पणीः– 35

लेखाकरण नीति में परिवर्तन एवं पूर्वावधि मदें

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
पूर्वावधि आय					
विविध प्राप्ति		3	3	6	6
पूर्वावधि व्यय					
मरम्मत एवं अनुरक्षण		(215)		12	
मूल्यह्रास		28		1,058	
किराया दर एवं कर		0		2	
विविध – अन्य		0	(187)	0	1,072
उप जोड़			**(190)**		**1,066**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	26.1		(73)		1
जोड़			**(117)**		**1,065**

36. एमसीए द्वारा जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया हैं।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	**वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण**	• वित्तीय विवरणों को इंड एएस की अनुवर्ती अनुसूची–।।। के अनुसार तैयार किया गया है। • वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित सभी सूचनाओं का खुलासा किया गया है। • सूचनाएं अन्यत्र कहीं प्रस्तुत नहीं की गई जो वित्तीय विवरणों को समझने के लिए भी प्रासंगिक है उसका खुलासा किया गया है।
इंड एएस 2	**माल सूची**	• कंपनी जल, पवन और सौर विद्युत सहित अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। इस प्रकार इसमें कोई कच्चा माल या डब्ल्यू आई पी नहीं होता है, हालांकि उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
इंड एएस 7	**नकदी प्रवाह विवरण**	• नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय विवरणों के एक अभिन्न अंग के रूप में तैयार किया जा रहा है, जैसा कि इंड एएस 7 के पैरा 18 (ख) में परिभाषित किया गया है और उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 20 में बताया गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियां, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	• लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव और त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से मान्य किया जाता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनमें यह अव्यवहारिक हों। • अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव को भविष्य लक्षी रूप से लेखांकित किया जाता है। • इक्विटी और उससे संबंधित टिप्पणियों में परिवर्तन विवरण में असाधारण मदें/व्यय तथा पूर्व अवधि मदों (आय–व्यय) का खुलासा किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग/अवधि पश्चात की घटनाएं	• तुलन पत्र की तिथि के बाद ऐसी कोई मुख्य रिपोर्ट योग्य घटना नहीं घट रही है। • इंड एएस 10 के अनुसार, भुगतान के वर्ष में लाभांश को लेखा में लिया जा चुका है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	• कंपनी न तो निर्माण व्यापार में है और न रिपोर्टिंग अवधि में कोई निर्माण अनुबंध किया है। अतः यह मानक लागू नहीं होता।
इंड एएस 12	आय कर	• आस्थगित कर की गणना एएस प्रावधानों के अनुपालन में तुलन पत्र दृष्टिकोण के अनुसार की गई है। • वर्ष 2016–17 के दौरान 8,286 लाख रू. की आस्थगित कर संपत्तियों का लेखांकन किया गया।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	• कंपनी ने एएस 101 के तहत छूट प्राप्त की है। • इंड एएस को संक्रमण की तारीख पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर युक्त परिसंपत्ति के रखाव–मूल्य से उचित माना गया है। यह मानते हुए कि मानित रखाव–लागत इंड एएस 101 के अनुपालन में है।
इंड एएस 17	पट्टे	• कंपनी के पास वित्तीय पट्टे वाली कोई संपत्ति नहीं है। • आपरेटिंग लीज लेनदेन का खुलासा किया गया है और इसे खर्च के रूप में माना गया है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 18	राजस्व	• कंपनी सीआरईसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ विनियमों के आधार पर निर्धारित सीआरईसी और एएफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा निर्धारित अंतिम टैरिफ के आधार पर बिक्री राजस्व को मान्यता देती हैं। विशिष्ट लेखांकन नीति संख्या 13.1 से 13.9 तक राजस्व मान्यता तंत्र की जानकारी देती है जिसे कंपनी द्वारा अपनाया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	• परिभाषित अंशदान योजना के तहत कंपनी अंशदायी भविष्य निधि और अधिवर्षिता पेंशन फंड में अंशदान दे रही है। • उपर्युक्त के अतिरिक्त, कंपनी निर्धारित लाभ योजना के तहत, ग्रेच्यूटी, अर्जित छुट्टी, पीआरएमबी (पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ) पोस्ट सेवानिवृत्ति सामान भत्ते का भी भुगतान कर रही है। • कर्मचारियों के लाभों का वास्तविक मूल्यांकन किया गया और इंड एएस 19 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन	उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई के घटक के रूप में प्राप्त राशि, इंड एएस 20 के अनुसार खातों में मान्य की गई है। विवरणों का महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 11 के माध्यम से प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 21	विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित लेखांकन नीतियों का लेखांकन नीति सं. 6.1 से 6.3 के तहत प्रकटन किया गया है
इंड एएस 23	उधारी लागत	कंपनी ने इंड एएस23 के अनुसार दीर्घावधि संपत्तियों पर उधारी लागत का पूंजीकरण कर दिया है। विवरण को लेखांकन नीति सं. 16. 1 से 16.2 में स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 24	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	सेवा–टीएचडीसी को सीएसआर गतिविधियों और निदेशकों के पारिश्रमिक के भुगतान का विवरण इंड एएस–24 के द्वारा प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	कंपनी के पास कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए लागू नहीं है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 28	सहयोग और संयुक्त उद्यम में निवेश	कंपनी के किसी सहयोगी / संयुक्त उद्यम में कोई निवेश नहीं है, इसलिए लागू नहीं है।
इंड एएस 29	अति स्फीति अर्थव्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	लागू नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधन प्रस्तुति	• अभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय रूप में विभाजित किया गया है। • वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत पर मापा गया है। • जहां भी लागू हो, प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को अधिक मूल्य दिया गया है। • उचित मूल्य लाभ / नुकसान को परिसंपत्तियों के जीवन पर परिशोधित कर दिया गया है।
इंड एएस 33	प्रति शेयर अर्जन	कंपनी ने संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं, अतः मूल और डाइल्यूटेड ई पी एस दोनों ही सामान्य हैं तथा लाभ और हानि के विवरण में इसका समुचित प्रकटन किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	कंपनी ने निजी प्लेसमेंट आधार के माध्यम से धन जुटाया है और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध हुई है। एक ओडीआर के अनुसार अर्धवार्षिक अंतरिम वित्तीय एक सुशासन के रूप में टीएचडीसीआईएल अंतरिम वित्तीय कथनों की तैयारी कर रहा है।
इंड एएस 36	परिसंपत्तियों की हानि	वर्ष के दौरान परिसंपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा परिसंपत्तियां	नकदी बर्हिगमन की निश्चितता तथा घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं के आधार प्रबंधन अनुमानों के अनुसार पर समुचित देनदारियों की व्यवस्था की गई। अन्य मामलों में आक्समिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया गया है। वर्ष के दौरान कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्तियां	कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 5.1 से 5.4 के स्पष्टीकरण के अनुसार इसके उपयोगी जीवन काल के बाद लागत परिशोधित की जाती है।
इंड एएस 40	निवेशित संपत्ति	कंपनी के पास निवेशित संपत्ति जैसी कोई परिसंपत्ति नहीं है। अतः मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	लागू नहीं
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानक का पहली बार अपनाया जाना	• इंड एएस 101 में निर्धारित दिशा–निर्देशों और सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए। • कंपनी ने इंड एएस 101 में उपलब्ध निम्नलिखित छूट (भूतलक्षी प्रभाव से नहीं) का लाभ स्वीकार किया। क. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं मापन ख. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि ग. अनुमान घ. मानित लागत च. पूर्व मान्य वित्तीय लिखतों का अभिदान छ. वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों का प्रारंभिक स्तर पर उचित मूल्य मापन ज. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की लागत में विसंस्थापन देनदारियां शामिल हैं। झ. उधारी लागत
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	लागू नहीं
इंड एएस 103	व्यापार संयोजन	लागू नहीं

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 104	बीमा संविदाएं	लागू नहीं
इंड एएस 105	बिक्री हेतु पुरानी परिसंपत्तियां और बंद हुए प्रचालन	वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नही हुई। अतः किसी प्रकटन की जरूरत नहीं।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों का उत्खनन और मूल्यांकन	लागू नहीं
इंड एएस 107	वित्तीय लिखतों का प्रकटन	यथा निर्धारित सूचना का समुचित रूप से प्रकटन
इंड एएस 108	प्रचालनीय खंड	कंपनी का मुख्य कार्य जल विद्युत उत्पादन एवं विक्रय है तथा इससे लगभग 98 % सकल विक्रय राजस्व प्राप्त होता है। कंपनी ने हाल ही में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पर्दापण किया है। यह इंड एएस 108 के पैरा 13 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इसलिए वित्तीय विवरणों को एकल खंड के रूप में तैयार किया गया है।
इंड एएस 109	वित्तीय लिखतें	वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत से मापा जाता है क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां दोनों ही मानक के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करते हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 से 10 में ब्यौरे को स्पष्ट किया गया है।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	लागू नहीं
इंड एएस 111	संयुक्त अनुबंध	लागू नहीं
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में रूचि का प्रकटन	लागू नहीं

इंड एएस नं.	नामावली	विवरण
इंड एएस 113	**उचित मूल्य मापन**	कंपनी ने सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य मापन के लिए इंड एएस के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को इस्तेमाल किया है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 7.1 से 7.4 में वर्णित है।
इंड एएस 114	**विनियामक आस्थगित लेखे**	जैसा कि इंड एएस 114 के अंतर्गत अनुमत्य है कंपनी पिछली जीएएपी दर नियामक लेखांकन नीति को जारी रखे हुए है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 22.1 में इसका ब्यौरा दिया गया है।

टिप्पणी सं.– 37 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. इंड–एएस में संक्रमण

ये कंपनी के वित्तीय विवरणों का पहला सेट है जिसे इंड एएस के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैरा 7 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार 31 मार्च 2016 की अवधि तक और इस तिथि को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष पर लागू भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण तुलनात्मक अवधि आंकडे के साथ तैयार किए गए हैं जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार में वर्णित है। इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के अथ शेष पत्र 01 अप्रैल, 2015, जो कंपनी की भारतीय लेखांकन मानक की संक्रमण तिथि है, के अनुसार तैयार किया गया। इस टिप्पणी में कंपनी द्वारा भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों में 01 अप्रैल 2015 के तुलन पत्र सहित तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अंत में वित्तीय विवरणों सहित, प्रमुख समायोजनों को स्पष्ट किया गया है।

(क) छूट और अपवाद का लाभ उठाना – लागू भारतीय लेखांकन मानक 101 छूट तथा अनिवार्य अपवाद नीचे प्रदर्शित है तथा पिछले जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण पर लागू है।

वैकल्पिक छूट

क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, निवेशित संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित लागत कार्यात्मक करेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होने से कंपनी (भारतीय रूपया कार्यात्मक करेंसी है) ने भारतीय लेखांकन मानक के परिशिष्ट सी के पैरा डी 7एए के अंतर्गत छूट का इस्तेमाल किया है जो पहली बार इसे अपनाने वालों को इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के रखाव–मूल्य को, जारी रखने की अनुमति देता है जिसे भारतीय लेखांकन मानक में संक्रमण तिथि को पिछले जीएएपी के रखाव–मूल्य से मापा जाता है।

ख) दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें – भारतीय लेखांकन मानक 101 के परिशिष्ट सी के पैराग्राफ डी13 एए पहली बार अपनाने वाले को मान्य है। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर के लिए अपनाई गई नीति को पिछले जीएएपी के अनुसार पहले भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि से तत्काल पहले समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों को जारी रखने की अनुमति देता है। कंपनी ने पैराग्राफ डी 13 एए के अंतर्गत छूट का लाभ उठाया है और पूर्व में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को जिन्हें 31.03.2016 तक मान्य किया गया है, इसमें उद्भूत विनिमय अंतर लेखांकन हेतु अंगीकृत लेखा नीति को लागू करना जारी रखा है।

(ख) पिछले जीएएपी तथा भारतीय लेखांकन मानक में मिलान

भारतीय लेखांकन मानक को इक्विटी मिलान पूर्वावधि की सकल व्यापक आय और नकदी प्रवाह के लिए कंपनी की जरूरत होती है। निम्नलिखित सारिणी में पिछले जीएएपी से भारतीय लेखांकन मानक का मिलान प्रस्तुत है।

1. भारतीय लेखांकन मानक तथा पिछले जीएएपी का पूर्वावधि तथा 31 मार्च, 2016 के मध्य सकल इक्विटी का मिलान।

(लाख रू.)

क्रम सं.	समायोजन की प्रकृति		अन्य इक्विटी	
		नोट	31 मार्च, 16 की स्थिति	01.04.2015 की स्थिति
	पिछली भारतीय जीएएपी के अनुसार सकल इक्विटी		**841,686**	**783,831**
1	लेखांकन नीति में परिवर्तन तथा पूर्व अवधि मदें एवं अन्य	III	-1065	-
2	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन	I	799	-
3	आस्थगित कर	II	487	-
4.	लाभांश (निवल डीडीटी)	IV	19,498	16,850
	कुल		**861,405**	**800,681**
	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी		**861,405**	**800,681**

2. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय लेखांकन मानक तथा पिछले जीएएपी के मध्य सकल लाभ का मिलान

(लाख रू.)

क्रम सं.	समायोजन की प्रकृति	नोट	लाभ–मिलान
			31 मार्च, 16 को समाप्त वर्ष
	पिछली भारतीय जीएएपी के अनुसार निवल लाभ (पीएटी)/अन्य इक्विटी		80,902
1	लेखांकन नीति में परिवर्तन तथा पिछली अवधि की मदें तथा अन्य	III	1,065
2	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन	I	315
3	आस्थगित कर	II	-104
4	अन्य	V	-280
	कुल		**81,898**
	ओसीआई से पूर्व निवल लाभ (पीएटी)/भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल इक्विटी		**81,898**

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय लेखांकन मानक तथा पिछले भारतीय जीएएपी के मध्य नकदी प्रवाह विवरण का मिलान

(लाख रू.)

कम सं.	समायोजन की प्रकृति	नोट	नकदी एवं नकदी समतुल्य मिलान
			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
	तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		7595
1	ओवर ड्राफ्ट शेष	VI	(3677)
	कुल		**3918**
	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		**3918**

पहली बार अंगीकृत किए जाने पर मिलान पर टिप्पणियां

निम्नलिखित क्षेत्रों में लेखांकन नीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख अंतर इस प्रकार है–

I. **वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकनः** कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दर के आधार पर किया। संक्रमण–तिथि को उचित मूल्य परिवर्तन का प्रभाव प्रारंभिक आरक्षित निधि (ओपनिंग रिजर्व) तथा तदनन्तर परिवर्तन को लाभ एवं हानि लेखों अथवा अन्य व्यापक आय, जैसा भी प्रकरण हो, हेतु मान्य किया गया।

II **आस्थगित करः** संक्रमण समायोजन का प्रभाव भारतीय लेखांकन मूल्यांकन अधिदेश तुलन पत्र दृष्टिकोण (पिछले जीएएपी में लाभ एवं हानि दृष्टिकोण के विरूद्ध) से आस्थगित करों की संगणना के फलस्वरूप संक्रमण तिथि को तदन्तर अवधि में लाभ हानि लेखों में अनुवर्ती प्रभाव से आरक्षित निधि में परिवर्तन हुआ।

III **पूर्व–अवधि मदें:** भारतीय लेखांकन मानक–8 की अपेक्षाओं के अनुसार यह अधिदेश है कि पिछले वर्ष के व्यय को चालू वर्ष की मदों में शामिल नहीं किया जाए। उन्हें पूर्व वर्ष की आरक्षित निधि से समायोजित किया जाना है। इसका प्रभाव भी वर्ष 2016 की आरक्षित निधि के माध्यम से समायोजित किया जाए।

IV **रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं लाभांश लेखांकन** – भारतीय लेखांकन मानक 10 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रबंधन के निर्णयानुसार उपलब्ध कराए जाने वाले लाभांश की चालू वर्ष के लेखों में गणना नहीं की जाती है क्योंकि वर्ष के अंत तक उसका अनुमोदन नहीं हुआ है। इन्हें केवल अभी टिप्पणियों में ही प्रकट किया जाना है, जबकि चालू वर्ष में भुगतान किए जाने वाले पिछले वर्ष के लाभांश की गणना की जानी है। इसका प्रभाव भी वर्ष 2016 में समायोजित किया जाएगा।

V **अन्यः** अन्य समायोजनों में प्राथमिक रूप से शामिल हैं –

क. सेवानिवृत्ति दायित्व परिसंपत्तियों के संबंध में धन की समय मूल्य विशेषता भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत वर्तमान मूल्यों पर मापे और मान्य किए जाते हैं। पिछले भारतीय जीएएपी के अंतर्गत इसे लागत पर अभि लेखित किया गया। संक्रमण तिथि के बाद की अवधि का प्रभाव लाभ एवं हानि लेखों से प्रतिफलित होता है।

ख. अन्य परिवर्तन मुख्य रूप से लेखों के पुनः समूहन (रिग्रुपिंग) तथा अन्य समायोजन भारतीय लेखांकन मूल्यांकन अनुपालन अनुसूची ।।। की अपेक्षाओं का अनुपालन है।

VI **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह पर भारतीय लेखांकन मानक अंगीकरण का प्रभाव**–पिछले जीएएपी के अंतर्गत बैंक में जमा सभी धनराशि नकदी और नकदी समतुल्य थी। तथापि भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत ओवर ड्राफ्ट बैलेंस को नकदी या नकदी समतुल्य माना जाता है। अतः तुलन पत्र और नकदी प्रवाह विवरण में रिपोर्ट किए गए नकदी और नकदी समतुल्य में अंतर है और तदनुसार उनकी रिपोर्ट की गई है।

2. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 253459 लाख रूपये (गत वर्ष रू. 289750 लाख और 01.04.2015 को रू. 336836 लाख) है।

3. **आकस्मिक देयताएं**

(लाख रू. में)

	2016-17	2015-16	01.04.2015
(i) कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया, माध्यस्थम /अदालती मामले			
मूलधन			
सरकारी/सीपीएसई	49925	28701	2421
अन्य	101587	103551	104423
(क)	151512	132252	106844
ब्याज			
सरकारी/सीपीएसई	10365	11990	218
अन्य	161304	147716	96070
(ख)	171669	159706	96288
कुल योग (क+ख)	**323181**	**291958**	**203132**
(क) कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी	25470	371	371
(ख) विभिन्न माध्यस्थम/श्रम न्यायालय/जिला न्यायालय अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गई तथा कंपनी द्वारा जमा की गई लेकिन विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।	351	351	351
(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर आदि जिसमें कंपनी द्वारा जमा कराए गए 173 लाख रूपये (पिछले वर्ष 323 लाख रूपये और 01.04.15 को 173 लाख रूपये) जो अपील के अंतर्गत है।	639	572	186
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	115	411	232

4. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 141 लाख रुपये एवं 1033 लाख रूपये (गत वर्ष 69 लाख रूपये तथा 1184 लाख रुपये तथा 01.04.2015 को 36 लाख रूपये तथा 1203 लाख रूपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 17 एवं 23 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 6386 लाख रुपये (गत वर्ष 4607 लाख रुपये तथा 01.04.2015 को 4177 लाख रूपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

5. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 10 लाख राशि/(गत वर्श 4 लाख रूपये) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 13498 लाख रु. (गत वर्ष 12116 लाख रु.) है।

6(i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं.8–3/89–एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 2547.83 हेक्टेयर(गत वर्ष 2497.53 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 1937.30 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 610.35 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो कांप्लेक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

7. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 27 फ्लैट (गत वर्ष 28 फ्लैट तथा 01.04.2015 को 30 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

8. (क) टीएचडीसीआईएल ने एसबीआई के नेतृत्व वाले सहायता संघ (कंसोर्टियम) के साथ निर्माणाधीन टिहरी पीएसपी के वास्ते रू. 1,50,000 लाख के दीर्घावधि ऋण हेतु अनुबंध किया। इस परियोजना को फरवरी 2016 तक पूरा किया जाना था परियोजना की पूर्णता अवधि को पुनः निर्धारित किया गया और इसे यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किए गए। मूल ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार समग्र ऋणराशि का फरवरी, 2016 तक आहरण किया जा सकता था तथा अगस्त 2016 से पुनर्भुगतान करना तय था। चूंकि समस्त स्वीकृत राशि का आहरण नहीं किया गया तथा कमीशनिंग (पूर्णता) अवधि को भी पुनः निर्धारित किया गया, इसीलिए टीएचडीसीआईएल ने ऋणदाता संस्थानों से फरवरी 2018 तक संवितरण अवधि बढ़ाने और तदनुसार पुनर्भुगतान सूची निर्धारित करने के लिए औपचारिक पुष्टि करने का अनुरोध किया। टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर विचार करते हुए ऋणदाताओं ने निधि जारी कर दी। संपूर्ण आहरित ऋण राशि को दीर्घावधि ऋण के रूप में मान्य करने संबंधी औपचारिक सूचना प्राप्त होने तक कोई पुनर्भुगतान देय नहीं हुआ।

(ख) विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन अमेरिकी डालर वर्तमान में निर्माणाधीन वीपीएचईपी (विष्णुगाड पीपलकोटी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना) को निधि 2012 से 2017 के मध्य संवितरण हेतु उपलब्ध कराने संबंधी वित्तीय अनुबंध किया गया। टीएचडीसीआईएल ने 31 मार्च, 2017 तक 92.6 मिलियन अमेरिकी डालर का ही आहरण किया है। परियोजना की धीमी प्रगति के कारण संवितरण अनुसूची को भी 2020 (2012 से 2020 तक) बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस अनुबंध के अनुसार 46 समान छमाही किस्तों में पुनर्भुगतान किया जाना है जिसकी पहली किस्त का भुगतान नवंबर, 2017 में किया जाएगा। संवितरण अनुसूची के विस्तार के परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान नवंबर 2020 तक स्थगित करना अपेक्षित है।

टीएचडीसीआईएल ने विश्व बैंक से संवितरण अनुसूची का विस्तार तथा उपरोक्त वर्णित पुनर्भुगतान अनुसूची के स्थगन करने का अनुरोध किया है। परियोजना स्थल का दौरा करने वाले विश्व बैंक के दल को भी इससे अवगत करा दिया गया। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने तक, आहरित संपूर्ण ऋण राशि को दीर्घकालिक ऋण माना गया है।

ग) कंपनी ने कारपोरेट बांड के आधार पर निजी बाजार से 60,000 लाख रूपये जुटाए। व्यय न की गई रू. 25037 लाख की राशि अलग बैंक एकाउंट में अलग रख दी गई है।

9. सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन :

भारतीय लेखांकन मानक 24 द्वारा यथापेक्षित ''संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण'' इस प्रकार है–

क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

i) प्रमुख प्रबंध कार्मिक

1. श्री आर एस टी शाई *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. वी. सिंह **	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3. श्री डी. वी. सिंह *	निदेशक (तकनीकी)
3. श्री एस के बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4. श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
5. श्री एस.क्यू. अहमद	कंपनी सचिव
6. सुश्री रश्मि शर्मा*	कंपनी सचिव

(*) 30.11.2016 तक

(**) 01.12.2016 से

(#) 27.04.2017 से

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी लाभ के लिए नहीं, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की गई।

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 1528 लाख रूपये संवितरित किए गए।

ग) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक और भत्ते तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 246 लाख रु. (गत वर्ष 273 लाख रु.) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और डायल्यूटेड

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और डायल्यूटेड) इस प्रकार हैं:

	2016-17	2015-16
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (रूपए लाख में)	₹ 71123	₹ 81701
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया	बेसिक:35767611.74 डायल्यूटेड:35767611.74	बेसिक: 35442531.17 डायल्यूटेड: 35442531.17
प्रतिशेयर आय रुपये बेसिक डायल्यूटेड	₹ 198.85 ₹ 198.85	₹ 230.52 ₹ 230.52
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 1000	₹ 1000

11. भारतीय लेखांकन मानक ''आय पर करों' के अनुपालन में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी रू. 8286 लाख (गत वर्ष 16860 लाख रुपये तथा 01.04.2015 को रू. 13686 लाख) जो कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निवल वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि विवरण में बुक किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापसी योग्य है, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार चालू करों का भाग है और वापसी योग्य नहीं है। संचयी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

रुपये लाख में

क्र. सं.		31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)			
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	51988	44693	37216
ii)	प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन	487	487	
iii)	ओसीआई को वगीकृत वास्तविक लाभ/हानि	143		
iv)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	6837	6837	6837
v)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	12453	13064	4460
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	8321	6862	6570
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां(क)	**80229**	**71943**	**55083**
	आस्थगित कर देयता (ख)			
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3572	3572	3572
ii)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	-472	-472	-472
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	-1	-1	-1
iv)	कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	-124	-124	-124
	कुल आस्थगित कर देयता (ख)	2975	2975	2975
	निवल आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (क)–(ख)	**77254**	**68968**	**52108**

12. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, कंपनी प्रायोजित लाभ निरपेक्ष, सेवा–टीएचडीसी, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है।

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	रूपए लाख में
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	166
02	शिक्षा एवं कौशल विकास	633
03	सामाजिक कल्याण	15
04	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	153
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	31
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	495
07	अन्य	42
	योग	**1535**

** टीएचडीसीआईएल के द्वारा रू. 1528 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रू. 7 लाख से 'सेवा' द्वारा किया गया व्यय।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 1528 लाख रू. (गत वर्ष 1335 लाख रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रू. 1528 लाख (गत वर्ष 1335 लाख रूपए) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

(ग) (i) कंपनी के द्वारा वर्ष 2015–2016 के दौरान नकद रूप से तथा कंपनी द्वारा सेवा–टीएचडीसी को खर्च की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद रूप से भुगतान किए जाने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार है।–

(रू. लाख में)

	नकद राशि	अभी भुगतान किया जाना है	योग
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		0	
(ii) (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन पर	1528	0	1528

(ii) अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित प्रकटन
कंपनी ने वर्ष 2016–17 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 434 लाख रूपये (गत वर्ष 345 लाख रू.) व्यय किए।

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को 1 लाख रू. (गत वर्ष 37 लाख रू. तथा 01.04.2015 को ''शून्य'' रूपये) की मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया।

14. कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथि गृहों/अस्थायी शिविरों और वाहनों के लिए पट्टे/किराए पर परिसर लिए हैं। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे किराये पर लिए गए स्थानों के भुगतान के लिए राशि में 890 लाख रू. (गत वर्ष 879 लाख) शामिल है।

15.(i) कंपनी परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा समय–समय पर घोषित नियत प्रतिशत पर परिवार पेंशन सहित नियोक्ता अंशदान का भुगतान भविष्य निधि को कर रही है। बीमांकित मूल्य रू. 'शून्य'(योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो वर्तमान बाध्यता मूल्य से 208 लाख रू. (पिछले वर्ष 13 लाख रू. की कमी) अधिक है, कोई गिरावट/कमी नहीं है जिसके लिए अतिरिक्त प्रावधान (गत वर्ष 13 लाख रू.) किया जाए।

(ii) ''कर्मचारियों के हित लाभ'' के संबंध में इंड एएस–19 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2017 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित लाभ का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित लाभ'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2017 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी –I निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	7.50%	7.75%	8.0%	8.50%	8.0%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	8.0%	6.50%	6.0%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

रूपए लाख में
(कोष्ठक मे दिए आंकडे नकारात्मक शेष को प्रदर्शित करते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	14638 {13741}	3714 {5875}	4598 {3692}	10330 {9382}	735 {632}
ब्याज लागत	1134 {1099}	288 {470}	356 {295}	801 {751}	59 {53}
सेवा लागत	1941 {703}	307 {216}	168 {135}	573 {492}	47 {43}
लाभ का भुगतान	(574) {(701)}	(579) {(3683)}	(127) {(141)}	176 {293}	(48) {(58)}
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(137) {205}	1668 {835}	643 {616}	861) {(1)}	12 {64}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	805 {735}

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(कोष्ठक मे दर्शाए आंकडे नकारात्मक शेष को प्रदर्शित करते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	862 {805}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
गैर वित्त पोषित लैब / प्रावधान	17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	862 {805}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	(17003 {14638}	5398 {3714}	5639 {4598}	12388 {10330}	862 {805}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

रूपए लाख में
(कोष्ठक मे दर्शाए आंकडे नकारात्मक शेष को प्रदर्शित करते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
सेवा लागत	1941 {703}	307 {216}	168 {135}	573 {492}	50 {47}
ब्याज लागत	1134 {1099}	288 {470}	356 {295}	801 {751}	62 {59}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(137) {205}	1668 {835}	643 {616}	861 {(1)}	38 {12}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	3076 {1802}	2263 {1521}	1168 {1047}	2234 {1242}	217 {153}

अन्य प्रकटन

उपदान	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17003	14638	13741	11049	9611
बीमांकिक (लाभ)/हानि			2266	593	598
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(137)	(205)			
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3076	1597	3880	1917	1765

पीआरएमबी	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5639	4598	3692	2326	2027
बीमांकिक (लाभ)/हानि	643	616	1118	118	89
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	643	616	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	525	1047	1433	357	300

छुट्टी	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5398	3714	5875	4909	4266
बीमांकिक (लाभ)/हानि	1668	835	2131	938	740
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2263	1521	2876	1562	1308

अस्वस्थता अवकाश	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12388	10330	9382	4664	4594
बीमांकिक (लाभ)/हानि	861	(1)	4288	(467)	176
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2234	1242	5147	146	736

बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	862	805	735	632	654
बीमांकिक (लाभ) / हानि	38	12	64	(86)	125
बीमांकिक (लाभ) / हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	38	12			
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	112	149	118	5	211

16. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(रूपए लाख में)

		2016-17	2015-16
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	10*	10*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	-	-
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	1	6
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	2

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है

(रूपए लाख में)

	विवरण	2016-17	2015-16
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	14	27
	परामर्श और व्यावसायिक व्यय	293	249
	प्रबंधन / प्रतिबद्धता शुल्क	125	308
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती		0
	माल का आयात	12517	8781
	अन्य (अग्रिम)		0
	सम्मेलन के लिए नामांकन		
	साफ्टवेयर की खरीद		
	अन्य		3746
	कुल	**12949**	**13111**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
	i) पूंजीगत माल	13087	8809
	ii) अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**13087**	**8809**
घ	**उपभोज्य घटकों, स्टोर्स और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
	i) आयातित (लाख रूपए में)	68	51
	(%)	14	6
	ii) देशी (लाख रूपए में)	444	749
	(%)	86	94
ड	**निर्यात का मूल्य**	**0**	**0**

18. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2016-2017	2015-2016
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1513 मे.वा.	1400 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) सीसीईए के निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2981 मे.वा.	2868 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक सूचना (मिलियन यूनिटों में)		
	वाणिज्यिक उत्पादन		
	कुल उत्पादन	**4430.000424**	**4348.29007**
	बिक्री (गृह राज्य को नि:शुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	**3890.65028**	**3812.82617**

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

19. नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2017	31.03.2016
नकदी तथा नकदी समतुल्य	9	6707	7558
लियन के तहत बैंक शेष	10	25037	37
ओवर ड्राफ्ट शेष	21	-38724	-3677
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		-6980	3918

20. वर्ष के दौरान 8 नवंबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान धारित विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) एवं लेन–देन के विवरणों पर एमसीए अधिसूचना जीएसआर 308(ई) में यथा प्रस्तावित कंपनी के पास विनिर्दिष्ट बैंक नोट या अन्य मूल्यवर्ग के नोट की, अधिसूचना के अनुसार मूल्य वर्गवार एसबीएन एवं अन्य नोटों का विवरण निम्नवत है :

(₹)

	एसबीएन (₹)	अन्य मूल्यवर्ग नोट (₹)	कुल (₹)
08.11.2016 को हाथ में अंतिम राशि	296500.00	117475.00	413975.00
(+) अनुमत प्राप्तियां	0.00	522421.00	522421.00
(-) अनुमत भुगतान	500.00	264203.00	264703.00
(-) बैंक में जमा राशि	296000.00	84407.00	380407.00
30.12.2016 को हाथ में अंतिम राशि	0.00	291286.00	291286.00

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''विनिर्दिष्ट बैंक नोट'' शब्द का वही अर्थ है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. एसओ 3407(ई) दिनांक 8 नवंबर, 2016 में वर्णित है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
एम नं. 026692

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:06500954

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन–001049सी

(आशीष कुमार अग्रवाल)
साझेदार सदस्यता संख्या – 077178

दिनांक: 31 अगस्त, 2017
स्थान: ऋषिकेश

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह अन्य व्यापक आय सहित तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इंड एएस वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामले, जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या इंड एएस वित्तीय विवरण गलतबयानी से मुक्त हैं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में इंड एएस वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शमिल है। चयनित प्रक्रियाएं इंड एएस वित्तीय विवरणों की गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :

(क) कंपनी के कार्य के संबंध में तुलनपत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2017 को ;

(ख) हानि व लाभ विवरणों और व्यापक आय सहित के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह।

(घ) इक्विटी में बदलाव के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव।

मामले पर बल

हम इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं–

(क) बिक्री के लेखाकरण के संबंध में इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 27.1 के साथ पठित राजस्व मान्यता पर लेखाकरण नीति सं. 13.1 के अनुसार वर्ष 2014–19 की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के आधार पर बिक्री को मान्यता दी गई है।

(ख) प्रासंगिक देयताओं के संबंध में इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37 के पैरा 3, जिसमें दावे/मध्यस्थतन कार्यवाही तथा कंपनी द्वारा अथवा ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा न्यायालय में दायर मामलों के परिणामों की अनिश्चितता के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ग) 31.03.2017 को बकाया शेष राषि की पुष्टि हमारे द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 90% शेष राशि तक प्राप्त की गई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय भिन्न नहीं है।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा यथापेक्षित विवरण उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में **'अनुलग्नक क'** में प्रस्तुत हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन **'अनुलग्नक–ख'** में किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण और नकदी प्रवाह विवरण इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण का इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है जो लेखा विवरणों के अनुरुप है।

(घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

(ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई. दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान जो निदेशकों की अनर्हता से संबद्ध है, कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले में हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हैं–

I. कंपनी ने इसके वित्तीय स्थिति पर इसके वित्तीय विवरण पर लंबित कानूनी अड़चनों के प्रभाव का खुलासा कर

दिया है– इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी 37.3 को देखें।

।।. कंपनी के पास गौण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं हैं जिसमें हानि की संभावना हो।

।।।. कंपनी के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv कंपनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान अनुसूचित बैंक नोट में संपत्ति एवं लेन–देन को भारतीय लेखाकरण प्रणाली वित्तीय विवरणों में कंपनी ने अपेक्षित प्रकटन किया है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर प्रबंधन के प्रतिनिधियों पर निर्भर करते हुए हम रिपोर्ट देते हैं कि प्रकटन कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों तथा जैसा प्रबंधन द्वारा हमारी जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किया है। कृपया नोट सं. 37.20 देखें।

पी. डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(आशीष कुमार अग्रवाल)
सदस्यता सं. 077178

स्थान : ऋषिकेश

दिनांक: 31 अगस्त, 2017

अनुलग्नक–क

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अंतर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक 'क')

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच मे विसंगति नहीं देखी गई। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बाँध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम पर प्राप्त की गयी। टिप्पणी क्रमांक 37.6(ii) एवं (i) से विदित होता है कि स्वामित्व विलेख में 610.35 हेक्टे. फ्री होल्ड तथा 1.875 हेक्टे. लीज भूमि को पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई की गयी।

ii. माल सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में भौतिक सत्यापन की बारंबारता उचित है। माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तद्नुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवश्यक लागत रिकार्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2017 को बाकी नहीं

थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं हैं।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित सेवा कर जमा नहीं किए गए हैं।

वित्त वर्ष	धनराशि (रू. लाख में)	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2012-13 से 2014-15	14.86	सेवा कर	टीएचडीसीआईएल ने मांग के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील दायर की है।

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की।

ix. हमारी राय में तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जिस कार्य के लिए धन जुटाया था, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची V प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3 (XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 117 एवं 188 के अनुरूप है तथा ऐसे लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवतनीय डिवेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3 (XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

(xv) हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया अतएव आदेश के खंड 3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(आशीष कुमार अग्रवाल)
सदस्यता सं. 077178

स्थान : ऋषिकेश

दिनांक: 31 अगस्त, 2017

अनुलग्नक–ख

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	निर्देश	लेख परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड के स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख की अनुमति है, यदि नहीं तो कृपया फ्री होल्ड और लीज होल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के परिवर्तित नाम से पूर्व फ्रीहोल्ड तथा लीज होल्ड भूमि या तो टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के नाम से प्राप्त की गई। स्वामित्व विलेख को नए नाम में परिवर्तित कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है अर्थात ये फ्रीहोल्ड भूमि 610.35 हे. तथा लीज होल्ड भूमि 1.875 है. का विवरण टिप्पणी 37.6 (ii) और (i) में दिया गया है।	पुराने नाम से नए नाम में परिवर्तन कराने हेतु मामला राजस्व प्राधिकारियों के पास है।	शून्य
2	कृपया ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने संबंधी कोई प्रकरण हैं। यदि हां तो उसके कारण और उसमें शामिल राशि बताएं।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण/उधार/ब्याज आदि माफ करने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है।	लागू नहीं	शून्य
3	क्या अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान(ों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित अभिलेख रखा जा रहा है।	हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, अन्य पक्ष के पास उपलब्ध माल सूचियों का समुचित अभिलेख रख रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी को सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई संपत्ति उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।	समुचित अभिलेख का रख–रखाव किया जा रहा है।	शून्य

कृति पी.डी. अग्रवाल एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)

सदस्यता संख्या – 077178

स्थान : ऋषिकेश

दिनांक : 31.08.2017

अनुलग्नक–ग

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं संबंधी रिपोर्ट' में संदर्भित अनुलग्नक 'ग')

कंपनी अधिनियम 2013(अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** (कंपनी) की 31 मार्च, 2017 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा 'आईसीएआई' द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी है। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारी वित्तीय लेखांकन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन के जोखिम मूल्यांकन का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और पूर्ण संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन–देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय–व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथासमय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2017 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

कृते पी.डी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं. 001049सी

(अशीष कुमार अग्रवाल)
सदस्यता संख्या – 077178

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 31.08.2017

No. MAB-III/Rep/01-98/A/cs-THDC/2017-18/Vol.-III/784

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–।।।
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-III
New Delhi

सत्यमेव जयते

दिनांक: 13/09/2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूं। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न : यथोपरि

भवदीया,
ह./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, सी.ए.जी,. भवन एनेक्सी, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, C.A.G. Building, Annexe, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi -110 002
Tel.: 011-23239213, 23239235, Fax: 011-23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण इस पर या सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

प्रतिहस्ताक्षरित
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, नई दिल्ली लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 सितंबर, 2017

नोट

नोट

टिहरी डैम झील में वाटर स्पोर्ट्स का विहंगम दृश्य
A panoramic view of Water Sports in Tehri Dam Lake

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)
CIN : U45203UR1988GOI009822

कॉरपोरेट कार्यालयः गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201 (उत्तराखंड)
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road, Rishikesh - 249201

Current